अंकिता भंडारी हत्याकांड की तथ्यान्वेषण रिपोर्ट

फरवरी 2023

यह रिपोर्ट इस देश की उन तमाम युवा लड़कियों को समर्पित है,
जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही हैं,
अपने जीवन और स्वतंत्रता की गारंटी चाहती हैं तथा समाज में अपना
योगदान करते हुए, उपभोग की वस्तु के रूप में नहीं,
एक कार्यशील इंसान के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं।

अंकिता भंडारी हत्याकांड की तथ्यान्वेषण रिपोर्ट

विषय सूची

प्रस्तावना **4**

परिचय **5**

अध्याय 1. मामले का विहंगावलोकन और तथ्यान्वेषी दल द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे 7

1. आपराधिक मामले का संक्षिप्त कालक्रम 7

2.आपराधिक न्याय प्रणाली का पतन 8

3. अपराध के प्रमुख मुद्दे 9

3.i) पुलिस द्वारा मेडिकल साक्ष्य के आधार पर बलात्कार नहीं होने का निष्कर्ष 9

3.ii) इस मामले में वीआईपी कौन था 10

3.iii) हत्याकांड में साक्ष्य मिटाने पर पुलिस की चुप्पी 10

3.iv) गवाहों की सुरक्षा की व्यवस्था न होना 11

3.v) जीरो नंबर एफआईआर और एफआईआर दर्ज न करने के खिलाफ कार्रवाई न होना 11

4. कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के कानून, 2013 को लागू करने में विफलता 11

5. राज्य महिला आयोग की भूमिका 12

6. उत्तराखण्ड पुलिस का विरोधाभास 12

7. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के सार्वजनिक वित्त पोषण में कमी 12

8. राज्य महिला नीति की आवश्यकता 12

अध्याय 2.

भाग 1 एक पिता की व्यथा की कहानी 13

भाग 2 मेडिकल साक्ष्य का विश्लेषणः पोस्टमार्टम रिपोर्ट 17

भाग 3 ऋषिकेशः अपराध स्थल का दौरा और विरोध कर रहे लोगों का साक्षात्कार 18

अंकिता को नहर में धकेले जाने और शव बरामद होने वाले स्थल का दौरा 18

वनंतरा रिजॉर्ट और गंगा भोगपुर तल्ला गांव का दौरा 18

कोयलघाटी, ऋषिकेश में धरना स्थल का दौरा 19

प्रमिला रावत से बातचीत, ऋषिकेश 21

आशुतोष नेगी से बातचीत, ऋषिकेश 22

भाग 4 श्रीनगर : मामले से जुड़े जनप्रतिनिधियों से बातचीत 23

भाग 5 देहरादूनः नागरिक समाज के समूहों के साथ बैठक 25

भाग 6 जुड़ती कड़ियां : अंकिता की हत्या से पूर्व के हालात और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का विश्लेषण 25

अभिनव का बयान 28

भाग 7 उत्तराखंड राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक 28

डीजीपी और एसआईटी प्रमुख–डीआईजी रेणुका देवी 28

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड से मुलाकात 30
राज्य महिला आयोग के साथ बैठक 31
अपर सचिव पर्यटन एवं अपर निदेशक उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के साथ बैठक 31
भाग 8 अंकिता भंडारी मामले में कानूनी हस्तक्षेप और उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा जांच की निगरानी 32
राज्य पुलिस द्वारा दायर काउंटर 33
भाग 9 उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबन्धित आंकड़े 35
अध्याय 3: महिलाएँ और उत्तराखंड पर्यटन उद्योग 37
पर्यटन और महिलाएं रोजगार 37
पर्यटन कार्यस्थलों में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा 38
अपंजीकृत पर्यटन संस्थान 39
अध्याय 4: उत्तराखंड में महिलाएं और रोजगार 41
परिशिष्ट 44
संलग्नक 1: तथ्यान्वेषण दल का गठन 44
संलग्नक 2 :अंकिता हत्याकाण्ड का घटनाक्रम 44
संलग्नक 3: पुलकित आर्य द्वारा राजस्व पुलिस में दर्ज प्राथमिकी 48
संलग्नक 4: बीरेंद्र भंडारी द्वारा राजस्व पुलिस के पास दर्ज की गई गुमशुदगी की रिपोर्ट 50
संलग्नक 5 ए: प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट 51
संलग्नक 5 बी: फ़ाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट 52
संलग्नक 6: पुष्प और अंकिता के बीच 17 और 18 सितंबर 2022 के व्हाट्सएप चैट संदेश 56
संलग्नक 7: वनंतरा रिज़ॉर्ट के कर्मचारी अभिनव के सोशल मीडिया वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट 66
संलग्नक 8: ज़ीरो एफ़आईआर सम्बन्धी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश 68
संलग्नक 9: डीजी पुलिस उत्तराखंड, देहरादून को दिया गया ज्ञापन 70
संलग्नक 10: मुख्य सचिव उत्तराखण्ड को दिया गया ज्ञापन 73
संलग्नक 11: राज्य महिला आयोग, देहरादून को सौंपा गया ज्ञापन 77
संलग्नक 12: उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को ज्ञापन 78

प्रस्तावना

सिर्फ 19 साल की एक युवती अंकिता भंडारी, जिसने उत्तराखंड के ऋषिकेश के पास वनंतरा रिसॉर्ट में अपनी पहली नौकरी 20 से भी कम दिनों तक की थी, को उसके रिसॉर्ट के मालिक और उसके सहयोगियों ने मार डाला क्योंकि उसने रिसॉर्ट में आने वाले वीआईपी मेहमान के लिये एक्स्ट्रा सर्विस देने से इनकार कर दिया था। 18 सितंबर, 2023 की रात को उसकी हत्या कर के उसे रिसॉर्ट से कुछ दूर नहर में फेंक दिया। हत्या के चार दिन बाद तक भी अंकिता के पिता की एफआईआर दर्ज नहीं की गयी।। छठे दिन यानी 24 सितंबर को अंकिता का शव बैराज से बरामद किया गया। राजस्व और रेग्युलर पुलिस द्वारा 72 घंटे तक भी जांच प्रक्रिया शुरू न करने के बाद, हत्यारों को सबक सिखाने के नाम पर मौजूदा विधायक द्वारा महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने का एक और आपराधिक कृत्य किया गया।

यह जनता का आक्रोश ही था जिसने अंततः सरकार को कार्यवाही करने के लिए मजबूर किया। जनता और सोशल मीडिया द्वारा इस मुद्दे को गंभीरता से उठाये जाने पर इसकी जांच नैनीताल उच्च न्यायालय की निगरानी में हुई। वकीलों ने बिना शुल्क लिये इस केस की पैरवी की और यह तर्क दिया कि इस मुददे पर राजनीतिक दल भी चुप्पी नहीं साध सकते क्योंकि लोग कार्यवाही की मांग कर रहे हैं।

अंकिता की हत्या के 40 दिन बाद एक नेशनल फैक्ट फाइंडिंग टीम उत्तराखंड पहुंची। इसका गठन उत्तराखंड महिला मंच की पहल पर किया गया था और इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक के महिला समूहों, जन संगठनों और महिला मोर्चों, मानवाधिकार संगठनों, वकीलों और पर्यटन विशेषज्ञों के 30 प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। 27 से 29 अक्टूबर तक टीम ने अपराध स्थलों का दौरा किया व आंदोलनकारियों, सिविल सोसाइटी के लोगों, कई जनसंगठनों, के साथ–साथ उत्तराखंड के सरकारी अधिकारियों का साक्षात्कार लिया। टीम ने इस दौरान कई चिंताओं और सवालों को उठाया, इस उम्मीद के साथ कि जांच एजेंसियों और अधिकारियों द्वारा जवाब दिया जाएगा।

अब जब कि यह रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है और जिसे राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर जारी किया जा रहा है, नैनीताल उच्च न्यायालय द्वारा कहा जा चुका है कि सही जांच की जाय और एसआईटी द्वारा इस मामले में चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है, हम इस बात से निराश हैं कि चार्जशीट में बहुत से महत्वपूर्ण सवाल अनुत्तरित हैं जैसे कि वह वीआईपी कौन था, जिसके कारण अंकिता को अपनी जान गंवानी पड़ी। उच्च न्यायालय का फैसला भी उत्तराखंड एसआईटी की रिपोर्ट के इस स्पष्टीकरण के साथ जाता हुआ दिख रहा है कि वीआईपी शब्द का इस्तेमाल वीआईपी सुइट में रहने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है। उच्च न्यायालय को यह भी नहीं लगा कि मौजूदा विधायक रेनू बिष्ट ने दुर्भावना के चलते जानबूझ कर सबूत नष्ट किये और उत्तराखंड पुलिस ने इसे आपराधिक कृत्य नहीं माना। इसलिए चार्जशीट में उन्हें सह–आरोपी भी नहीं बनाया गया।

यह रिपोर्ट इस मामले की एक अंतरिम टिप्पणी की तरह समझी जा सकती है।

यह रिपोर्ट हमारे दिलों में उस लड़की की स्मृति को हमेशा जिन्दा रखेगी, जिसने अपनी गरिमा को बनाये रखने के लिए अपनी जिन्दगी खो दी लेकिन एक सेक्स वर्कर बनना मंजूर नहीं किया। यह रिपोर्ट इस देश की उन तमाम युवा लड़कियों को समर्पित है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही हैं, अपने जीवन और स्वतंत्रता की गारंटी चाहती हैं तथा समाज में अपना योगदान करते हुए, उपभोग की वस्तु के रूप में नहीं, एक कार्यशील इंसान के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं।

राष्ट्रीय तथ्यान्वेषण टीम

7 फरवरी 2023

परिचय

अंकिता भंडारी की हत्या अंकिता के परिवार, जनता और जांच एजेंसियों के लिए बिल्कुल भी "रहस्य" नहीं है। जहां तक महिला आंदोलन द्वारा गठित तथ्यान्वेषी दल का संबंध है, हमारे लिए यह मामला बिल्कुल साफ है। दल ने अंकिता के पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से बातचीत की, ऋषिकेश, श्रीनगर और देहरादून के नागरिक समाज समूहों से मुलाकात की, घटना स्थल जहां अंकिता का शव मिला और जिस रिसॉर्ट में उसने काम किया, वहां का दौरा किया, कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, उच्चस्तरीय नौकरशाहों और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष से बातचीत की। मीडिया के साथ–साथ प्रमुख गवाहों के सोशल मीडिया पर आये कई साक्षात्कार, चैट और उत्तराखंड उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका के दस्तावेजों और आदेशों की पड़ताल के आधार पर दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा।

दल के सामने ये दुखद सच भी आया कि अपने आखिरी 24 घंटे अंकिता अपने कथित हत्यारों के साथ बिताने के लिए मजबूर थी। जाहिर है, वह काफी असुरक्षित महसूस कर रही थी और यह उसने अपने सोशल मीडिया चैट्स के जरिए अपने दोस्त से भी साझा किया। वह उसी तरह के गहरे डर में थी जैसे कि कोई पिंजरे में कैद जानवर हो। उसने अपने मित्र को स्पष्ट रूप से कहा था, "अब तो मैं फँस चुकी हूँ"। यह समझना मुश्किल नहीं है कि उसने पुलिस की मदद क्यों नहीं मांगी। उसके कथित हत्यारों ने उसे धमकाया था कि अगर वह वीआईपी मेहमान के साथ नहीं सोएगी, तो वे पुलिस से यह कह कर उसे गिरफ्तार करा देंगे कि वह एक "वेश्या" है।

अंकिता का दोस्त दूसरे शहर में रहता था। जैसा कि ज़्यादातर होता है, लड़कियां अपने परिवार के सदस्यों या किसी और से भी यौन हमलों के खतरों को साझा नहीं कर पाती हैं। वे यौनिकता से जुड़े तथाकथित 'सम्मान' के बोझ को ढोने के लिए मजबूर होती हैं और उनके ऊपर हुई यौन हिंसा को इज्ज़त चले जाने के रूप में देखा जाता है और अक्सर पीड़ित को ही दोषी बताया जाता है। शायद इसलिए भी अंकिता अपने पिता को इन खतरों को नहीं बता सकी, जो पास होने के कारण शायद समय पर पहुँच सकते थे और उसकी हत्या होने से बच सकती थी।

अंकिता की कहानी हमें बताती है कि हमें अपनी बेटियों को भरोसे और विश्वास के माहौल में यह सिखाना है कि उनका जीवन 'सम्मान' या 'अपमान' की किसी भी सामाजिक धारणा से अधिक कीमती है। उनके जीने के अधिकार से कोई समझौता नहीं हो सकता।

उत्तराखंड महिला मंच की पहल पर एक राष्ट्रीय तथ्यान्वेषी दल का गठन किया गया, (संलग्नक–1) जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक के महिला समूहों, जन संगठनों, मानवाधिकार संगठनों, वकीलों और पर्यटन विशेषज्ञों के 30 प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। 27 से 29 अक्टूबर के बीच इस दल ने घटना स्थलों का दौरा किया, विरोध स्थलों पर नागरिक समाज समूहों के प्रतिनिधियों के साथ–साथ सरकारी अधिकारियों से बातचीत की।

इस तथ्यान्वेषण का उद्देश्य रहा कि :

- यह जांच करना और तथ्यों को सामने लाना कि कैसे एक युवा लड़की के एक कामकाजी महिला बनने के सपने को ख़त्म किया गया।
- यह समझा जाए कि कैसे पुलिस तथा प्रशासनिक प्रणाली ने न केवल उस युवा लड़की के साथ, पर उसके परिवार के साथ भी अन्याय किया ।
- निगरानी और रोक–थाम के लिए नीति और कार्यान्वयन तंत्र में बदलाव का सुझाव देना।

इस टीम की सदस्य थीं :

चंद्रकला, निर्मला बिष्ट, उषा भट्ट, पद्मा गुप्ता (उत्तराखंड महिला मंच, देहरादून), माया चिलवाल, बसंती पाठक, उमा भट्ट, शीला रजवार (उमम, नैनीताल), पुष्पा चौहान (उत्तरकाशी), कविता श्रीवास्तव और दिव्यांशी शर्मा (पीयूसीएल, राजस्थान), श्रुति जैन (स्वतंत्र शोधार्थी, हल्द्वानी), विनीता यशस्वी (पत्रकार, नैनीताल), ऋचा सिंह (एनएपीएम, सीतापुर, यूपी) अदिति चंचानी (पर्यटन शोधकर्ता, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश), शिवानी पांडे (आइसा, श्रीनगर), हीरा जंगपांगी (महिला किसान अधिकार मंच, उधमसिंह नगर),मेहविश खान (वकील, जागोरी, हिमाचल प्रदेश), उमा भट्ट (भा.ज्ञा.वि.समिति, देहरादून), मैमूना, दमयंती नेगी, इंदु नौडियाल (अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला समिति , देहली और देहरादून), दीप्ति भारती (भारतीय महिला संघ, दिल्ली), मालती हलदार (ऐपवा, देहरादून), जून और योगेश (कर्नाटक विद बिलकिस बानो, बेंगलुरु, कर्नाटक), मलिका विर्दी (उमम, मुनस्यारी), विजया नैथानी, शकुंतला मुंडेपी (उमम, देहरादून)।

हिन्दी रिपोर्ट तैयार करने में स्वाति मेलकानी, आकांक्षा तथा शिवराज ने सहयोग किया।

अध्याय 1

मामले का विहंगावलोकन और तथ्यान्वेशण दल द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे

1. आपराधिक मामले का संक्षिप्त कालक्रम (विस्तृत घटना क्रम के लिए देखें संलग्नक–2)

उत्तराखण्ड के पौड़ी गढ़वाल जिले के डोभ श्रीकोट गांव की 19 साल की एक युवा लड़की अंकिता भंडारी अपनी उम्र की अन्य लड़कियों की तरह आशाओं, सपनों और आकांक्षाओं से भरी थी। रोजगार के साथ–साथ वह एक डिग्री हासिल करने की कोशिश भी कर रही थी। घर से वित्तीय सहायता की कमी के कारण (उसके पिता को कोविड के दौरान अपनी नौकरी खोनी पड़ी थी) उसे नौकरी कर अपनी और अपने परिवार की मदद करनी थी। वह उत्तराखंड के ऋषिकेश क्षेत्र में पौड़ी गढ़वाल जिले के गंगा भोगपुर तल्ला गांव में वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम कर रही थी, यह उसका पहला और एकमात्र रोजगार था। यह रिजॉर्ट महज छह महीने पुराना था। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य इसका मालिक था और वही इसका संचालन भी कर रहा था। अंकिता को इस रिसॉर्ट में रोज़गार मिले केवल 18 दिन बीते थे, 1 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2022 तक। हालांकि वह रिसॉर्ट में 28 अगस्त, 2022 को आ गई थी। रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और वहाँ के प्रबंधक सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने 18 तारीख को कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी थी। यह घटना पशुलोक पुल और रिसॉर्ट के बीच कुन्नाउ पुल के पास शाम को 8.30 बजे के बाद घटित हुई। अंकिता ने रिसॉर्ट में वीआईपी अतिथि के साथ यौन संबंध बनाने देने से इन्कार कर दिया था, इसलिए उसके हत्यारों ने 24 घंटे से अधिक समय तक उसे परेशान किया और अंत में उसकी हत्या कर दी, ताकि इस बात का कोई खुलासा न हो सके।

मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने राजस्व पुलिस (पटवारी चौकी, तहसील यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल) को अंकिता के लापता होने की सूचना देकर मामले को भटकाने का प्रयास किया। राजस्व पुलिस अधिकारी, वैभव प्रताप ने अंकिता भंडारी के लापता होने के बारे में न तो किसी अन्य अधिकारी को सूचित किया और न ही उन्होंने खुद से कोई कार्रवाई की, बल्कि वह छुट्टी पर चले गए। उसके माता–पिता को अंकिता के रिसॉर्ट से लापता होने की खबर 19 सितंबर 2022 को दोपहर के समय मिली। अंकिता के जम्मू में रहने वाले दोस्त पुष्प ने उसके पिता श्री बीरेंद्र सिंह को यह सूचना करीब शाम 4 बजे दी। पुष्प पिछले चौबीस घंटे से उसके ठिकाने के बारे में बहुत परेशान था क्योंकि पुलकित, सौरभ और अंकित की तिकड़ी इस बात से इनकार करती रही कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता है। पुष्प बहुत डरा हुआ था। वह जानता था कि अंकिता की जान को खतरा है।

तब अंकिता के पिता ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने और उसे खोजने के लिए भागदौड़ शुरू की। अगले 12 घंटों में पिता बीरेंद्र सिंह तीन नियमित थानों (पौड़ी शहर, मुनि की रेती और कोतवाली थाना ऋषिकेश) में गए, जहां उन्हें क्षेत्राधिकार के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया गया और अंत में पटवारी चौकी चीला जाने के लिए कहा गया। लेकिन वहां भी राजस्व अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण उन्हें कंडाखाल चौकी भेज दिया, जहां उनकी मुलाकात राजस्व पुलिस अधिकारी विवेक कुमार से हुई, जो उस समय चौकी में कथित हत्यारों पुलकित और अन्य के साथ बैठा हुआ था।

कई घंटे चौकी के बाहर इंतजार के बाद, उन्हें बताया गया कि पुलकित आर्य ने गुमशुदगी की एक विस्तृत रिपोर्ट दे दी है (देखें संलग्नक–3), वही जांच के लिए मुख्य रिपोर्ट होगी और उन्हें उनसे रिपोर्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। पिता के आग्रह करने पर, विवेक कुमार ने 20 सितंबर को दोपहर 2 बजे उनकी रिपोर्ट ले ली। (देखें संलग्नक–4)। पिता बीरेन्द्र सिंह के अनुरोध करने पर राजस्व अधिकारी ने अपराध–स्थल का दौरा किया, किंतु इस पूरे मामले की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी। जिससे यह मामला नियमित पुलिस को सौंपा जा सके। अंकिता को खोजने और निष्पक्ष जांच शुरू करने की प्रक्रिया में दोनों ही राजस्व पुलिस अधिकारी (पटवारी) रिसॉर्ट के मालिकों के साथ पूरी तरह मिली भगत कर रहे थे।

जांच की शुरूआत और उसमें तेजी लाने के लिए पिता बीरेंद्र सिंह दर–दर भटके, अंत में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल और विधानसभा अध्यक्ष सुश्री ऋतु खंडूरी सहित, देहरादून में वरिष्ठ अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क

करने के बाद, 22 की शाम को पौड़ी के जिला कलेक्टर ने उनके द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट का संज्ञान लिया और मामला थाना लक्ष्मण झूला (पौड़ी गढ़वाल) की नियमित पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया जिसके बाद जांच शुरू हो पाई।

23 सितंबर को ही तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया और 24 सितंबर को अंकिता का शव बरामद किया गया। उसी दिन एम्स, ऋषिकेश में पोस्टमार्टम हुआ। पोस्ट–मॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार (देखें संलग्नक–5 ए) अंकिता के शरीर पर सभी चोटें उसकी मौत से पहले की हैं, जो उसके मृत्यु से पहले डूबने का स्पष्ट सबूत है। चिकित्सकीय राय से अंकिता के गुप्तांगों के आसपास ऐसी चोटें नही हैं, जो भेदक यौन हमले को दर्शाता है, किंतु पूर्ण रूप से यौन हमले को खारिज नही किया जा सकता।

परिवार के दुख की घड़ी यहीं पर समाप्त नहीं हुई कि बेटी को मारकर नहर में फेंक दिया गया है, बल्कि पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने अंकिता के अंतिम संस्कार को भी एक राजनीतिक ड्रामे का रूप दे दिया। उन्होंने परिवार, पिता, पुत्र और मां पर दबाव डालते हुए श्रीनगर, गढ़वाल में 25 तारीख की शाम को अंकिता के शव का अंतिम संस्कार कर दिया, माँ को अपनी बेटी का अंतिम बार चेहरा भी नहीं देखने दिया। क्या सरकार का इससे ज्यादा क्रूर चेहरा कोई हो सकता था?

20 सितंबर से ही अंकिता भंडारी के लापता होने का मामला इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर छाया हुआ था। ऋषिकेश, देहरादून, श्रीनगर, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, रामनगर और राज्य के अन्य शहरों में कार्यकर्ताओं का इकट्ठा होना शुरू हो गया था। 24 सितंबर को एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और डीआईजी सुश्री पी रेणुका देवी और तीन अन्य वरिष्ठ पुलिसकर्मियों के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन कर दिया गया। जैसे यह सब काफी नहीं था, अपराध का स्थल (वनन्तरा रिसॉर्ट) जो पुलिस के नियंत्रण में था, स्थानीय भाजपा विधायक रेनू बिष्ट द्वारा लाए गए बुलडोजर से 23 की रात को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया गया। जिस कमरे में अंकिता रह रही थी, वह कमरा मलबे में तब्दील हो गया। इस बेशर्म हरकत ने लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया क्योंकि इससे साफ हो गया कि वहां मौजूद प्रशासन, सत्ता पक्ष और रिसॉर्ट मालिकों के बीच मिलीभगत चल रही थी जिसके कारण घटना से सम्बन्धित बहुमूल्य साक्ष्य नष्ट हो गए।

हालांकि पुलिस का कहना था कि यह विध्वंस जांच को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्रित कर लिए हैं। अंकिता के माता–पिता, विभिन्न आंदोलनकारी संगठन और नागरिक समाज के लोग इस कुचक्र का विरोध करने के लिए एकजुट हो गए और ऋषिकेश में दिन–रात का धरना शुरू कर दिया गया। लोगों द्वारा मांग की गई कि जांच सीबीआई को सौंपी जाए क्योंकि उन्हें स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं था और स्थानीय प्रशासन पर पुलकित का दबाव रहेगा। उनका यह भी मानना था कि जांच के समय जांच अधिकारियों द्वारा पक्षपात किया जाएगा और इससे अंकिता को न्याय नहीं मिल पाएगा।

इसी बीच उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक आपराधिक रिट याचिका दायर की गई, जो 19 अक्टूबर, 2022 को इस प्रार्थना के साथ सुनवाई के लिए आई थी कि राज्य स्तर की एसआईटी सहित स्थानीय पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं करेगी इसलिए जांच सीबीआई को स्थानांतरित की जाए।

इसी स्थिति के बीच नेशनल फैक्ट फाइंडिंग टीम ने 27 से 29 अक्टूबर 2022 को उत्तराखंड के विभिन्न स्थलों का दौरा किया। इस दौरान टीम ने अंकिता के माता–पिता, परिवार, श्रीनगर, ऋषिकेश और देहरादून के कई सिविल सोसायटी ग्रुप, पुलिस और नौकरशाही से संबंधित राज्य के अधिकारियों और मीडियाकर्मियों से मुलाकात की। उन्होंने महिला कामगारों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों को समझने के लिए वनंतरा रिसॉर्ट और पड़ोस के अन्य रिसॉर्ट्स का भी दौरा किया। यह रिपोर्ट हमारी सामूहिक टिप्पणियों का संकलन है।

2. आपराधिक न्याय प्रणाली का पूरी तरह ध्वस्त होना, खासकर राजस्व पुलिस और नियमित पुलिस प्रणाली दोनों की विफलता, साक्षों का नष्ट होना और मानवता की हानि

अंकिता की हत्या की कहानी सबसे प्राथमिक स्तर पर आपराधिक न्याय प्रणाली की पूर्ण विफलता को दर्शाती है। 19 तारीख से ही नियम–कानूनों को ताक पर रखते हुए कई दुर्भावनापूर्ण कार्यों को अंजाम दिया गया, कथित तौर पर अंकिता को मारने के बाद पुलकित ने झूठी सूचना दी कि वह लापता हो गई है। वास्तव में हत्यारों की मिलीभगत से, राजस्व पुलिस ने 20 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करने में देरी की, और प्रथम सूचना रिपोर्ट उसकी मौत के 48 घंटे बाद दर्ज की गई। उसके अगले 48 घंटे तक भी कुछ नहीं हुआ, आखिरकार चौथे दिन, 22 तारीख को मामला लक्ष्मण झूला में नियमित पुलिस को स्थानांतरित किया गया। 5वें दिन जाकर 23 तारीख को गिरफ्तारी हुई। 24 सितंबर को, हत्या के छठे दिन नहर से अंकिता की लाश बरामद की गई, जहां वह बैराज गेट के पास फंसी हुई थी। वर्तमान में देश में गुमशुदा महिलाओं के मामलों पर कार्रवाई में इस तरह की असामान्य देरी कहीं सुनाई नही पड़ती।

भाजपा विधायक रेनू बिष्ट के नेतृत्व में 23 सितंबर की रात को अपराध–स्थल सहित कीमती सबूतों को नष्ट करने दिया गया जिसमें पुलिस की आपराधिक लापरवाही और दुर्भावना दिखाई दी। यह ध्यान देने की बात है कि रेनू बिष्ट का खुद का एक रिसॉर्ट उसी इलाके में है। (https://www.newsreaders.in/uttarakhand/bjp-mla-renu-bisht-resort-video-gone-viral) यह केवल महिला समूहों और नागरिक समाज के सदस्यों द्वारा सोशल मीडिया पर और धरातल पर भी इस मुद्दे को जीवित रखने और उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मामले की निगरानी ही थी जिसके कारण पुलिस की जवाबदेही बनी और जांच को पटरी पर लाने में मदद मिली।

इस तरह उच्च न्यायालय में दायर हलफनामे और पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत में हत्या का निर्णायक मामला सामने आया जिसमे तीन अभियुक्त– पुलकित आर्य (35 वर्ष), अंकित गुप्ता उर्फ पुलकित गुप्ता (19) और सौरभ भास्कर (35) शामिल हैं।

3. इस आपराधिक मामले में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे इस प्रकार हैं :

3. i) पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस का निष्कर्ष है कि यह बलात्कार का मामला नहीं है।

केवल मेडिकल राय के आधार पर पुलिस द्वारा यह निष्कर्ष निकालने से कि अंकिता के साथ बलात्कार नहीं किया गया था, और यह हिंसा यौन हमले की श्रेणी की थी (धारा 354), यह सवाल उठता है कि क्या बलात्कार को केवल मेडिकल आधार पर खारिज किया जा सकता है जबकि गवाहियां, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कुछ और बोल रहे हैं।

पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार मेडिकल टीम ने कहा है कि, "हालांकि, यौन हमले की संभावना को खारिज नही किया जा सकता है लेकिन अंकिता के गुप्तांगों के आसपास ऐसी चोटें नही हैं, जो भेदक यौन हमले को दर्शाती हों।'' वास्तव में यह आश्चर्य की बात थी कि पुलिस ने साक्ष्य के रूप में इसका उपयोग करते हुए यह बयान जारी किया कि बलात्कार नहीं हुआ है। यौन हिंसा के मामलों में यह बात अब अच्छी तरह से स्थापित है कि चिकित्सा–साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए एकमात्र ठोस सबूत नहीं हैं कि जबरदस्ती वेधक यौन संबंध हुआ है या नहीं। इस मामले में प्रत्यक्षदर्शी गवाहों, सोशल मीडिया चैट और परिस्थितिजन्य साक्ष्य सहित अन्य सभी साक्ष्यों को देखना महत्वपूर्ण है।

यह एक तथ्य है कि अंकिता को रिसॉर्ट के एक अन्य कमरे में भेजा गया जो रिसॉर्ट में अन्य कर्मचारियों के निवास से अलग था (देखें 17 सितंबर को पुष्प के साथ चैट के स्क्रीन शॉट के पेज 40 संलग्नक–6)। जिसमें वह कहती है कि वह अपने कमरे से बाहर चली गई है क्योंकि "रिसॉर्ट में कई मेहमान आने वाले हैं और सभी कमरों की जरूरत है"। सतही तौर पर यह एक व्यावहारिक निर्णय हो सकता है, किंतु इस मामले में यह पुलकित के बुरे इरादों को दर्शाता है। उसे अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ सुरक्षित परिवेश से दूर लाया गया था, जिससे वह अकेली हो सके और पुलकित व उसके अन्य साथियों एवं वीआईपी को उस तक पहुँचने में आसानी हो। उसने अपने मित्र पुष्प से चैट के माध्यम से जिस असुविधा और चिंता की बात कही कि उसके जीवन को ख़तरा है, वह वास्तविक थी (देखें संलग्नक–6)।

पुष्प और अंकिता के बीच व्हाट्सएप चैट और ऑडियो संदेशों के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हत्या की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों को जोड़ते हैं। वे न केवल उसकी हत्या के कारणों का खुलासा करते हैं, बल्कि इन तथ्यों को उसके मृत्युपूर्व बयान की तरह लिया जाना चाहिए।

हाउसकीपिंग स्टाफ अभिनव ने जो इस मामले का चश्मदीद गवाह भी है, यह बयान दिया है कि "18 तारीख की शाम 6 बजे मैंने पुलकित को अंकिता का प्रत्यक्ष रूप से मुँह बंद करते हुए देखा जबकि वह फ़ोन पर किसी से मदद की गुहार लगा रही थी" (देखें संलग्नक–7)। जिसके बाद पुलकित एक घंटे तक दरवाज़ा बंद कर अंकिता के कमरे में था। पुलकित द्वारा कमरे की खिड़कियाँ बंद कर दी गई, क्योंकि रिसेप्शन पर बैठे लड़के अंदर देख सकते थे। उसके बाद अंकित भी कमरे में नाचते हुए आया। अभिनव ने यह भी कहा कि उसके बाद तीनों, पुलकित, सौरभ और अंकित शाम 7 बजे के बाद रिसॉर्ट से निकल गये, और अपने साथ अंकिता को भी दोपहिया वाहन में ज़बरदस्ती ले गये। यह केवल अगली सुबह पता चला कि अंकिता अपने कमरे में नहीं थी और लापता हो चुकी थी।

अंकिता का शव छह दिनों के लिए पानी में पड़ा था, इसलिए शरीर के गलने के साथ, कोई भी सबूत कैसे बरकरार रह सकता है। शरीर पानी में होने की स्थिति की वजह से उसके सबूत नष्ट हो गये होंगे।

इसलिए मेडिकल साक्ष्य को इस मामले में अंतिम कथन नहीं माना जा सकता है, भले ही हमारे पास विभिन्न नमूनों की एफएसएल रिपोर्ट हों जिसमें निचली और ऊपरी योनि के पास वीर्य या पुरुष डीएनए नहीं मिला है।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य, 17 की शाम को घटित घटनायें, कर्मचारियों की चश्मदीद गवाही एवं व्हाट्सऐप चैट और पुष्प के साथ हुई बातचीत से बलात्कार के सबूत निर्मित किए जाने चाहिए।

- **पुलकित बंद कमरे के अंदर एक घंटे तक क्या कर रहा था?**
- **क्या पुलिस साक्ष्यों के साथ इसका जवाब देने में सक्षम है?**
- **हाउसकीपिंग स्टाफ अभिनव को विश्वास है कि जब पुलकित अंकिता को कमरे के अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर रहा था, तो वहां पर मौजूद ड्राइवर भी उस बात का साक्षी था।**

हम पुलिस को यह बताना चाहते है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में बार–बार यह कहा है कि भले ही पीड़िता के शरीर पर कोई चोटें न हों, बलात्कार का आरोप तब भी बरकरार रहेगा। देखें कृष्णन बनाम हरियाणा राज्य, क्रिमिनल अपील नं. 1342/2012। **पिछले दशक के निर्भया केस के बाद उत्तराखण्ड पुलिस का केवल बाहरी चोटों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लेना कि रेप नहीं हुआ है, विधिशास्त्र और बुद्धि दोनों को नजरअन्दाज करने जैसा है।**

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो का डेटा यह दर्शाता है उत्तराखंड राज्य में होने वाले बलात्कारों की संख्या राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अधिक है और इन मामलों को बंद करने की दर भी बहुत अधिक है। वास्तव में यदि बलात्कार को केवल चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर देखा जायेगा तो ज्यादातर मामलों को इसलिए बंद कर दिया जाएगा कि बलात्कार साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष नहीं हैं।

- **यह महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड पुलिस बलात्कार की जांच के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करे, जिसमें गवाहों, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को पर्याप्त महत्व दिया जाय। ऐसा प्रतीत होता है कि अंकिता भंडारी मामले में अभी तक इन सब पर गौर नहीं किया गया है।**

3. ii) इस मामले में वीआईपी कौन था

विभिन्न गवाहियों, ऑनलाइन और ऑफ़लाइन बुकिंग की जाँच और विजिटर्स रजिस्टर के आधार पर पुलिस का कहना है कि वीआईपी शब्द का प्रयोग प्रेसिडेंशियल सुइट में ठहरने वाले लोगों के लिए किया जा रहा था।

सवाल यह उठता है कि जिस वीआईपी का जिक्र किया गया है, क्या वह होटल के कर्मचारियों द्वारा बोलचाल में इस्तेमाल के किए केवल नाम रख दिया गया है या फिर कोई शक्तिशाली व्यक्ति, राजनेता या कोई अन्य प्रभावशाली व्यक्ति है। उत्तराखंड एसआईटी को जनता के इस आरोप को गलत साबित करने के लिए हत्या की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए ताकि वह सिद्ध कर सके कि वह राजनीतिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति या वीआईपी का बचाव नहीं कर रही है।

3. iii) हत्याकांड में साक्ष्य नष्ट करने वाले आपराधिक कार्य पर पुलिस की चुप्पी :

कानून की नजर में साक्ष्य नष्ट करना एक गंभीर अपराध है।

- अपराध–स्थल को जाँच के उद्देश्य से सील क्यों नहीं किया गया?
- विधायक रेनू बिष्ट जिन्होंने बुलडोजर लेकर रिसॉर्ट को आंशिक रूप से ध्वस्त किया, उन्हें अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है ?
- उन्हें सरकारी बुलडोजर चलाने और कर्मचारियों का उपयोग करने की अनुमति किसने दी? क्या यह अनुमति देने में पौड़ी के जिलाधिकारी शामिल थे ?

पुलिस उच्च न्यायालय में अपने द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में इस पहलू पर खामोश रही है, और यह बताने की कोशिश कर रही है कि साक्ष्य अपराध स्थल से ही लिए गए हैं। हालांकि उनका ख़ुद ही यह भी कहना है कि फॉरेंसिक टीम द्वारा कोई जैविक साक्ष इकट्ठा नहीं किया गया है।

महत्वपूर्ण **साक्ष्यों को नष्ट करने के बावजूद** रेनू बिष्ट को उत्तराखण्ड राज्य द्वारा संरक्षण दिये जाने से स्पष्ट होता है कि शासन व्यवस्था के भीतर द्विवर्गीय व्यवस्था की संस्कृति कितनी हावी है। इसे करने के पीछे यह भरोसा

था कि इसके बावजूद न तो वह जांच के दायरे में आयेंगी, बल्कि सजा से भी मुक्त रहेंगी। वीआईपी को बचाने और दण्ड से उन्हें मुक्त रखने की नीयत भी स्पष्ट नजर आती है।

3. iv) गवाहों को अभी तक कोई सुरक्षा नहीं मिली है :

रिसॉर्ट के कर्मचारी अभिनव, कुश और अन्य एवं अंकिता का दोस्त पुष्प इस मामले में मुख्य गवाह हैं। इन्होंने ही हत्या के इरादे की कड़ी को जोड़ने में मदद की है।

- **अंकिता के व्हाट्सऐप मैसेज और स्टाफ से बातचीत मरने से पहले दिए गए बयान की तरह हैं।**

धारा 164 और प्रमुख गवाहों के बयान के बावजूद, पुलिस का यह तर्क पर्याप्त नहीं है कि किसी भी गवाह ने किसी तरह की धमकी या धमकाने की जानकारी नहीं दी। यहां यह कहना जरूरी है कि जीवन और स्वतंत्रता के मामलों में नियमित सतर्कता की आवश्यकता होती है। अदालत में पेश होने तक गवाहों को चौबीस घण्टे की पुलिस सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उत्तराखंड राज्य सरकार को जम्मू एंड कश्मीर और यूपी की पुलिस से समन्वय कर यह सुनिश्चित करना होगा कि पुष्प, अभिनव और कुश को सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराये जाएं।

3.v) ऐसा लगता है कि यहां न ही जीरो नंबर एफआईआर की कोई अवधारणा है और न ही एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है।

उत्तराखंड राज्य को विशेष रूप से जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में जीरो नंबर एफआईआर दर्ज कराने की एक नियमित प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है (संलग्नक–8, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश)।

पिता बीरेंद्र सिंह जिन कठिन परिस्थितियों से गुजरे, उससे हमें अपराधों की रिपोर्ट करने और उन्हें दर्ज करने की प्रणाली में गहरी खाई देखने को मिलती है। जीवन और स्वतंत्रता के मामले की कार्रवाई में देरी करने वाले पौड़ी गढ़वाल जिले और ऋषिकेश में स्थित तीन पुलिस स्टेशनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। इसे जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल ज़िले के जिलाधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि पटवारी पुलिस के पास दर्ज की गई गुमशुदगी की रिपोर्ट तीन दिन, 20 से 22 सितंबर तक बिना कार्रवाई के पड़ी रही। यह उनके प्रबंधन की विफलता है।

4. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 को लागू करने में विफलता।

यह कानून निजी क्षेत्र में तो लागू किया हुआ नहीं ही लगता है। यहाँ तक कि इन में से लगभग किसी भी रिसॉर्ट को कामकाजी महिलाओं के लिए बनाये गये इस अधिनियम के बारे में नहीं पता था और इसलिए इनमें कोई आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) नहीं थी। पर्यटन विभाग के अपर सचिव और प्रमुख सचिव के पास होटल व्यवसाय द्वारा इस क़ानून के वर्तमान अनुपालन पर कोई जवाब नहीं था।

इस क़ानून में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसका परिपालन न करने पर संस्थाओं को 50,000 रुपये तक का दंड देना पड़ सकता है। यही नहीं, बल्कि बार–बार अनुपालन न करने की स्थिति में उनका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। किंतु कानून का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में न तो किसी नियामक निकाय और न ही किसी प्रकार की निगरानी समिति का गठन किया गया है। जब हमने राज्य के प्रमुख सचिव और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष से खुलकर बात की तो हमने उन्हें बताया कि यदि होटल में कोई ऐसी समिति होती और अंकिता को इसके बारे में पता होता, तो वह उनसे बात कर सकती थी और शायद हम उसकी हत्या को रोक सकते थे।

चूंकि अंकिता भंडारी की हत्या एक पर्यटक रिसॉर्ट के भीतर हुई थी, इसलिए यह स्पष्ट है कि पर्यटन से संबंधित सभी इकाइयों की निगरानी और निरीक्षण के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता के बावजूद, यह रिसॉर्ट, राज्य के कई अन्य रिसॉर्ट की तरह पंजीकृत नहीं था और बिना किसी दण्ड के चल रहा था। राज्य में पर्यटन विभाग का काम न केवल राजस्व के लिए पर्यटन को बढ़ावा देना है, बल्कि वह रोजगार पैदा करने के लिए भी जिम्मेदार है। ऐसे रोजगार जो गरिमापूर्ण हों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले भी हों। हालांकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और निवारण उपायों को लागू करने के बारे में बात की जा रही है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस बात को कम से कम प्राथमिकता दी गई है।

अंकिता हत्याकांड के मीडिया में आने के बाद पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज द्वारा घोषणा की गई कि महिलाओं को काम करने के लिए सुरक्षित माहौल मुहैया कराया जाएगा। लेकिन इसका कोई अर्थ तभी होगा जब राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि वह इसके लिए कानून के परिपालन और निगरानी के लिए आवश्यक ढांचा स्थापित करने में विफल नहीं होगा।

5. राज्य महिला आयोग की भूमिका :

यह बात तो स्पष्ट है कि राज्य महिला आयोग ने इस मामले में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई, सिवाय फोन करने के वह भी तब, जब पिता ने आयोग से इस शिकायत के साथ संपर्क किया कि अंकिता के इतने दिनों से लापता होने के संबंध में उनकी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लगता है, यह आयोग आम लोगों के लिए सहयोग एवं समर्थन का जरिया नहीं रह गया है। होटल उद्योग की इस प्रतिक्रिया के बावजूद कि युवा महिलाओं को इस कार्य में नियोजित नहीं किया जाना चाहिए, महिला आयोग ने इस बात पर तुरंत कोई समाधान निकालने हेतु कार्रवाई नहीं की। अंकिता भंडारी की दिल दहलाने वाली हत्या की घटना के बाद आयोग की अध्यक्षा ने इस पर तुरंत ही महिला समूहों की बैठक नहीं बुलाई, जिसमें यह बातचीत की जा सके कि संकट में फंसी ऐसी महिलाओं तक कैसे पहुँचा जाये या वे अंकिता भंडारी केस में क्या भूमिका निभा सकते हैं। आयोग की अध्यक्ष ने राज्य में पेशेवर कामकाजी महिलाओं के हित के लिए राज्य सरकार को कोई प्रस्ताव या सुझाव पेश नहीं किया और फैक्ट फाइंडिंग टीम के दौरे के बाद ही महिला संगठनों के साथ महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कुछ संवाद शुरू किया है। महिला आयोग को भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न सम्बन्धी कानून के परिपालन पर निगरानी रखने की आवश्यकता है। हालांकि, फैक्ट फाइंडिंग टीम के दौरे के समय उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी।

6. यह उत्तराखंड पुलिस का विरोधाभास है कि वह कानून मानने वालों के प्रति सख्त होती है परन्तु कानून को न मानने वालों के लिए आखें मूंद लेती है।

कहने का आशय यह है कि उत्तराखंड पुलिस ने अंकिता के पिता को प्राथमिकी दर्ज करने से यह कह कर मना कर दिया कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और हमारी तथ्यान्वेषी टीम को रिसॉर्ट का साधारण दौरा करने से भी मना कर दिया। जब सबूत नष्ट करने के लिए मौजूदा विधायक बुलडोजर लेकर रिसॉर्ट में गई, उसमें तोड़–फोड़ की और उस परिसर में बने कारखाने के एक हिस्से को जला दिया गया, उस समय पुलिस को कोई नियम–कानून नजर नहीं आये। इससे पता चलता है कि यहां कानून मानने वालों पर कार्रवाई होती है और जो कानून की अवहेलना करते हैं, उनका सम्मान होता है।

7. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के सार्वजनिक वित्त पोषण में कमी : युवा महिलाओं और उनके सपनों की हत्या

'अंकिता के साथ यह कमी रही कि वह सरकार द्वारा वित्तपोषित व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में दाखिला नहीं ले सकी। यदि वह किसी सरकारी या सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान में पढ़ती तो आतिथ्य एवं होटल प्रबन्धन में अपनी शिक्षा पूरी कर लेती और फीस की कमी के कारण उसे पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी पड़ती। उत्तराखंड की कई युवा लड़कियां जो अंकिता की तरह नौकरी करके अपने परिवार की आर्थिक मदद करना चाहती हैं, उनके सपने भी अंकिता की तरह चकनाचूर हो सकते हैं। जबकि सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य में स्टार्टअप के माध्यम से कौशल विकास और उद्यमिता पर ध्यान केन्द्रित करके उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड को एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं।

इन बड़े दावों के बावजूद राज्य सरकार युवाओं के सपनों को पूरा करने में विफल रही है। यह तभी संभव होगा जब उन्हें, विशेषकर युवतियों को उच्च शिक्षा के लिए राज्य द्वारा आर्थिक सहायता दी जायेगी। यदि यह आर्थिक बोझ परिवारों पर छोड़ दिया जाय तो वे उच्च शिक्षा में होने वाले खर्च की प्राथमिकता में लड़कों को रखेंगे, जैसा कि इस केस में भी हुआ।

8. महिलाओं के लिए तत्काल राज्य नीति तैयार करना :

यह सही समय है जबकि उत्तराखंड राज्य, राज्य महिला आयोग और राज्य के महिला संगठनों के प्रतिनिधि मिलकर राज्य महिला नीति तैयार करें। राज्य निर्माण के दो दशक बीत जाने के बावजूद राज्य में महिलाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई इच्छाशक्ति नहीं रही। इसके विपरीत अन्य राज्य अपनी महिला नीति को अपडेट कर रहे हैं और इसे लागू करने के लिए अपनी सरकारों के साथ काम कर रहे हैं।

अध्याय दो

इस भाग में मामले की विस्तृत रिपोर्ट, पुलिस की लापरवाहियों का ब्योरा, आपराधिक न्याय प्रक्रिया में राज्य प्रशासन की प्रतिक्रिया, मेडिकल रिपोर्ट, परिस्थितिजन्य व अन्य इलैक्ट्रौनिक साक्ष्यों का विवरण है जिसे कुल नौ हिस्सों में बांटा गया है।

भाग–1

एक पिता के दुख की कहानी : अंकिता के पिता बीरेन्द्र सिंह भंडारी (उम्र 53 वर्ष) का बयान

सर्वप्रथम हम श्री बीरेन्द्र सिंह भंडारी से 27 अक्टूबर 2022 को उनके डोभ श्रीकोट, पौड़ी गढ़वाल स्थित घर में मिले। उनके घर में हमारी टीम की निम्नलिखित लोगों से मुलाकात हुई :

सोनी देवी अंकिता की माताजी
सत्ती देवी अंकिता की दादी
लीलावती अंकिता की ताईजी
राजेन्द्र सिंह भंडारी अंकिता के ताऊजी

अंकिता का संक्षिप्त जीवन परिचय

अंकिता का जन्म 11 नवम्बर 2003 को ग्राम डोभ श्रीकोट, जिला पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। वह 19 साल की थी। वर्ष 2020 में उसने भगतराम मॉडर्न स्कूल पौड़ी से 88 प्रतिशत अंकों के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अंकिता के पिता के अनुसार कोविड के दौरान उसने देहरादून स्थित श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में एक वर्षीय कोर्स में दाखिला लिया। जून 2021 तक उसने तीन महीने ऑनलाइन पढ़ाई की। कॉलेज दोबारा खुलने पर वह छः महीने के लिए कॉलेज गई। मार्च 2022 में वह घर वापस लौट आई क्योंकि कॉलेज फीस के 40000 रुपये जमा करने में उसके पिता असमर्थ थे। हालांकि वे पहले भी 45000 रुपये जमा कर चुके थे परंतु कोर्स पूरा करने के लिए और पैसों की आवश्यकता थी। कोविड महामारी के दौरान अंकिता के पिता बीरेन्द्र सिंह भंडारी अपनी नौकरी खो चुके थे। अतः होटल मैनेजमेंट इन्स्टीट्यूट से फीस के लिए कई बार फोन आने पर भी वे सारा पैसा जमा नही ंकर पाए और अंकिता कोर्स पूरा नही ंकर पाई।

जून 2021 में अंकिता ने ए.एन.एम. प्रवेश परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी परंतु उसे सरकारी कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल पाया तथा प्राइवेट कॉलेज से पढ़ना उसकी सामर्थ्य से बाहर था। अतः अंकिता को यह अवसर भी गंवाना पड़ा। इसके बाद उसने अपने मोबाइल में ऑनलाइन टाइपिंग सीखी। उसका भाई सी.ए. की पढ़ाई कर रहा है और घर पर एकमात्र लैपटॉप उसी के पास था। अंकिता कंप्यूटर सीखना चाहती थी और अपने खुद के एक लैपटॉप का सपना देखती थी। खैर, कंप्यूटर के अभाव में उसने ऑनलाइन स्टैनोग्रैफी सीखी। अंकिता के इंस्टाग्राम मित्र पुष्प ने उसे वनंतरा रिसॉर्ट में नौकरी के बारे में जानकारी दी। पुष्प ने रिसॉर्ट में फोन पर जानकारी चाही पर रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने आवेदक अंकिता से सीधे बात करने की शर्त रखी। बाद में अंकिता के खुद बात करने पर उसे नौकरी मिल गई। नौकरी के विज्ञापन में यह स्पष्ट था कि सिर्फ वे ही लड़कियां आवेदन कर सकती थीं जो रिसॉर्ट में ही रहने पर राजी हों। अंकिता इस पर सहमत थी। 1 सितम्बर 2022 को अंकिता ने अपनी नई नौकरी ज्वॉइन करनी थी। 28 अगस्त 2022 को उसके पिता बीरेन्द्र सिंह स्वयं अंकिता को छोड़ने गये ताकि वह नई जगह से भली भांति परिचित होकर पहली तारीख से अपना काम शुरू कर सके। रिसॉर्ट ऋषिकेश से 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पर था। 28 अगस्त को पूरा दिन रिसॉर्ट में बिताकर रात में बीरेन्द्र सिंह लौट आये। इस दौरान उन्होंने रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य से अंकिता की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। रिसॉर्ट में अन्य महिला

कार्मिकों की उपस्थिति के बारे में पूछने पर पुलकित आर्य ने बताया कि कुछ समय पहले ही रिसॉर्ट में चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उसने मेरठ निवासी एक दंपति को नौकरी से निकाला था। अंकिता की सुरक्षा के लिए आश्वस्त करते हुए पुलकित आर्य ने उन्हें अपने पिता विनोद आर्य की उसी परिसर में स्थित आयुर्वेदिक कैन्डी फैक्ट्री के बारे में बताया जिसमें कई महिलाएं काम करती थीं। बीरेन्द्र सिंह ने बताया कि लौटने के बाद उन्होंने 30 अगस्त को पुनः पुलकित को फोन करके अंकिता की सुरक्षा को लेकर बात की। पुलकित ने उनकी पुत्री की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए उन्हें निश्चिंत रहने को कहा।

अंकिता की मां सोनी भंडारी अंकिता से हर रोज एक या दो बार फोन पर बात करती थी। 17 सितंबर की शाम को अंकिता ने अपनी मां और दिल्ली में रह रहे भाई अजय से 34 मिनट तक कांफ्रैन्स कॉल की। बातचीत के दौरान अंकिता ने अपने साथ हो रहे बुरे बर्ताव के बारे में कुछ नहीं बताया। 18 सितम्बर 2022 को शाम 4.30 बजे अंकिता की मां ने उसे फोन पर मैसेज भेजा जिसका अंकिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। रात को दोबारा मैसेज भेजने पर भी जब अंकिता ने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने मान लिया कि शायद वह सो चुकी है।

19 सितम्बर 2022 को शाम 4 बजे बीरेन्द्र सिंह को पुष्प के फोन से पता चला कि अंकिता रिसॉर्ट में नहीं थी। पुलकित ने पुष्प को फोन करके अंकिता के सुबह 9 बजे से गायब होने की बात बताई थी। पर पुष्प ने अपनी खोजबीन के आधार पर उन्हें बताया कि अंकिता 18 सितम्बर की शाम से गायब थी। इसके बाद पुलकित आर्य ने भी बीरेन्द्र सिंह को अंकिता की गुमशुदगी के बारे में फोन किया।

बीरेन्द्र सिंह भंडारी की आपबीती

पिता बीरेन्द्र सिंह भंडारी शाम 6.30 बजे जीप से अपने गांव से पौड़ी थाने की ओर निकले ताकि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जा सके। परंतु पुलिस ने रिपोर्ट न लिखते हुए उन्हें रिसॉर्ट के समीप स्थित मुनि की रेती थाने में जाने को कहा। जब वे मुनि की रेती थाने पहुंचे तो उन्हें कोतवाली थाना ऋषिकेश जाने को कहा गया। ऋषिकेश कोतवाली थाने में पहुंचने तक आधी रात हो चुकी थी। थाना प्रभारी ने उन्हें बताया कि उनकी शिकायत पटवारी क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। ऋषिकेश में रात बिताने के बाद अगले दिन 20 सितम्बर को वे लक्ष्मण झूला थाना पहुंचे जहां से उन्हें पटवारी चौकी चीला राजस्व पुलिस के पास भेजा गया। यहां से पुनः उन्हें कांडाखाल चौकी भेजा गया। उन्हें क्षेत्र पटवारी वैभव प्रताप का नम्बर प्राप्त हुआ ताकि वे उनसे मिल सकें।

बीरेन्द्र सिंह भंडारी को पता चला कि पुलकित आर्य ने पहले ही पटवारी वैभव प्रताप को इस बाबत जानकारी दे दी थी परंतु वे बिना कोई कार्रवाई किये ही छुट्टी पर चले गये। बीरेन्द्र सिंह भंडारी को बताया गया कि वैभव प्रताप के स्थान पर विवेक कुमार चौकी का प्रभार संभाल रहे हैं अतः वे प्रातः 11.30 बजे कांडाखाल चौकी पहुंच गये। चौकी पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पटवारी विवेक कुमार पुलकित आर्य, विनोद आर्य, स्वाति पत्नी पुलकित आर्य सौरभ व अंकित के साथ बातचीत में व्यस्त थे। उन्हें बाहर इंतजार करने को कहा गया। तीन घंटे बाद दोबारा पटवारी कक्ष में जाने पर उन्हें पुनः बाहर इंतजार करने को कहा गया। एक घंटे से अधिक इंतजार करने के बाद भी जब उन्हें भीतर नहीं बुलाया गया तो वे सीधे भीतर घुस गये और पटवारी से अपनी गुमशुदा बेटी की रिपोर्ट लिखने को कहा। पटवारी ने बीरेन्द्र सिंह भंडारी को पुलकित व अन्य द्वारा पहले ही रिपोर्ट लिखवाने व उसके आधार पर जांच करने की बात कही। **जब अंकिता के पिता ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट लिखे जाने की जिद की तो पटवारी ने उन्हें रसीद देने से इंकार कर दिया। इसके बाद पटवारी ने सिर्फ एक लाइन की रिपोर्ट लिखी कि उनकी पुत्री गायब थी। इसके आगे और कुछ भी नहीं जोड़ा गया।**

बीरेन्द्र सिंह ने बताया कि उन्हें पुलकित द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट पढ़ने को दी गई। रिपोर्ट में पुलकित ने लिखवाया था कि अंकिता अवसाद में थी और वे उसे उसकी पसंदीदा चीजें खिलाकर खुश करने के लिए बाहर ले गये थे। देर शाम वे सब रिसॉर्ट में लौट आये और अगली सुबह से अंकिता गायब थी। बीरेन्द्र सिंह ने पटवारी विवेक कुमार से रिसॉर्ट का निरीक्षण करने की जिद की। उन्होंने बताया ''हम रिसॉर्ट में पहुंचे तो यह देखकर दंग रह गये कि सारे सीसीटीवी कैमरों के तार कटे हुए थे। ''मेरे पास पुष्प की भेजी हुई एक वीडियो रिकार्डिंग थी जो कि मैंने पटवारी को दिखाई। मैंने उन्हें बिजनौर

के एक कर्मचारी की रिकार्डिंग भी दिखाई। पटवारी ने उन सबको एक.एक कर बुलाया। यह सब देखकर पुलकित आगबबूला हो गया और हमें मारने के लिए आगे बढ़ा। सभी रिकार्डिंग सुनने के बाद भी पटवारी ने इस मामले की गम्भीरता के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित नहीं किया।''

बीरेन्द्र सिंह आगे बताते हैं, ''मैंने बाल कल्याण समिति पौड़ी गढ़वाल के सदस्य श्री सोहन सिंह को फोन करके उनसे पटवारी पुलिस से बात करने का आग्रह किया और उससे एफआईआर लिखकर तेजी से अंकिता के बारे में पता लगाने को कहा। 20 सितम्बर तक भी न तो मेरी रिपार्ट दर्ज हुई और न ही कोई छानबीन शुरू हो सकी। 21 सितम्बर को मैंने अपने एक परिचित से संपर्क किया जो विधान सभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूरी को जानते थे। शायद उन्होंने ही जिलाधिकारी को फोन किया था। इसके बाद मैं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल से मिलने गया जिन्होंने मेरे समक्ष ही पौड़ी गढ़वाल के जिलाधिकारी से फोन पर बात की। मैं डीजीपी से मिलने भी गया जिन्होंने बाद में पौड़ी के जिलाधिकारी से बात की। इस सबके बाद यह मामला जिलाधिकारी को हस्तान्तरित कर दिया गया तथा 22 सितम्बर को इसकी जिम्मेदारी जिला पुलिस पौड़ी गढ़वाल को सौंपी गई।''

पुलकित द्वारा दर्ज कराई गई अंकिता भंडारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट को एफआईआर में बदला गया। इस केस को लक्ष्मण झूला थाना, ऋषिकेश में दर्ज किया गया। सहायक पुलिस अधीक्षक शेखर सुयाल को इसकी तफ्तीश का काम सौंपा गया। उन्होंने तुरंत वनंतरा रिसॉर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने सौरभ भास्कर को गिरफ्तार किया जबकि अन्य फरार हो गए। 22 की रात या 23 को बहुत सबेरे विनोद आर्य पुलकित और अंकित को आत्मसमर्पण के लिए लेकर आया, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। बीरेन्द्र सिंह भंडारी बताते हैं, ''जब विनोद आर्य ने मुझसे अंकिता के मिलने के बारे में पूछा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उनसे उनके खुद के बेटे से इस बारे में पूछने को कहा।'' इन तीनों अभियुक्तों ने स्वीकारा कि **जब हमारे बीच बहस चल रही थी तो हाथापाई के दौरान अंकिता नहर में जा गिरी।''** इसी बीच ऋषिकेश में एक महिला प्रमिला रावत व उनके साथी विरोध प्रदर्शन के साथ 24 घंटे के भीतर अंकिता को ढूंढ निकालने की मांग कर रहे थे।

बीरेन्द्र सिंह के अनुसार, ''22 सितम्बर को पुलिस व फोरेंसिक टीम ने आकर वीडियोग्रैफी की। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस प्रकार के सबूत इकट्ठा किये। पर पुलिस को निश्चित रूप से घटनास्थल की सुरक्षा का जिम्मा लेना था। उन्होंने अपराध के सबूतों वाले घटनास्थल को बुलडोजर से तुड़वाने का आदेश कैसे दे दिया ? आखिर विधायक रेनू बिष्ट की क्या योजना थी ? यह सब सीसीटीवी फुटेज से पता चल सकता है पर मुझे नहीं पता, उनमें से कितने सीसीटीवी रिकॉर्ड को पुलिस कब्जे में ले पाई है। हालांकि पुलिस को 18 की शाम का वह सीसीटीवी फुटेज मिल गया है जिसमें चार लोग दो मोटर बाइक में जाते हुए दिख रहे हैं जिसमें अंकिता को पुलकित के पीछे की सीट पर बैठा देखा जा सकता है।''

23 सितम्बर की रात को क्षेत्रीय विधायक रेनू बिष्ट ने बुलडोजर लेकर अपराध स्थल को तुड़वा दिया। इस दौरान मुख्य द्वार के अलावा अंकिता के कमरे को तोड़ा गया है। फैक्ट्री में आग लगा दी गई। पुलिस ने इतना चिह्नित करके रेनू बिष्ट को सबूतों को मिटाने की अनुमति कैसे दे दी। यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि रेनू बिष्ट ने इसकी अनुमति पुलिस या कलैक्टर से ली थी या उसने अपनी इच्छा से यह काम कर डाला। **परंतु यह निश्चित है कि कमरा तोड़ने का यह काम महज अंकिता के मामले को कमजोर करने और अपराधियों को बचाने के लिए किया गया था। पुलिस और प्रशासन द्वारा दोषियों को बचाने के प्रत्यक्ष प्रयास किये गये हैं।** जिस प्रकार 24 तारीख को फैक्ट्री में आग लगा दी गई, उससे यह सिद्ध होता है कि उत्तराखण्ड में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। यदि कानून व्यवस्था होती तो पुलिस की नाक के नीचे ऐसे काम नहीं हो सकते थे।

बीरेन्द्र सिंह के अनुसार ''24 की सुबह बैराज से छह किमी दूर अंकिता का मृत शरीर मिला। उसे इस हालत में देखकर मुझे सदमा लगा। उसका शरीर अछूता था और किसी मछली ने उसका मांस नहीं खाया था। छह दिन तक पानी में रहने के बाद भी शरीर फूला नहीं था। यह आज भी मेरे लिए एक रहस्य है। शरीर में पांच जगहों पर चोटें लगी थीं। उसके दांत टूटे थे, हाथों में खरोंच के निशान थे और उसकी पीठ व हथेलियां काली पड़ गई थीं। 24 तारीख को ही दिन में दो बजे एम्स ऋषिकेश में पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस दबाव बना रही थी कि अंतिम संस्कार हरिद्वार में किया जाए। परन्तु डोभ श्रीकोट

निवासियों का शव दाह स्थल श्रीनगर में है। हमारे नहीं मानने पर मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उसी रात श्रीनगर लाया गया तथा बेस अस्पताल में रखा गया। हम उसे घर ले जाना चाहते थे पर उन्होंने हमें रोक कर अगले दिन सुबह वहीं शव दाह करने को कहा। **मेरी पत्नी को भी गांव से बुला लिया गया था। पुलिस व जिलाधिकारी ने हम सभी को अपने नियंत्रण में ले लिया। मेरी पत्नी को लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में रख दिया। मुझे और मेरे बेटे को पुलिस और प्रशासन ने अलग कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि हम आपस में सम्पर्क कर सकें।** हम केवल उनके माध्यम से एक–दूसरे को सन्देश भेज पा रहे थे। वे हम पर जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करने का दबाव बना रहे थे।''

परन्तु अस्पताल के बाहर नागरिकों का विरोध जारी था। वे अंकिता का दुबारा पोस्टमार्टम करवाने के साथ–साथ एक करोड़ रुपये मुआवजा तथा मेरे बेटे के लिए नौकरी की मांग पर अड़े थे। साथ ही उनका यह भी कहना था कि शुरूआती कार्रवाई में ढिलाई करने वाले पुलिसकर्मी व पटवारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हम आज भी सम्बन्धित अधिकारियों के लिए सजा व बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। शाम छह बजे के करीब मुझे मुख्यमंत्री ने फोन करके तुरन्त शव की अंतिम क्रिया करने को कहा। इधर जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हम पर तुरन्त शव दाह करने का लगातार दबाव बना रहे थे और आखिर में हमें उनकी बात माननी पड़ी।''

''अंत में अंकिता की मां को उसका चेहरा बिना दिखाये ही हमें शवदाह की जगह पर ले जाया गया और शाम करीब 6/7 बजे श्रीनगर में अंकिता का अन्तिम संस्कार हुआ। **उन्होंने हमें बताया कि अंकिता की मां आई.सी.यू. में भर्ती है। हमें लगा कि शायद पुत्री को खोने के सदमे के कारण वह बीमार पड़ गई। पर यह सब झूठ निकला। क्योंकि वह न तो बीमार थी और न ही उसकी हालत गंभीर थी।** हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिजिटल प्रति है जिसमें अंकिता के टूटे हुए दांतों का जिक्र तक नहीं है।''

''ऋषिकेश और देहरादून के कुछ छात्र समूहों ने मामले की सी.बी.आई. जांच को लेकर एक तिरंगा यात्रा निकाली थी जो 16 अक्टूबर को हमारे घर से शुरू होकर वनंतरा रिसॉर्ट के लिए निकली। उन्हें रिसॉर्ट से वापस लौटना पड़ा। 17 अक्टूबर को यात्रा ऋषिकेश में धरनास्थल पर जाकर पूरी हुई। अंकिता के लिए न्याय की मांग पर यह धरना आज भी जारी है।''

बीरेन्द्र सिंह ने यह भी बताया कि उनके गांव के एक पत्रकार आशुतोष नेगी ने उच्च न्यायालय में दलील पेश की है कि इस मामले की जांच सी.बी.आई. से कराई जाए। **चूंकि आशुतोष ने मामले की शुरूआत से ही इस मुद्दे को उठाया है इसलिए उन्हें आर.एस.एस. की एक इकाई से धमकियां मिल रहीं हैं।** इसलिए निष्पक्ष जांच होना जरूरी है। जब बीरेन्द्र सिंह से पूछा गया कि आप स्वयं इस याचिका में शामिल क्यों नहीं हैं तो उनका कहना था कि पत्नी का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वे आने–जाने में अभी असमर्थ हैं।

''हम एस.आई.टी की जांच से सन्तुष्ट नहीं हैं। हमें महसूस होता है कि एस.आई.टी. भी राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी आकर हमसे मिले। वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा हमें 25 लाख का मुआवजा मिला जिसे बैंक में जमा कर दिया है। हालांकि आन्दोलनकारी समूहों ने एक करोड़ मुआवजा राशि की मांग की थी। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने भी हमसे मुलाकात की। **भारतीय जनता पार्टी की एक सदस्य सुश्री उषा चौहान ने हमारे समर्थन में आवाज उठाई थी तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया।''**

टेलीफोन नम्बर–बीरेन्द्र सिंह भंडारी : 9720081348, (अंकिता के पिता), सोनी देवी : 8958300957, (अंकिता की मां) अजय सिंह : 96934482912, (अंकिता का भाई)।

भाग 2

चिकित्सकीय साक्ष्यों का विश्लेषण : पोस्टमार्टम रिपोर्ट

(संलग्नक 5 ए–प्रोविजनल रिपोर्ट, 5 बी–फाइनल रिपोर्ट)

अंकिता के पोर्स्टमार्टम की अंतिम रिपोर्ट के बारे में समस्त जनता व सामाजिक संगठनों को जानकारी मिल गई थी क्योंकि प्रारंभिक रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से जारी किया गया था। एम्स ऋषिकेश के चार चिकित्सकों द्वारा पोस्टमार्टम किया गया जिनमें से दो रेजिडैन्ट डॉक्टर थे जबकि अन्य दो एसोशिएट प्रोफेसर थे। उनमें रविप्रकाश मिश्रा, एसो. प्रोफेसर, डॉ. आशीष रमेश भुटे, एसो. प्रोफेसर, डॉ. विकास वैभव, वरिष्ठ रेजिडैन्ट एवं डॉ. यशपाल, कनिष्ठ रेजिडैन्ट शामिल थे। सम्पूर्ण पोर्स्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन करने पर तथ्यान्वेषण दल ने पाया कि अंकिता के शरीर पर सारी चोटें मृत्यु से पूर्व (एन्टे मार्टम) की हैं। इससे साफ पता चलता है कि या तो उसे अचेत अवस्था में पानी में फेंका गया था या फिर उसे कोई रासायनिक पदार्थ खिलाकर पानी में धकेल दिया गया। इससे यह भी पता चला कि शायद पानी में डुबाये जाने के बाद भी वह कुछ देर जिन्दा थी। इसकी पुष्टि विसरा के रासायनिक परीक्षण से की जा सकती है। अंकिता के पिता के अनुसार जांच के दौरान उसके शरीर में पांच चोटें थीं जबकि पोर्स्टमार्टम रिपोर्ट में पीठ की चोट का कहीं जिक्र नहीं है। अंकिता के पिता को यह भी आशंका है कि उसे डुबाकर मारा गया है क्योंकि मरने के छह दिन बाद भी उसकी लाश फूलकर बाहर नहीं आई।

पोर्स्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, ''जबरन किये गये भेदक लैंगिक हमले का कोई साक्ष्य नहीं मिला जबकि लैंगिक हमले की संभावना को पूर्णरूप से नकारा नहीं जा सकता। इससे जुड़े सैंपल संरक्षित रखे गये हैं।'' पोर्स्टमार्टम रिपोर्ट के कॉलम X में शरीर में पाये गये विभिन्न सैंपल शामिल हैं। इन सैंपलों को सीमन जांच व डीएनए पहचान के लिए लिया गया है। हमें उपरोक्त सैंपल की फौरेन्सिक च सीरम रिपोर्ट नहीं मिल पाई। अतः हम उक्त परिणामों से निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सके।

यहां पर यह कहना आवश्यक है कि शरीर पर पाई गई चोटों के निशान जबरन किये गये भेदक लैंगिक हमले के प्रमाण हैं। भले ही चिकित्सकीय साक्ष्य में इसकी पुष्टि नहीं की गई है पर अंकिता के साथ हुए भेदक लैंगिक हमले को नकारा नहीं जा सकता। आजकल जीवित महिलाओं के साथ हुए बलात्कार की पुष्टि के लिए चोटों के निशान, योनि के डीएनए सैंपल अथवा सीरोलॉजिकल रिपोर्ट का होना अनिवार्य नहीं है। बलात्कार की पुष्टि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों, महिला अभियोजक के बयान व अन्य गवाहों के आधार पर की जाती है। इस मामले में अंकिता पर प्रमुख हमला व प्रताड़ना उसके कमरे में की गई जिसकी परिणति नहर में उसकी मृत्यु के रूप में हुई। यौन हमले का प्रमुख साक्ष्य वह कमरा है जहां पुलकित ने उसे खिड़की और दरवाजे बंद करके रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने बार–बार अपने फैसलों में कहा है कि पीड़ित के शरीर पर चोट के निशान न पाये जाने पर भी बलात्कार के आरोप बरकरार रहेंगे। देखें– कृष्णन बनाम हरियाणा सरकार, क्रिमिनल अपील न. 1342/2012। अतः उत्तराखण्ड पुलिस का बलात्कार न होने का निष्कर्ष न केवल न्यायशास्त्र की अनदेखी करता है बल्कि बलात्कार को लेकर उस सारी समझ को भी खारिज करता है जो कि निर्भया काण्ड के बाद बनी है।

भाग 3

ऋषिकेश : अपराध स्थल का दौरा एवं जनप्रतिनिधियों से साक्षात्कार

27 अक्टूबर 2022 को तथ्यान्वेषण दल के सदस्यों ने उस जगह का दौरा किया जहां अंकिता को कैनाल में धकेला गया था और जहां उसका मृत शरीर मिला, वनन्तरा रिसॉर्ट, जहां वह काम करती थी, वनन्तरा रिसॉर्ट से लगा हुआ दूसरा रिसॉर्ट। दल के एक समूह ने भोगपुर मल्ला के निवासियों से भी बात की। टीम के पीछे–पीछे पुलिस की गाड़ी भी साथ चली।

बीरभद्र पुल पर लगे सीसीटीवी कैमरों में पुलकित व दो अन्य को अंकिता को वनन्तरा रिसॉर्ट से साथ ले जाते देखा जा सकता है। सीसीटीवी की फुटेज से स्पष्ट होता है कि वे चीला कैनाल से लगे उस मार्ग से भली–भांति परिचित थे और उन्हें यह भी पता था कि किन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। यहीं आखिरी बार अंकिता को तीनों आरोपियों के साथ जीवित देखा गया था। कनाऊ पुल की पुलिया पर लगी वह रेलिंग जिससे आरोपियों के अनुसार अंकिता हाथापाई के दौरान गिर गई थी, की ऊंचाई लगभग साढ़े चार फीट थी। यहां यह प्रश्न उठते हैं :

- एक पांच फीट लम्बा व्यक्ति कनाउ पुल के इतने उंचे बैरिकेड्स से नीचे कैसे गिर सकता है ?
- आरोपी अंकिता को बीरभद्र बैराज के इलाके में क्यों लेकर गये ?

टीम ने उस स्थान का दौरा भी किया जहां से राज्य आपदा बचाव दल (एसडीआएफ) ने अंकिता के मृत शरीर को निकाला। हमारे साथ आंवला न्यूज के योगेश डिमरी भी थे। चीला बैराज की चीला पावर हाउस से दूरी लगभग 5 किमी है। इसी स्थान पर अंकिता को बैराज में धकेलने का आरोप है। यहां फिर प्रश्न उठता है :

- यदि अंकिता का शरीर पांच दिन तक कैनाल में पड़ा रहा तो उसे किसी भी मछली ने क्यों नहीं खाया जबकि उस स्थान में मांसभक्षी मछलियां हैं।

वनन्तरा रिसॉर्ट एवं गंगा भोगपुर तल्ला गांव का दौरा :

वनन्तरा रिसॉर्ट गंगा भोगपुर तल्ला गांव में स्थित है। यह एक समतल निचली जमीन है जो कि राजाजी नेशनल पार्क से लगी है। इस प्रतिबंधित क्षेत्र में कई होटल, स्पा एवं अन्य प्रतिष्ठान हैं। स्थानीय लोगों क कहना है कि इनमें से अधिकांश रिसॉर्ट उत्तराखण्ड से बाहर के धनी लोगों के हैं। अंकिता की मृत्यु के बाद उनके मन में डर बैठ गया है। यहां प्रश्न उठता है :

- इस इलाके में निर्माण कार्य की अनुमति कैसे प्राप्त हुई ?

वनन्तरा रिसॉर्ट का दौरा

रिसॉर्ट के बाहर 25 सदस्यों वाला पुलिस बल तैनात था। महिला पुलिस ने भी घेराबन्दी कर रखी थी। तथ्यान्वेषी दल को भीतर जाने से रोक दिया गया। दल के आने की जानकारी मिलते ही वहां पुलिस बल को लगा दिया गया था। इतनी भारी पुलिस की तैनाती का कारण पूछने पर बताया गया कि जिस दिन अंकिता का मृत शरीर मिला था, स्थानीय गांव वालों ने रिसॉर्ट को जलाने का प्रयास किया था। इस बारे में भोगपुर मल्ला के ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने आग नहीं लगाई थी। पुलिस उन बदमाशों को भली भांति जानती है पर वह ग्रामीणों पर दोष लगा रही है। वनन्तरा रिसॉर्ट स्वदेशी ब्राण्ड की आयुर्वेदिक कैंडी बनाने वाली फैक्ट्री की जमीन पर बना हुआ है। यह गैरकानूनी ढंग से बना हुआ है। इस आयुर्वेदिक फैक्ट्री के मालिक मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता बीजेपी के पूर्व दर्जा मंत्री व अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य विनोद आर्य हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि वे बहुत कम कीमत पर फैक्ट्री में काम करते थे। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि उन्होंने पुलकित को देखा था। वह एक बार कैम्पफायर के लिए गांव में लकड़ियां लेने के लिए आया था।

हमारी टीम आस–पास के लोगों से एवं चाय या अन्य दुकान मालिकों से बातचीत में असमर्थ रही क्योंकि वहां भारी पुलिस की तैनाती के साथ–साथ सादे कपड़ों में भी पुलिस वाले मौजूद थे। वनन्तरा रिसॉर्ट के पीछे स्थित डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल साइंस के होस्टल के प्रभारी से भी टीम ने बात करनी चाही पर वे कुछ नहीं बोले।

गंगा भोगपुर मल्ला (जो एक राजस्व गांव है) का दौरा करते वक्त टीम दो भागों में बंट गई। पहला दल ग्राम प्रधान से बात करने गया जबकि दूसरा दल गांव की महिलाओं से बात करने लगा। महिलाओं का अनुमान था कि शायद अंकिता को मारकर होटल में रखा गया और इसीलिए किसी को भी भीतर जाने से रोका गया। उन्होंने यह भी बताया कि भाजपा विधायक रेनू बिष्ट द्वारा आधी रात में बुलडोजर चलवाकर अंकिता का कमरा ढहाया गया था। उन्हें यह लगता था कि इतनी जल्दबाजी दिखाने के पीछे सबूत मिटाकर अपराधियों को बचाने की मंशा थी। उस रात दो बजे और तीन बजे, दो बार बुलडोजर आया था। उनके कई सवाल थे, जैसे –

- आखिर विधायक रेनू बिष्ट को यह कैसे पता चला कि अंकिता किस कमरे में रह रही थी?
- यदि होटल गैरकानूनी था तो उसे पूरी तरह ध्वस्त क्यों नहीं किया गया?

ग्रामीणों के अनुसार रिसॉर्ट में आने वाले पर्यटक बहुत कम कपड़ों में आसपास घूमा करते थे। इसके कारण उन्हें लकड़ी और घास लेने जंगल जाने वाली महिलाओं की सुरक्षा की चिन्ता लगी रहती थी। कुछ का यह भी कहना था कि अब वे अपनी जमीन बाहरी लोगों को नहीं बेचेंगे।

दूसरी टीम कुछ स्थानीय दुकानदारों से मिली जिनसे पता चला कि गंगा भोगपुर तल्ला की जमीन भी पहले गांव वालों की ही थी। नदी से लगे होने के कारण गांव का बरसात में हर साल ऋषिकेश से सम्पर्क टूट जाता है। बाढ़ के कारण खेती को नुकसान होता है। जंगली जानवरों से भी खेती को खतरा है। रिसॉर्ट की गतिविधियों का गांव पर सीधे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए अंकिता की गुमशुदगी की जानकारी दुकानदारों को ग्राम प्रधान से या सोशल मीडिया से मिली। टीम ने ग्राम प्रधान के घर और ऑफिस का दौरा किया पर उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। स्थानीय लोगों से बातचीत में यहां भी स्थानीय खुफिया इकाई का पहरा था।

ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पुलकित का यह रिसॉर्ट पहले एक बंगाली महिला द्वारा चलाया जाता था जिसने इसे लीज पर लिया था। आंवला कैण्डी फैक्ट्री का संचालन पुलकित की पत्नी स्वाति के द्वारा किया जाता है। कुछ स्थानीय महिलाएं भी वहां काम करती थीं। इस घटना के बाद फैक्ट्री बन्द हो गई और कामगार औरतों को वहां से निकाल दिया गया। ग्रामीणों को इस बात का दुख था कि उन पर फैक्ट्री में आग लगाने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि यह बाहरी लोगों का काम था। इस घटना के बाद लोग अपनी लड़कियों की सुरक्षा के लिए चिन्तित रहते हैं।

अन्य रहवासियों से बात करने पर पता चला कि गांव में इंटरमीडिएट तक का एक स्कूल है पर उससे आगे की शिक्षा के लिए बच्चों को ऋषिकेश जाना पड़ता है। लड़कियां भी पढ़ी–लिखी हैं पर उनके लिए रोजगार उपलब्ध नहीं है। लड़के होटल और स्पा में काम करते हैं। गांव की लड़कियां होटलों और रिसॉर्ट में काम नहीं करती हैं।

हमारी टीम ने पनाम्बी रिसॉर्ट और स्पा के मैनेजर नृपेन्द्र चौधरी से भी बात की (विस्तृत रिपोर्ट अध्याय 3 में) पर उन्होंने अंकिता मामले में कोई बात नहीं की। सिवाय इसके कि इस हत्याकाण्ड के बाद व्यवसाय में काफी घाटा हुआ है।

धरनास्थल कोयलघाटी, ऋषिकेश का दौरा :

27 अक्टूबर को हमारी टीम ने हरिद्वार रोड में स्थित कोयलघाटी में धरनास्थल का दौरा किया। यहां 13 अक्टूबर से 'युवा न्याय संघर्ष समिति' के बैनर तले धरना देकर विरोध–प्रदर्शन किया जा रहा है। दल को निम्नलिखित आन्दोलनकारी मिले :

1.संजय सिल्सवाल 2. प्रमिला रावत 3. शकुन्तला 4. योगेश डिमरी 5. तरुणी देवी 6. सरस्वती देवी 7. तथा अन्य।

यहां सबकी यही मांग थी कि केस को एसआइटी से हटाकर सीबीआई को सौंपा जाए। संजय सिल्सवाल ने साक्ष्य एकत्र करने में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि माता–पिता के डीएनए सैंपल नहीं लिए गए। इन्होंने यह भी चिन्ता जताई

कि नौकरी दिलाने के नाम पर गरीब घरों की लड़कियों की तस्करी की जा रही है। त्रिभुवन चौहान लोकार्पण चैनल के लिए काम करते हैं। उन्होंने वनन्तरा रिसॉर्ट में अंकिता के कमरे का वीडियो बनाया था। उनका कहना था कि वीडियो बनाने के दिन अंकिता के कमरे में जो चादर थी, वह सीलिंग के दौरान गायब थी। रिसॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे काम नही ंकर रहे थे और बिजली के सारे तार उखड़े हुए थे।

प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 23 सितम्बर के प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी के साथ हुई बैठक में गुमशुदा अंकिता को जल्द से जल्द जिन्दा या मृत खोजने की मांग रखी गई थी। अगली सुबह 5 बजे चीला पावर हाउस बैराज से अंकिता का शव बरामद हुआ। पुलिस की प्रेस कान्फ्रेस में एएसपी शेखर सुयाल से पूछा गया कि अपराध स्थल का वीडियो बनाने वाला लड़का प्रफुल्ल कहां है ? उसके द्वारा वह वीडियो अपने दोस्त को रामनगर भी भेजा गया था। एएसपी का कहना था, इस प्रकार के कितने ही नाम निकलकर आयेंगे। यह ऑडियो संजय सिल्सवाल के पास है। उन्होंने यह भी बताया कि ग्रेटर ऋषिकेश के पास का इलाका तीन जिलों (पौड़ी, देहरादून तथा टिहरी) में विभाजित है, इसलिए प्रशासनिक समस्याओं का तुरन्त समाधान नहीं हो पाता।

प्रमिला रावत व शकुन्तला जी इस मामले में शुरूआत से ही मुखर होकर बयान दे रही हैं और अंकिता के परिवार के सदस्यों के साथ हैं। जैसे ही उन्हें अंकिता का शव मिलने के बारे में पता चला, वे तुरन्त वहां पहुंचे। अंकिता के पिता व भाई ने उसके नाक के छल्ले को देखकर उसकी पहचान की। उसका चेहरा जला हुआ था, सामने का दांत टूटा हुआ था, आंखें बाहर निकली हुईं थीं। शरीर फूल गया था पर उसे देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि पांच दिन से पानी में डूबा रहा हो। शरीर में खुले घाव थे, शरीर खुद ऊपर आ गया था। उन्होंने कहा, ''साफ तौर पर नहीं बताया गया कि शरीर को कहां ले जाया जा रहा है। पहले पौड़ी ले जाने की बात कही जबकि बाद में ऋषिकेश का नाम लिया।'' प्रमिला रावत ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ आये थे तो उन्होंने अपने खून से पत्र लिखकर भेजा था। उन्हें मोदी जी से मिलने तो नहीं दिया गया पर इतना जरूर कहा कि उनका पत्र प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया गया था।

प्रमिला रावत व अन्य महिलाओं ने बताया कि विधायक रेनू बिष्ट 23 तारीख की रात को वनन्तरा रिसॉर्ट में उपस्थित थी। भवन पर दो बार बुलडोजर चला पर केवल अंकिता का कमरा ही गिराया गया। रेनू बिष्ट के साथ जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ का नाम भी बार–बार सामने आया। अंकिता का कमरा ढहाने में आरती गौड़ भी शामिल थी। पोस्टमार्टम के दौरान भी रेनू बिष्ट एम्स परिसर के भीतर थी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल और आरती गौड़ भी एम्स आए थे पर भारी विरोध के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। प्रदर्शनकारी मौत का असली कारण जानने के लिए डाक्टरों से मिलना चाहते थे पर उन्हें न तो डाक्टरों से और न ही अंकिता के परिवार वालों से मिलने दिया गया। उस दिन 8–9 घंटे तक विरोध–प्रदर्शन चला तथा अन्त में पुलिस के लाठी चार्ज के बाद ही समाप्त हुआ। प्रमिला रावत ने बताया कि इसके बाद वे श्रीनगर चली गईं। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने अंकिता की मां को जबरन आइसीयू में भर्ती करा दिया और उसके पिता पर दबाव डालकर मां के बिना देखे ही अंकिता का अंतिम संस्कार करवा दिया गया। इस बात का भारी विरोध हुआ। भारी संख्या में स्त्री, पुरुष और छात्र वहां उपस्थित थे। पुलिस ने लाठियां बरसाईं। प्रमिला ने अपने शरीर पर लाठियों के निशान दिखाये।

ऋषिकेश में धरने में बैठे हुए लोगों ने निम्न सवाल उठाए –

- अंकिता के शव को उसकी मां के देखे बिना ही क्यों जला दिया गया ? दाह संस्कार हड़बड़ी में रात में ही क्यों कर दिया गया ?
- वीआइपी का नाम क्यों नहीं बताया जा रहा है ?
- अंकिता तीन दिन से गायब थी तो इस दौरान मानव तस्करी प्रकोष्ठ ने क्या कदम उठाया ?
- युवकों की तिरंगा यात्रा को वनन्तरा रिसॉर्ट में जाने से क्यों रोका गया ?
- क्या महज सबूत मिटाने के लिए अंकिता के कमरे में बुलडोजर चलाया गया? रेनू बिष्ट व आरती गौड़ का इस प्रकरण से जुड़ना कई सवाल पैदा करता है।
- पोस्टमार्टम के दौरान कोई महिला डाक्टर क्यों नहीं उपस्थित थी ?

प्रमिला रावत राज्य आंदोलनकारी व उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्या हैं, और लगातार इस घटना से जुड़ी हुई है। टीम के सदस्य उनसे 27 सितम्बर को कोयलघाटी ऋषिकेश में 'युवा न्याय संघर्ष समिति' के बैनर तले चल रहे धरनास्थल पर मिले। जहाँ अंकिता केस से संबंधित जानकारी उनसे ली गयी।

वनन्तरा रिसॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की गुमशुदगी के बारे में आपको कैसे पता चला ?

प्रमिला रावत 22 तारीख को स्थानीय अखबार व सोशल मीडिया के न्यूज़ चैनल के माध्यम से खबर मिली थी।

खबर मिलने के बाद आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या रही ?

प्रमिला मैंने ऋषिकेश के स्थानीय लोगों और देहरादून के साथियों से सम्पर्क किया। हम लक्ष्मण झूला थाने आये। वहाँ अंकिता के पिताजी व भाई से मुलाकात की। उन्होंने अपनी व्यथा विस्तार से बताई कि 19 सितम्बर से लड़की की गुमशुदगी की खबर के बाद से किस तरह से हम परेशान हैं। 3 थानों, पटवारी चौकियों के चक्कर लगाने के बाद भी हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। 22 ता. को आज यह केस लक्ष्मणझूला थाने में ट्रांसफर किया गया है। थाने में लोकल के काफी लोग थे, जो अपराधियों की गिरफ्तारी व अंकिता की बरामदगी की मांग कर रहे थे।

होटल मालिक पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित को पुलिस ने कब गिरफ्तार किया ?

प्रमिला 22 ता से ही लोगों ने थाने में घेराव किया था। रात को स्थानीय विधायक रेनू बिष्ट के साथ पुलकित आर्य के परिवार के लोग पुलकित आर्य, अंकित थाने में आये। पुलकित और अंकित की गिरफ्तारी हुई। सौरभ को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

...क्या सौरभ ने भी आत्मसमर्पण किया था? उसे कहाँ से पुलिस ने गिरफ्तार किया ?

प्रमिला 22 की रात मैं थाने में नहीं थी। मैंने अन्य से सुना कि उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। कहाँ से किया, ठीक से कुछ कह नहीं सकती।

.. 23 व 24 को इस मामले मे आप लोंगो ने आगे क्या किया ?

प्रमिला–– जनता ने थाने का घेराव तो 22 से ही किया था। 23 ता. को मैं देहरादून से लक्ष्मण झूला थाने आयी। थाने के बाहर लोग अंकिता की बरामदगी के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हमें थाने में बैठा दिया गया। स्थानीय प्रशासन व पुलिस के लोग हमसे अपने अपने घर जाने के लिए रिक्वेस्ट भी कर रहे थे परन्तु हमारी मांग थी कि जब तक अंकिता की बरामदगी नहीं हो जाती, हम थाना नही छोड़ेंगे। सारी रात हमने थाने में प्रदर्शन किया। सुबह के समय खबर आयी कि चीला बैराज से एक डेड बॉडी मिली है। हम अंकिता के परिजनों के साथ ही थे। अंकिता के परिजनों को शिनाख्त के लिए ले जाया गया। मैं व अन्य कुछ लोग उनके पीछे बरामदगी की जगह के लिए निकले। परिजनों को लेकर 108 बहुत तेजी से निकली, हमें काफी पीछे छोड़ दिया था 108 ने। अंकिता के भाई और पिताजी ने शव की शिनाख्त उसकी नोज रिंग से की थी।

क्या आपने भी अंकिता का शव देखा था ?

प्रमिला हाँ, अंकिता का शव एम्स की मोर्चरी में रखा था। अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। बहुत रिक्वेस्ट के बाद हम मॉर्चरी में गये, सबसे आगे मैं, मेरे पीछे सरोजनी, फिर आरती राणा और होटल का कर्मचारी मनवीर था। हम चारों ने शव को देखा। मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की लेकिन फोन छीन लिया गया। उसका चेहरा जला हुआ था, आगे का दाँत टूटा हुआ और आँखें बाहर को थीं। बॉडी थोड़ी फूली हुई थी, पर पांच दिन से पानी में हो, ऐसा नही लग रहा था। खुले घाव थे, हाथ की हड्डियां टूटी मालूम हो रही थीं। हमें अंदर रुकने नही दिया गया फटाफट बाहर कर दिया।

एम्स के बाहर काफी संख्या में लोग थे। सबसे हैरान करने बाली बात यह थी कि एम्स के अंदर विधायक रेनू बिष्ट मौजूद थी। वह वहां क्या कर रही थी ?

प्रमिला जी का यह भी कहना था कि हम लोग डॉक्टर से अंकिता की डेथ का कारण जानना चाहते थे। हमने एम्स की सड़क पर जाम लगाया हुआ था। पुलिस ने जाम खुलवाने के लिए लाठीबल का प्रयोग किया। जिसमें उन्हें भी चोटें आयी थीं, उन्होंने अपनी चोट (FF) तथ्यान्वेषण टीम के सदस्यों को भी दिखाई।

....चोट लगने के बाद क्या आपने अपनी मेडिकल जांच कराई ?

प्रमिला नही, मैंने कोई मेडिकल जांच नही करायी। मैं मानसिक रूप से बहुत टूटी व दुखी थी कि इस ओर ध्यान ही नही दिया।

....क्या अन्य किसी ने मेडिकल कराया है ?

प्रमिला इसकी कोई जानकारी नहीं।

बहुत सारे प्रश्न प्रमिला रावत के भी हैं। साक्ष्य को मिटाने के लिए अंकिता के कमरे को बुल्डोज किया गया। विधायक रेनू बिष्ट की भूमिका भी संदिग्ध है, विधायक के साथ साथ वह जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ को भी संदिग्ध मानती है। PM के लिये डॉक्टरों के पैनल में महिला डॉक्टर का न होना व बिना माँ को दिखाए अंकिता का शवदाह करना भी शक पैदा करता है।

हमारी टीम ने आशुतोष नेगी व श्यामसुन्दर भट्ट से बातचीत की। नेगी जी को उसी दिन एसआइटी द्वारा पूछताछ के लिए ऋषिकेश बुलाया गया था। उन्होंने निम्नांकित शंकाएं प्रकट कीं–

- जो शरीर जलाया गया, क्या वह वास्तव में अंकिता का ही था ? उसका चेहरा पहचानने लायक हालत में नहीं था। अंकिता और उसके माता–पिता के डीएनए सैंपल नहीं लिए गए। मृत शरीर की लम्बाई पर भी सन्देह है।

पत्रकारों ने बताया कि तथ्यान्वेषण दल के रिसॉर्ट से निकलते ही वहां लगाए गए पुलिस बल को भी हटा लिया गया तथा महिला पुलिस को भी वापस भेज दिया गया।

आशुतोष नेगी, पत्रकार, जागो उत्तराखंड से बातचीत, 27 अक्टूबर, ऋषिकेश में।

आपको अंकिता के गायब होने की जानकारी कैसे मिली ?

अंकिता के गायब होने की सूचना मुझे 20 सितम्बर की रात को मिली। पुष्प ने मुझे फोन किया था। पर्वत जन के पत्रकार विजय रावत और मैं दोनों साथ थे।

क्या आप पुष्प या अंकिता को पहले से जानते थे ?

पुष्प ने विजय रावत को फोन किया। विजय रावत उस दिन पौड़ी में मेरे घर आया हुआ था। हम दोनों साथ थे कमरे में। पुष्प ने पर्वत जन के फेसबुक पेज से नम्बर लेकर विजय को फोन किया। उसने बताया कि लड़की पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट गांव की है। जैसे ही उसने डोभ श्रीकोट कहा तो मैं चौंक गया कि यह तो मेरा गांव है। बाकी मुझे न तो वनन्तरा का पता था न मैं पुष्प को जानता था और न अंकिता के बारे में जानता था क्योंकि हम लोग गांव में नहीं रहते हैं। 21 तारीख की सुबह ही मेरे लिए गाँव से मेरे रिश्तदारों का फोन आ गया। फिर भाभीजी का फोन आ गया कि ऐसा हो गया है।

आप वनन्तरा रिसॉर्ट कब गए और वहाँ क्या देखा ?

23 तारीख की दोपहर के बाद मैं वनन्तरा रिसॉर्ट गया था। उस समय अंकिता के कमरे का बाहर का ग्लास टूटा हुआ था। उसके बिस्तर पर उसके डाक्यूमेंट्स बिखरे हुए थे। उसका बैग साइड में पड़ा हुआ था। बैग की चेन खुली हुई थी। कुर्सी पर दो कटोरियाँ रखी हुई थीं और रोटियां भी थीं। उसका कमरा अस्त–व्यस्त हालात में था। मुझे यह दिखाई दिया कि बिस्तर पर से बेड शीट गायब थी।

उस समय रिसॉर्ट सील था या आम लोगों को वहाँ जाने दिया जा रहा था ?

23 तारीख को जब मैं वहाँ गया तो मुझे नहीं लगा कि होटल सील था क्योंकि वहाँ अंदर लोग घुसे हुए थे। वे पत्रकार नहीं थे। वे स्थानीय लोग थे। वे आपस में झगड़ रहे थे। पुलिस के जवान जरूर वहाँ थे पर रिसॉर्ट सील हालत में नहीं लग रहा था।

अंकिता के कमरे को बुल्डोज करने के पीछे क्या मंशा लगती है ?

अंकिता के कमरे को जानबूझकर बुल्डोज किया गया क्योंकि जो विनोद आर्य हैं, उनके भाजपा से संबंध हैं, वे भाजपा के नेता हैं। अपने सम्बन्धों का फायदा उठाकर उन्होंने किया या करवाया होगा क्योंकि उस कमरे में 18 सितम्बर को

पुलकित आर्य गया था और वह **हेल्प–हेल्प** चिल्ला रही थी और उसी शाम को गायब हो गई थी। तो वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। वहाँ से साक्ष्य मिल सकते थे।

आपने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। क्या आपको एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है ?

एस आई टी साक्ष्य इकट्ठा करने में कमजोर रही। मुकदमे में इंसाफ दिलाने के लिए साक्ष्य महत्वपूर्ण होते हैं। जिस तरह से रिसॉर्ट तोड़ा गया, जब ये तीनों गिरफ्तार हुए 23 ता को तो उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद उन्हें पुलिस रिमांड पर नहीं लिया गया, न ढंग से पूछताछ की गई। अगर उस दिन उन्हें पुलिस रिमांड पर लिया जाता, ज्यूडिशियल कस्टडी में नहीं जाते तो उस दिन वे सब कुछ उगल देते। एसआईटी की ओर से लगातार केस में लापरवाही हो रही है।

इस मामले में जिस वीआईपी की चर्चा हो रही है, उसमें आपको कुछ सच्चाई लगती है या यह एक काल्पनिक बात है ?

वीआईपी कोई काल्पनिक बात नहीं है। वीआईपी का जिक्र अंकिता की चैट में है। पहले से भी उस रिसॉर्ट का रिकॉर्ड खराब था। वहां वीआईपी गेस्ट आते थे। कई नेता आते थे। कई अधिकारी आते थे। यह बात पता चली है। उस दिन भी कोई वीआईपी वहां आ रहा था। अंकिता उसका नाम जान गई थी। वह कहीं खुलासा न कर दे, इस वजह से उसकी हत्या कर दी गई। वीआईपी के नाम को छुपाने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है ताकि उसकी बदनामी न हो।

हमारी टीम ऋषिकेश में एक होटल व्यवसायी विनय बिष्ट से मिली (विस्तृत रिपोर्ट के लिए देखें अध्याय 3)। अंकिता मामले पर उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन वे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से मिलने गये। परन्तु उनके व्यस्त होने के कारण मुलाकात नहीं हो पाई। बिष्ट की मुलाकात विधायक रेनू बिष्ट से हो पाई। विनय बिष्ट द्वारा उनसे इस मामले में आवाज उठाने की बात कहने पर वे बोली कि वे इस बारे में पुलिस और जिलाधिकारी को फोन करेंगी। उनके साथ दो–चार लोग और भी थे जिनमें से एक ने कहा कि रिसॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य बहुत अच्छा एवं बहुत सभ्य परिवार से है। विनय बिष्ट ने बताया कि घर आने के बाद उन्हें फेसबुक से पता चला कि वह व्यक्ति पुलकित आर्य का पिता है। विनय जी का यह भी कहना था कि पुलिस–प्रशासन की लापरवाही के कारण महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो गये। इसका कारण होटल सील न करना और बुलडोजर चलाना है।

भाग 4

श्रीनगर : मामले से जुड़े जनप्रतिनिधियों से साक्षात्कार

27 तारीख को जब टीम डोभ श्रीकोट गांव से श्रीनगर लौटी तो वहां के नागरिक टीम से मिलने आए। उनमें मीडियाकर्मी, आन्दोलनकारी, छात्र, वकील, एवं व्यापारमण्डल के लोग शामिल थे। उन्होंने हमारे दल का स्वागत करते हुए इसे आवाज उठाने का एक नया मंच बताया। वे हर रविवार को श्रीनगर के एक प्रमुख स्थान पर धरना–प्रदर्शन करते हैं ताकि इस मामले को जीवित रखकर न्याय दिलाया जा सके।

इस बैठक में निम्न प्रतिभागी थे –

1.डॉ. प्रताप सिंह भण्डारी, 2.भूपाल सिंह, 3.रेशमा पंवार, 4.संगीता कोठारी, 5.संजय घिल्डियाल, 6. डॉ. अरुण कुकशाल, 7. अनिल स्वामी, 8. योगेन्द्र, 9. गजेन्द्र सिंह, 10. उपासना भट्ट, 11. उमा घिल्डियाल, 12. गंगा थपलियाल, 13. रोबिन, 14. उपेन्द्र सिंह, 15. पृथ्वी सिंह बिष्ट, 16. योगेश बिष्ट, 17. तरुन चौहान, 18. महेन्द्र सिंह नौटियाल, 19. अंकित उचोली, 20. प्रदीप जोशी, 21. सुनील कृष्ण इत्यादि।

ये सभी निम्न बातों से विचलित एवं आक्रोशित थे –

- रिसॉर्ट के मालिक पुलकित ने अंकिता की खोज खबर लेने से संबन्धित अधिकारियों को चार दिन तक दूर रखा।
- पौड़ी गढ़वाल के पुलिस–प्रशासन ने अंकिता के पिता को बंधक बनाकर हड़बड़ी में अंकिता के शव का दाह संस्कार करवा दिया। इस दौरान अंकिता के परिवार वालों को आपस में बातचीत का अवसर नहीं दिया गया।
- अंकिता की मां को बेटी का चेहरा नहीं देखने दिया गया। अंकिता के शव को सूर्यास्त के बाद जलाया गया जो कि स्थानीय परम्पराओं के विरुद्ध है।
- श्रीनगर में पारदर्शी एवं न्यायपूर्ण जांच की मांग कर रहे विरोधियों पर हिंसा व बल प्रयोग किया गया।
- 23 सितम्बर की आधी रात को विधायक रेनू बिष्ट द्वारा आंशिक रूप से रिसॉर्ट ढहाने का निन्दनीय कार्य किया गया परन्तु पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि यह अपराध स्थल को तोड़ने का मामला था।
- जिलाधिकारी ने आंशिक रूप से रिसॉर्ट तोड़ने पर अपने बयान बदले। प्रारम्भ में उन्होंने इस कृत्य की जिम्मेदारी खुद पर ली परन्तु बाद में मुकर गये।
- रिसॉर्ट आयुर्वेदिक फैक्ट्री में क्यों बनाया गया था? क्या उनके पास इस हेतु कानूनी अनुमति थी ?
- एम्स के चार डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया। उनमें एक भी महिला डॉक्टर क्यों नहीं थी ?
- कई परिस्थितिजन्य साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि शायद मरने से पहले अंकिता के साथ दुष्कर्म हुआ था। क्या यौन हमले के मामले को खारिज किया जा सकता है ?
- क्या पानी में छह दिन तक रहने के बाद भी शरीर पर यौन हमले या बलात्कार के सबूत बचे रह सकते हैं ?
- वर्तमान उत्तराखण्ड सरकार अपने पूर्व दर्जा मंत्री विनोद आर्य के पुत्र, जो कि मुख्य आरोपी है, को बचाने का प्रयास करती हुई दिख रही है। उत्तराखण्ड एवं केन्द्र की सरकारों ने इस पूरे मामले में विनोद आर्य का साथ दिया है।
- यद्यपि इस मामले की तहकीकात एसआइटी के द्वारा की जा रही है परन्तु सबूत जुटाने में घोर लापरवाही बरती गई है। अपराध स्थल को ढहाकर सबूतों को नष्ट किया गया और इसे यह कहकर उचित सिद्ध किया जा रहा है कि वहां कोई महत्वपूर्ण सबूत नहीं था।

उनकी चिन्ता थी कि

- उत्तराखण्ड महिला अपराधों का एक प्रमुख अड्डा बनता जा रहा है जहां महिलाओं की हत्या कर दी जाती है या फिर उन्हें गायब कर दिया जाता है। कई ऐसे मामले हैं जिनमें गायब महिलाओं का कुछ पता नहीं चल पाया। ये सभी मामले घरेलू हिंसा या यौन अपराधों से जुड़े थे।
- उत्तराखण्ड पुलिस का रवैया पारदर्शी जांच व सुरक्षा प्रदान करने वाला नहीं रहा। पीड़ित को बार–बार कोर्ट के चक्कर काटकर मामले की जांच हेतु आदेश निकलवाने पड़ते हैं।
- तीन साल पहले अपने ससुराल से गायब हुई ममता बहुगुणा के मामले में भी पुलिस ने कोर्ट के कई आदेशों की अनदेखी की है। ममता बहुगुणा 25 नवम्बर 2019 से गायब थी और कोर्ट इस मामले को दोबारा खोलकर पुनः जांच के आदेश दे चुका है। पौड़ी की पुलिस द्वारा अभी तक इन आदेशों का पालन नहीं किया गया है।
- वनन्तरा रिसॉर्ट में हुए अंकिता प्रकरण से यह साफ हो जाता है कि होटल व पर्यटन क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं। महिला सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान हैं व जांच के क्या नियम हैं ? प्रमुख रूप से जब होटल व स्पा की बात होती है तो महिलाओं के एक असुरक्षित माहौल में धकेले जाने की सम्भावना काफी बढ़ जाती है।

उन्होंने पाया कि–

- राज्य महिला आयोग पूर्ण रूप से अप्रभावी है तथा महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों को रोकने एवं पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने व मामलों को सुलझाने में पूरी तरह से नाकाम है।

- विशाखा नियमावली एवं कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न पर बने कानूनों का उत्तराखण्ड में शायद ही कहीं अनुपालन हो रहा है। निजी क्षेत्र ने पूरी तरह से महिला सुरक्षा की उपेक्षा की है। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भी महिला सुरक्षा कानूनों को सख्ती से लागू करने के कोई प्रयास नहीं किये गये।
- अंकिता भण्डारी मामले ने उत्तराखंड की युवा महिलाओं की उच्च शिक्षा तक पहुंच, रोजगारपरक प्रशिक्षण, रोजगार प्राप्त करने, बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों, महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों पर रोक, पुलिस की भ्रष्ट और शत्रुतापूर्ण प्रणाली, आवास, पर्यावरण सम्बन्धी चिन्ताएं ओर राज्य में स्वतंत्रता से जीवन यापन के अधिकार की पोल खोल दी है।

भाग 5

देहरादून : सिविल सोसाइटी समूहों से भेंटवार्ता

29 अक्टूबर को देहरादून कचहरी परिसर के शहीद स्थल में तथ्यान्वेषी दल ने विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस बैठक में उत्तराखण्ड महिला मंच के सदस्य, जनवादी महिला समिति, भारत ज्ञान विज्ञान समिति, आन्दोलनकारी मंच, छात्र, पत्रकार एवं अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। इनमें उमा भट्ट, मालती हालदार, सतीश धौलाखण्डी, त्रिलोचन भट्ट, सुरेश नेगी, एडवोकेट अनुराधा, युद्धवीर पंवार, विजय भट्ट, शान्ता नेगी, मातेश्वरी रजवार, यशोदा नेगी, दीपा कुवंर, विजया नैथानी, प्रीति थपलियाल, सुनीता उनियाल, जगमोहन मेंहदीरत्ता, मोहन खत्री, प्रेम बहुखण्डी, सुदेश, रुचि उनियाल आदि शामिल थे। सभी की चिन्ता थी कि पुलिस जांच में बहुत शिथिलता बरती गई है। अधिकांश सबूतों को नष्ट करके मामले को कमजोर बनाया जा रहा है। होटल व पर्यटन उद्योग में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर भी सबने चिन्ता जताई।

सिविल सोसाइटी के समक्ष एक सामान्य समझ यह बनी कि अंकिता हत्याकाण्ड मामले में मजबूत एवं निरन्तर आवाज उठाना जरूरी है। जबकि कोर्ट में यह मामला चल रहा है, पर आन्दोलनकारियों द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है ताकि अंकिता को न्याय दिलवाने की प्रक्रिया तेज हो सके। बैठक के दौरान अंकिता की मां की आन्दोलन में भागीदारी तथा न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करवाने को लेकर भी चिन्ता प्रकट की गई। अनौपचारिक कार्यस्थलों में स्थानीय शिकायत समिति तथा आन्तरिक शिकायत समिति बनाने को लेकर भी जोर दिया गया।

भाग 6

जुड़ती कड़ियां : अंकिता की हत्या से पूर्व के हालात और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का विश्लेषण

पुष्प और अंकिता के बीच हुई बातचीत (चैट) हत्याकांड की सबसे अहम कड़ी है। उस बातचीत से न केवल अंकिता की हत्या के कारणों का खुलासा हुआ, बल्कि उसे अंकिता के मृत्युपूर्व के बयान की तरह माना जाना चाहिए। वह लगातार इस दहशत में जी रही थी कि इतना प्रतिरोध एवं इनकार करने के बावजूद उसे सेक्स वर्क में धकेला जा सकता है और शारीरिक नुक़सान भी पहुँचाया जा सकता है।

चैट में काफ़ी स्पष्ट रूप से इस हत्याकांड के मुख्य खिलाड़ी (पुलकित, सौरभ और अंकित) का ज़िक्र है, जिन्होंने अंकिता पर उस रोज वहाँ आने वाले वीआईपी को यौन सेवाएं प्रदान करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की।

दूसरी ओर, स्टाफ मेम्बर अभिनव की मीडियाकर्मी के साथ हुई बातचीत से भी यह पता चलता है कि पुलकित ने उसका यौन शोषण किया और अंकित ने भी ऐसा करने की कोशिश की। अभिनव द्वारा कथित तथ्य मेंउसने कहा कि पुलकित, अंकिता को पकड़कर कमरे में ले गया है और उसे बंद कमरे में ही रखा। अंकिता के साथ जो हुआ उसका अनुमान लगाना इतना

मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब अभिनव ने अंदर झांकने की कोशिश की तो पुलकित ने खिड़कीं भी बंद कर दी। निश्चित रूप से अंकिता गंभीर संकट में थी क्योंकि इस स्थिति में वह मदद के लिए पुकार लगा रही थी।

पुष्प, जो अंकिता का करीबी दोस्त था, मामले के सबसे महत्वपूर्ण गवाहों में से है। वह जम्मू का रहने वाला है और वहीं काम करता है। पुष्प के मुताबिक, वे एक–दूसरे से इंस्टाग्राम पर एक साल पहले मिले थे। अंकिता के पिता का कहना है कि उसे नौकरी दिलाने में पुष्प ने ही मदद की थी। पुष्प द्वारा दिए गए साक्षात्कार के अनुसार उसने ऑनलाइन विज्ञापन देख रिसॉर्ट में फोन किया था। रिसॉर्ट वाले चाहते थे कि आवेदक उन्हे खुद कॉल करे इसलिए अंकिता ने वहाँ फोन किया और उसकी नौकरी पक्की हो गई।

17 सितंबर को रात 9:35 से रात 11:19 के बीच और 18 सितंबर को सुबह 7:39 से 11:04 के बीच हुई चैट्स (स्क्रीन शॉट देखें) में अंकिता स्पष्ट करती है कि वह पुष्प से कॉल पर इसलिए बात नहीं कर सकती क्योंकि कोई उसे सुन लेगा। उसने होटल में बेहद असुरक्षित महसूस करने के बारे में बात की क्योंकि अंकित ने उससे संपर्क करके यह बताया था कि सोमवार को आने वाले वीआईपी अतिथि को अतिरिक्त सेवा की आवश्यकता है और वे उसके लिए रु. 10,000 भुगतान करेंगे। चैट की शुरुआत कुछ इस प्रकार है **"बहुत इनसेक्युरिटी फील हो रही है।''**

जब अंकिता ने यौन सेवाएं प्रदान करने को स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया तो अंकित उसे यह समझाने की कोशिश करने लगा कि अंकिता ने स्पा सेवाओं के बारे में अपनी मर्ज़ी से पूछताछ की थी। पुष्प के पूछने पर, अंकिता ने यह स्पष्ट किया कि उसने केवल यह पूछा था कि क्या वे स्पा सेवाएं भी शुरू करेंगे। अंकिता के मुताबिक़ उसने अंकित से स्पष्ट रूप से कहा, "तुम सोचते हो कि मैं गरीब हूं और खुद को 10,000 रुपये में बेच दूंगी।'' उसके ऐसा कहने पर अंकित बोला कि वह उसके बारे में नहीं पूछ रहा था, किंतु क्या वह किसी और को जानती है जो इसके लिए राज़ी हो। पुष्प के साथ अपनी बातचीत में अंकिता ने इस बात पर जोर दिया कि अंकित ने उसे इसलिए संपर्क किया कि वह अतिरिक्त सेवा के लिए उसे मना सके। उसने यह भी कहा कि तीनों उस पर दबाव बनाने की साजिश कर रहे थे, ताकि वह मना न कर सके। पुष्प ने यह सुझाव दिया कि उसे यह प्रस्ताव देने के लिए अंकित को डांटना चाहिए। जिस पर अंकिता समझाती है कि उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। हालाँकि उसने पुष्प के ज़ोर देने पर कहा कि अगली बार अगर वह इस तरह का प्रस्ताव लाता है तो वह काम करना बंद कर देगी क्योंकि यह एक गंदा होटल है जो उसे "राँड" (वेश्या) बनाना चाहता है। यह बातचीत रात 9 बजकर 48 मिनट तक चली। पुष्प अंकिता से यह भी कहता है कि जब वह कॉल करे तो उसे उसका कॉल उठा लेना चाहिए। फिर रात 11:19 पर पुष्प उसे गुड़नाइट कहता है (विस्तार के लिए देखें संलग्नक 6)।

अगली सुबह, अंकिता ने 7:39 पर गुड मॉर्निंग मैसेज किया, और पुष्प ने 8:31 पर वापस जवाब दिया। 11:03 बजे अंकिता लिखती है कि मेहमानों को संभालने के लिए उसे दोबारा बुलाया गया है। पुष्प ने उसे फ़ोन करने के लिए फ़िर ज़ोर दिया। अंकिता ने उस बात को नज़रअंदाज़ किया और बताया कि अंकित ने उससे कहा, अगर वह अतिरिक्त सेवा नहीं देगी, तो उसे हटा दिया जाएगा और दूसरी लड़की को लाया जाएगा और दूसरी लड़की उस पर हावी हो जाएगी। हालांकि, पुष्प ने कहा कि वे उसे नहीं हटाएंगे। (चैट के स्क्रीनशॉट और टेक्स्ट के लिए देखें संलग्नक 6)।

अंकिता की हत्या के बाद, पुष्प ने पर्वत जन के मीडियाकर्मी विजय रावत से बातचीत में कहा कि उसे अब ध्यान में आता है कि 17 सितंबर से पहले भी कुछ असामान्य हो रहा था, किंतु अंकिता उसे बताने में हिचकिचा रही थी। हालाँकि, उसने विस्तार से नहीं बताया लेकिन कुछ संकेत दिये थे। देखें पुष्प का मीडियाकर्मी के साथ पूरा इंटरव्यू https://youtu.be/Ysv6kZgSSHk

पुष्प ने बताया कि उसके पास 18 सितंबर की शाम 6 बजे अंकिता की नॉर्मल कॉल आई थी, जिसमें वह रोने लगी। पुष्प के पूछने पर उसने कहा कि वह रात में विस्तार से बताएगी। इसकी पुष्टि अभिनव की मीडियाकर्मियों के साथ बातचीत से भी की जा सकती है (संलग्नक 4 देखें), जिसमें उसने कहा कि अंकिता शाम 6 बजे के आसपास किसी से बात कर रही थी

और मदद के लिए रो रही थी, तभी पुलकित ने उसे पकड़ कर उसका मुंह ढक दिया और उसे कमरे के अंदर ले जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। एक घंटे बाद वह बाहर आई और फिर उसे रिसॉर्ट से बाहर ले जाया गया।

पुष्प के मुताबिक, अंकिता ने उसे बताया कि पुलकित ने पुलिस को फोन किया और उनसे कहा कि रिसॉर्ट में एक लड़की है जो अश्लीलता फैला रही है और वे उसे यहाँ से ले जाएं। पुष्प को लगता है कि उन्होंने उसे डराने के लिए ऐसा किया। वह बहुत परेशान थी और शायद उसे पुलिस द्वारा उठाए जाने का डर था इसलिए वह रो रही थी। रात साढ़े आठ बजे जब अंकिता ने पुष्प को फोन किया तो उसे वाहनों के आने–जाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अंकिता ने बताया कि पुलकित उसे कुछ बात करने के लिए रिसॉर्ट के बाहर लाया है। पुष्प ने इसे गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि यह कोई नई बात नहीं थी, वे शाम व रात में रिसॉर्ट से बाहर पहले भी निकलते थे। हालाँकि, उसने उचित स्थान का खुलासा नहीं किया और बस इतना कहा कि वे सड़क पर थे, पुष्प को शक तब हुआ, जब उसने अंकिता से पूछा कि क्या हुआ तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। अंकिता ने खुद से ही उन बातों के बारे में बातचीत जारी रखी, जिनके बारे में पुष्प ने पूछा भी नहीं था। रात 8:52 पर कॉल कट गई, जिससे पहले उन्होंने करीब 18 मिनट 55 सेकेंड तक बात की। वह स्पष्ट रूप से, कुछ खास बयान नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसने पुष्प से आख़िरी बात यही कही कि वह फंस चुकी है। इसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया।

रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने रात 9:31 बजे पुष्प का ध्यान बटाने और उसे सफ़ाई देने के लिए फ़ोन किया। https://youtu.be/TRETaIpSjvQ

19 तारीख को पुष्प ने पुलकित, अंकित और सौरभ तीनों से अलग–अलग बात की और लगभग 1 बजे तक इंतजार किया, जिसके बाद उसने अंकिता के पिता से उसके लापता होने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए बात की। https://www.youtube.com/watch?v=FRXXsAPxNOo

सौरभ ने पुष्प को 19 तारीख की सुबह फोन किया और उसे बताया कि अंकिता अपने कमरे में नहीं है और वे उसकी तलाश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उसका पता नहीं लगा है। पुष्प के पूछने पर सौरभ ने उसे बताया कि उसका सामान उसके कमरे में ही है। **पुष्प ने जब पूछा कि वह खुद कभी बाहर नहीं निकलती, तो गायब कैसे हो सकती है?** जिस पर सौरभ ने जवाब दिया कि वह भी यही सोच रहा है और इसके बारे में पूछताछ कर रहा है। पुष्प ने कहा कि रात 9 बजे से पहले उसने अंकिता से आखिरी बार बात की थी जब वह उनके साथ थी, इसलिए उन्हें उसके ठिकाने के बारे में पता होना चाहिए।

एक रात पहले पुलकित ने पुष्प से कहा कि वे एक अच्छे उम्मीदवार की तलाश कर रहे हैं और अंकिता को कहीं और नौकरी ढूँढ लेनी चाहिए। पुष्प ने यह भी खुलासा किया कि उसने पुलकित से सुबह भी बात की थी। उसने कहीं से पुलकित का दूसरा नंबर खोजा, क्योंकि उसका मुख्य नंबर स्विच ऑफ था। पुष्प ने उनसे जोर देकर कहा कि वे कुछ छिपा रहे हैं एवं उन्हें स्पष्ट रूप से मामले के बारे में बताने को कहा। जिस पर सौरभ बोला कि सब कुछ सामान्य है और इस बात से पूरी तरह इनकार किया कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। सौरभ ने पुष्प से यह भी कहा कि उसने अंकिता को सब जगह तलाश लिया है, और कहीं वह गंगा नदी के किनारे तो नहीं बैठी है, यह देखने के लिए वह रिसॉर्ट के पीछे जा रहा है।

बातचीत के दौरान, पुष्प ने सौरभ से पूछा कि रात में अंकिता ने पुलकित का फोन क्यों लिया? इस बारे में पुलकित ने उसे एक रात पहले बताया था। पुलकित ने कहा था कि अंकिता ने उसका फोन इसलिए लिया था, क्योंकि उसका फोन बंद हो चुका था। सौरभ ने इसके बारे में कुछ भी जानने से पूरी तरह इंकार किया, वह बोला कि पुलकित अभी रिसॉर्ट परिसर में मौजूद नहीं है, और उसके आने के बाद वह इस बारे में उससे पूछेगा।

पुष्प ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अंकिता का गायब होना कोई सामान्य बात नहीं है और अगर शाम तक उसका पता नहीं चलता तो यह एक गंभीर मामला बन जाएगा। पुष्प ने यह भी खुलासा किया कि अंकिता उसके साथ नहीं है, और उसे घर लौटे तीन दिन हो चुके हैं। यदि वह उसके साथ होती तो उसे फ़ोन क्यों करती।

चंडीगढ़ 24 न्यूज के एक ऑडियो में, https:/ www.facebook.com/watch/ ?v= 6135148069 01920&extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing अंकिता रोते हुए स्टाफ से कह रही है कि उसका सामान ऊपर की मंजिल में ले आएं। एक पुरुष स्टाफ अपने सहकर्मी से कहता है कि उन्हें नीचे जाना होगा और अंकिता को आश्वस्त करता है कि वे आ रहे हैं।

25 सितंबर को एबीपी न्यूज की एक खबर आई, जिसमें बैराज के पास लगे सीसीटीवी में पुलिस ने पाया कि शायद हत्या से ठीक पहले, अंकिता दोपहिया वाहन पर पुलकित के साथ पीछे बैठ कर जा रही थी।

अभिनव का बयान

नैनीताल उच्च न्यायालय में दायर याचिका में आशुतोष नेगी बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य से लिया गया याचिका के संलग्नक IV का सारांश (मीडियाकर्मी के साथ अभिनव के एक साक्षात्कार का वीडियो जो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है; जनता के लिए उपलब्ध है)

अभिनव, जो कि एक होटल स्टाफ था, अपने भाई खुश के साथ गेस्ट रूम में जा रहा था, तब उसने पुलकित को अंकिता के कमरे में देखा और अंकिता को रोते हुए भी देखा। वह जब अपने कमरे से बाहर निकला तो उसने ड्राइवर को भी देखा। अंकिता फोन पर किसी से बात कर रही थी। पुलकित के आते ही वह मदद के लिए चिल्लाई। फिर पुलकित ने उसका मुंह बंद कर अपने पास खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर शाम 7 बजे तक पुलकित उसके कमरे में ही रहा।

इसके बाद उन्होंने देखा कि अंकिता अपने कमरे में खड़ी है और अंकित (सहायक मैनेजर) वहाँ डांस कर रहा है। वह 20–30 सेकेंड तक अंकिता के सामने डांस करता रहा, फिर उसे बाथरूम की ओर खींच लिया। फिर पुलकित ने अंकिता का हाथ पकड़ा और उसे दूर ले गया। उसके बाद उसने देखा कि सौरभ, अंकिता को पीछे बैठाकर दुपहिया वाहन पर ले जा रहा है और पुलकित व अंकित दूसरे दोपहिया वाहन पर सवार हैं।

चीला बैराज के पास सीसीटीवी फुटेज से भी स्पष्ट सबूत मिले हैं। इसके मुताबिक़, जब वह रिसॉर्ट से दूर जा रहे थे तो अंकिता पुलकित आर्य के पीछे बैठी दिखाई दे रही है।

शव का बैराज में मिलना और सीसीटीवी फुटेज।

https://www.youtube.com/watch?v=6LQCOuxrG7s

भाग 7

उत्तराखंड राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक

डीजीपी अशोक कुमार और एसआईटी प्रमुख डीआईजी रेणुका देवी के साथ बैठक

फैक्ट फ़ाइंडिंग टीम का एक प्रतिनिधिमंडल 28 तारीख की दोपहर को पुलिस उप महानिरीक्षक पी. रेणुका देवी से मिला, जो अंकिता भंडारी की हत्या मामले की जांच कर रही एसआईटी का नेतृत्व कर रही हैं। 29 तारीख की सुबह प्रतिनिधिमण्डल डीजी पुलिस श्री अशोक कुमार से मिला जिन्होंने डीआईजी रेणुका देवी को फिर से बुला लिया।

टीम द्वारा डीआईजी से मुलाकात पर वे मामले के बारे में कुछ भी साझा करने में बहुत संभलकर बोलीं और हिचकिचा भी रही थीं। उन्होंने कहा कि इस समय जनता के लिए प्रोविजनल मेडिकल रिपोर्ट पर्याप्त है एवं फाइनल मेडिकल रिपोर्ट के

बारे में बात करने से इनकार कर दिया। टीम की चिंता यह थी कि एफ.आई.आर. दर्ज करने में देरी क्यों हुई, जीरो नंबर एफ.आई.आर. का कोई प्रावधान क्यों नहीं था और पिता की अग्निपरीक्षा भी अकल्पनीय थी। यदि ठोस साक्ष्य नष्ट नहीं किए गए होते तो? अपराध स्थल की सुरक्षा क्यों नहीं की गई? गवाहों की सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है ? क्या यह हत्या का एक मजबूत केस हो सकता था ? वह इन सब सवालों पर चुप्पी साधे हुए थीं और क्योंकि रिपोर्ट एक लापता रिपोर्ट के रूप में दर्ज की गई थी, जो हिस्से जांच के दौरान जोड़े गये हो सकते थे, उन्होंने वह बताने से भी इनकार कर दिया। वह इस बात से सहमत थीं कि आकांक्षाओं से भरी एक कामकाजी महिला का जीवन बहुत जल्द ख़त्म हो गया।

पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार के साथ बैठक सौहार्दपूर्ण और संवादों से भरी रही। टीम की चिंता यह थी कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में चूक करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, विशेष रूप से वे लोग, जिन्होंने पहले सप्ताह में निष्क्रियता दिखायी और जानकारी को पूर्ण रूप से गुप्त रखा। टीम ने इस बात को भी रखा कि मामले की निष्पक्ष और न्यायपूर्ण जांच की जाए, ताकि एक मजबूत चार्जशीट दायर की जा सके और सभी दोषियों को दंडित किया जा सके।

पुलिस महानिदेशक ने टीम के द्वारा उठाये गये निम्नलिखित मुद्दों को ध्यान से सुना :

- राजस्व पुलिस की भूमिका और अंकिता भंडारी हत्याकांड की एफ़आईआर दर्ज करने से इनकार और जांच में देरी करने का आपराधिक कृत्यः दोनों राजस्व पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करने और 19 तारीख को दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर तेजी से काम नहीं करने के लिए पौड़ी गढ़वाल डीएम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की माँग।

- एफ़आईआर दर्ज करने से इंकार करने के लिए क्षेत्राधिकार कोई आधार नहीं है और क्या उत्तराखंड राज्य में शून्य एफ़आईआर दर्ज करने की प्रणाली मौजूद नहीं थी ? अगर यह मौजूद नहीं है तो इसे जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। हम यह भी जानना चाहते थे कि जिन्होंने 19 और 20 तारीख की शाम को प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया था क्या उन तीनों थानों के एसएचओ के खिलाफ अधिकारियों ने कोई कार्रवाई की।

- इस मामले में रिसॉर्ट का आंशिक विध्वंस ठोस सबूतों को नष्ट करना था। एस.आई.टी. पुलिस की जांच में विधायक रेनू बिष्ट को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया और महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने में उनकी भूमिका को अनदेखा किया गया। जिस कमरे में अंकिता रहती थी, उसकी केवल वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई, कोई भी जैविक साक्ष्य वहाँ से नहीं लिया गया और उसे बुलडोजर से नष्ट कर दिया गया।

- वह वी.आई.पी. कौन था, जिसके लिये अंकिता से यौन सेवाएं प्रदान करने के लिए कहा गया? डी.जी.पी. और एस.आई.टी. के मुताबिक, वी.आई.पी. वह शख्स था जिसने वी.आई.पी. रूम बुक किया था, या वहां गेस्ट बनकर रुका हुआ था। पुलिस को पूरा भरोसा है कि जिस वी.आई.पी. के बारे में बात की जा रही है, उसकी पहचान वाला कोई शख्स नहीं है।

- अभी भी राज्य सरकार द्वारा गवाहों की सुरक्षा का प्रमुख मुद्दा नज़रअंदाज़ किया गया है। अभिनव व कुश स्टाफ के दो सदस्य और पुष्प (वह दोस्त जिससे अंकिता ने चैट और फोन के माध्यम से सब कुछ साझा किया) जो मामले का प्राथमिक गवाह है, उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए, चाहे वे कहीं भी हों। चूंकि अभिनव और कुश यूपी में हैं, उत्तराखण्ड पुलिस को यूपी पुलिस से मदद के लिए अनुरोध करना चाहिए और पुष्प के लिए जम्मू पुलिस की मदद लेनी चाहिए। इसमें उत्तराखण्ड की पुलिस और गृह विभाग को समन्वय करना चाहिए।

- विशेष सरकारी वकीलों की नियुक्ति और क़ानूनी सहायता उपलब्ध कराना।

टीम ने सामुदायिक संपर्क समूहों (सी.एल.जी.) को सक्रिय करने के साथ–साथ पुलिस प्रणाली को प्रतिस्थापित करने और राजस्व पुलिस प्रणाली को खत्म करने की तैयारी और योजनाओं के संबंध में कुछ सामान्य मुद्दे भी उठाए। साथ ही महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति स्थापित करने के बारे में बात हुई। डी.जी.पी. ने टीम को बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सी.डी.आर. डिटेल्स आदि जांच की परिधि में आ चुके हैं और जांच पटरी पर है। उन्होंने कहा कि पोस्टमॉर्टम के दौरान महिला डॉक्टर की उपस्थिति के बारे में राज्य मे कोई नियमावली नहीं है और एम्स, ऋषिकेश में पोस्टमॉर्टम के लिए उनके अपने नियम हैं।

हालांकि उन्होंने जीरो नंबर एफ.आई.आर. के मुद्दे पर ध्यान दिया। एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करने वाले तीन थानों के एस.एच.ओ. के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि वह इसकी जांच कराएंगे। उन्होंने गवाहों की सुरक्षा के संबंध में

कहा कि उनमें से किसी ने भी सुरक्षा की मांग नहीं की है। उन्हें यह निश्चित नहीं था कि क्या तीनों गवाहों के धारा 164 के तहत बयान लिए गए थे। चूँकि मामला हाई कोर्ट में है, इसलिए विधायक रेनू बिष्ट द्वारा सबूतों के स्थान को ध्वस्त करने की जांच के संबंध में उन्होंने बयान देने से मना कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सीएलजी बनाये गये हैं लेकिन महिला समूहों के प्रतिनिधियों को भी इसके बारे में नहीं पता था, इसलिए ये केवल कागज पर हैं, वें उन्हें सक्रिय करने की कोशिश करेंगे।

टीम ने यह भी चिन्ता प्रकट की कि राजस्व पुलिस प्रणाली को नियमित पुलिस प्रणाली से बदलने की प्रक्रिया में एक बार फिर अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है और क्षेत्राधिकार के मुद्दे उठ सकते हैं। टीम के सदस्यों ने इस तरह की स्थिति को रोकने के लिए आगाह किया और चरणबद्ध योजना बनाने पर बल दिया।

वे हमें भरोसा दिलाते रहे कि अंकिता को न्याय मिलेगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सभी दोषी अधिकारियों के खिलाफ़ क़ानून की उचित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस कार्यस्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर कानून का पूरी तरह से पालन कर रही है। उन्होंने कहा कि चार्जशीट जल्द से जल्द तीन महीने के भीतर दायर की जाएगी।

डीजी उत्तराखंड को ज्ञापन सौंपा गया (संलग्नक 9)।

मुख्य सचिव से मुलाकात

अंकिता भंडारी मामले के सिलसिले में टीम ने 28 अक्टूबर को उत्तराखंड के मुख्य सचिव श्री एस.एस. शंधू से मुलाकात की। उन्होंने मामले के नागरिक पहलू से संबंधित कई मुद्दे उठाए, जिसमें सुधार और पुनर्वास नीति, विशेष सार्वजानिक अभियोजकों की स्थापना और कानूनी सहायता, निजी उद्योग में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षा उपाय और आंतरिक शिकायत समिति की ग़ैर मौजूदगी एवं होटल उद्योग में स्थानीय शिकायत समितियों का गठन शामिल थे। टीम ने राहत राशि के प्रावधान में तदर्थ प्रकृति अर्थात् कोई निश्चित नीति न होने की आलोचना की। यह केवल कुछ पीड़ित लोगों या उनके परिजनों को मिल जाता है जबकि दूसरों को नहीं अथवा राज्य में कुछ चुने हुए पीड़ित लोगों और उनके रिश्तेदारों को ही पुनर्वास मिल पाता है। टीम ने राज्य में हिंसा से पीड़ित लोगों और उनके परिजनों के लिए पुनर्वास और क्षतिपूर्ति की नीति बनाने की बात कही। टीम ने उनसे कहा कि जीवन का पुनर्निर्माण कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। राज्य में न्याय के लिए संघर्ष बहुत खर्चीला और कठिन है। टीम ने कहा कि राजस्व पुलिस की कार्य प्रणाली उपहासात्मक है, जिसमें उचित जवाबदेही और निगरानी नहीं है। यह अपमानजनक बात है कि लोगों द्वारा राजस्व पुलिस के पास दायर किए जा रहे मामलों पर ज़िला कलेक्टर के नज़र रखने की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए वह इन्हें अनदेखा करना या उनके बारे में कुछ न करना, ऐसा कर सकते है। टीम ने उनसे इस मामले में आदेशों के पालन के लिए ज़िम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया, क्योंकि यह पूर्ण रूप से यथोचित परिश्रम और प्रबंधन की विफलता थी। जिस पर मुख्य सचिव का कहना था कि वे कानून की उचित प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं और पटवारियों को निलंबित करने के अलावा वह हमारी सिफारिश की भी जांच करेंगे। निजी क्षेत्र में आईसीसी को लागू करने की बात पर उन्होंने अपनी सहमति दी। टीम ने उनसे यह जांच करने का भी अनुरोध किया कि निजी क्षेत्र के भीतर कहीं भी आईसीसी मौजूद है या नहीं एवं एलसीसी और उसके कामकाज के गठन में डीएम की क्या भूमिका है। टीम ने जोर देकर यह कहा, **चूंकि सरकार उत्तराखंड में पर्यटन और इस क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा दे रही है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्तराखंड में पर्यटन कार्यस्थल पर जेंडर की दृष्टि से यौन उत्पीड़न, रोजगार, मजदूरी और अन्य संबंधित मुद्दों को जोड़ते हुए एक व्यापक नीति हो।** .

नतीजतन, उत्तराखंड राज्य में जल्द से जल्द महिलाओं और लड़कियों के लिए एक व्यापक नीति लाई जानी चाहिए।

मुख्य सचिव, उत्तराखंड को ज्ञापन सौंपा गया (संलग्नक 10)।

राज्य महिला आयोग के साथ बैठक

टीम के सदस्यों ने राज्य महिला आयोग उत्तराखंड की अध्यक्ष सुश्री कुसुम कंडवाल से 28 अक्टूबर को शाम 4 बजे उनके कार्यालय में मुलाकात की। सब से परिचय करने के बाद, टीम ने पूछा कि अंकिता के लापता होने की सूचना मिलने पर आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनके द्वारा क्या कदम उठाए गए। शुरूआत में उनका कहना था कि चूंकि वह ऋषिकेश में

रहती हैं, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से 18 सितंबर को लक्ष्मण झूला पुलिस स्टेशन गई थीं और उन्होंने अंकिता को खोजने के निर्देश दिए थे। यह पूछे जाने पर कि अंकिता के पिता को अपना मामला दर्ज कराने के लिए एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन जाने के लिए क्यों मजबूर किया गया था, उन्होंने फिर से समझाते हुए उसी घटना के 3 अलग–अलग संस्करण दिए, और कहा कि वे पौड़ी जिलाधिकारी से त्वरित कार्रवाई करने के लिए संपर्क करने से लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तक सक्रिय थीं। हालाँकि, वह एक निष्पक्ष जांच की आवश्यकता से सहमत थीं, किंतु उन्होंने विधायक सुश्री रेनू बिष्ट के महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने पर पूछताछ करने की आवश्यकता पर कोई टिप्पणी नहीं की।

राज्य में विशाखा समिति के दिशा–निर्देशों को कहां–कहां लागू किया जा रहा है, इसकी निगरानी के लिए उनके कार्यालय द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं, इन सवालों पर वह फिर टालमटोल करती दिखीं और उन्होंने कहा कि अब वह प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी को पत्र लिखेंगी।

टीम ने यह भी पूछताछ की कि क्या आयोग ने मसाज पार्लरों को सेक्स व्यापार के अड्डों के रूप में इस्तेमाल किए जाने की बढ़ती घटनाओं का संज्ञान लिया या उनके पास इसका कोई रिकॉर्ड था। सुश्री कंडवाल ने इस प्रश्न को भी टाल दिया।

हालांकि, उन्होंने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि सभी को नैतिकता से काम करना चाहिए और मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग से ये समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बुलाई गई बैठक में मौजूद थीं, लेकिन आयोग को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के ऐसे मामलों से कैसे निपटना चाहिए, उनके पास इसके लिए कोई विशिष्ट और सुविचारित सुझाव नहीं था। तथ्यान्वेषण कमेटी को यह महसूस हुआ कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और उनके हितों को आगे बढ़ाने के लिए महिला आयोग के पास कोई तैयारी या दृष्टि नहीं है और वे इस समय सत्ता में राजनीतिक दल की चाकरी करती दिखाई दे रही हैं।

अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग उत्तराखंड को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया (संलग्नक – 11)।

अपर सचिव पर्यटन एवं अपर निदेशक उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के साथ बैठक

फैक्ट फाइंडिंग टीम का एक प्रतिनिधिमंडल 28 अक्टूबर की दोपहर अपर सचिव पर्यटन श्री सी. रविशंकर और उसके बाद अपर निदेशक पर्यटन सुश्री पूनम चंद से मिला। उन्होंने कार्यस्थल में महिलाओं की सुरक्षा और उत्तराखंड में पर्यटन व्यवसाय पर अंकिता भंडारी मामले के प्रभाव के विषय में बात की।

साक्षात्कार के दौरान अपर सचिव पर्यटन ने बताया कि यात्रा व्यापार पंजीकरण अधिनियम, 2014 के अनुसार सभी प्रतिष्ठानों को इस अधिनियम के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यह स्पष्ट है कि उत्तराखंड राज्य में कुछ होटलों एवं पर्यटन से संबंधित इकाइयों ने, जिनका पंजीकरण आवश्यक है, ऐसा नहीं किया है। ठीक वैसे ही उन श्रमिकों का पंजीकरण भी नहीं किया गया है जिन्हें श्रम विभाग में पंजीकृत होने की आवश्यकता है।

टीम को बताया गया कि अंकिता की घटना के बाद होटल ओनर्स एसोसिएशन द्वारा प्रतिवेदन दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि सभी पर्यटन प्रतिष्ठानों को एक ही चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि ऐसे कई होटल हैं जहाँ महिला सुरक्षा को उचित महत्व दिया जाता है और कुछ ऐसे भी है जहाँ ऐसा नहीं होता।

यूटीडीबी (उत्तराखण्ड पर्यटन विकास बोर्ड) ने जिला पर्यटन विकास अधिकारी के अधीन जिला स्तर पर समितियों का गठन किया है जो अपंजीकृत और अवैध रूप से काम करने वाले सभी प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण करेंगी। इसकी रिपोर्ट पर्यटन मंत्री को भी सौंपी गई है। आवास इकाइयों पर जुर्माना भी लगाया गया है और नोटिस जारी किए गए हैं, हालांकि किसी को भी ध्वस्त नहीं किया गया है। **वनन्तरा रिसॉर्ट के बारे में और आधी रात को इसे ध्वस्त किए जाने के विषय में अपर निदेशक पर्यटन के पास कोई जवाब नहीं था।**

अपर सचिव पर्यटन ने कहा कि सरकार मानती है कि महिला सुरक्षा का मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ पर्यटन और आतिथ्य उद्योग के लिए नहीं, बल्कि हर सेक्टर, प्रतिष्ठान और हर काम करने वाले व्यक्ति के लिए है। इसमें सभी विभागों के लिए पुलिस को मुख्य नोडल एजेंसी के रूप में चिन्हित किया गया है। पुलिस विभाग ने इसके लिए कुछ ऐप और हेल्पलाइन नंबर जारी किये हैं, हालांकि उनके तौर–तरीकों पर अभी काम करने की जरूरत है। इसके प्रभाव का आकलन करने की भी जरूरत है कि यह प्रणाली कितनी अच्छी तरह काम कर रही है। इस जानकारी को लेकर जनता के बीच जागरूकता लाने की जरूरत है ताकि लोग इन व्यवस्थाओं तक पहुंच सकें। केवल शहरी क्षेत्रों में नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों और दूरस्थ

स्थानों में भी इनका पहुंचना और कार्रवाई होना आवश्यक है। वर्तमान में महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन तो है, लेकिन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन से संबंधित प्रतिष्ठानों के भीतर इसका विशेष रूप से प्रचार–प्रसार नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि नागरिक समाज की भूमिका सरकार और लोगों के बीच एक सेतु की तरह है अन्यथा अगर व्यवस्था में कोई कमी या खामी है तो उन मुद्दों को उठाना जरूरी है। अपर सचिव पर्यटन ने स्वीकार किया कि सरकार के पास कानून तो हैं, किंतु उनके परिपालन में कमी है।

श्री रविशंकर ने साझा किया कि इस घटना से पहले मध्य प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड (एमपीटीडीबी) की तर्ज पर महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर यूटीडीबी संयुक्त राष्ट्र (महिला) के साथ एक समझौता करने की प्रक्रिया में है। यह पहल 'मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन गंतव्य' का सहयोग करने के लिए है, जो राज्य के विभागों, गैर सरकारी संगठनों, होटल व्यवसायियों और यात्रा संघों को एक साथ लाएगा। यह कार्यक्रम महिला यात्रियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण विकसित करने के साथ राज्य के 50 पर्यटन स्थलों में सेवा की गुणवत्ता में सुधार करेगा। जबकि महिला यात्रियों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पूछा कि क्या यह कार्यक्रम सभी महिला–यात्रियों के साथ–साथ स्थानीय समुदायों की महिलाओं और कार्यबल में शामिल महिलाओं के लिए भी नहीं होना चाहिए ? उनका कहना था कि एक बार यह हो जाने के बाद, वे सर्वेक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि अपेक्षित प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ स्थापित की जा चुकी हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि भविष्य में जो होमस्टे पंजीकृत होंगे, उनमें महिलाओं की सुरक्षा को संबोधित करने वाला एक खंड होगा जिसमें प्रत्येक कमरे में पुलिस हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित करना होगा। महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 और आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की स्थापना के बारे में जागरूकता की ज़रूरत है। अतिरिक्त निदेशक ने बताया कि 2–3 संगठन इन प्रशिक्षणों के संचालन के लिए आगे आए हैं। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने यह भी सुझाव दिया कि चूंकि यूटीडीबी, यात्रा व्यापार पंजीकरण अधिनियम, 2014 में संशोधन करने और मानक संचालन प्रक्रियाओं को विकसित करने की योजना बना रहा है, इसमें आईसीसी के गठन को सुनिश्चित करने के लिए भी एक खंड जोड़ा जाना चाहिए और यह कि प्रशिक्षण उनके पंजीकृत होने या नवीनीकरण प्राप्त करने के 3 से 6 महीने के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए, अन्यथा उनका पंजीकरण समाप्त कर दिया जाए।

सुश्री पूनम चंद ने कहा कि बाक़ी क्षेत्रों की अपेक्षा पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में अभी भी महिलाओं की संख्या कम है। पंजीयन अनिवार्य होने के बावजूद भी समस्त पर्यटन इकाइयों या बड़े होटलों में भी इसका अनुपालन कम हो रहा है और ऐसी अपंजीकृत इकाइयों की पहचान करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है और जब उन्हें दंडित किया जाएगा तभी इसका बेहतर अनुपालन होगा। उन्होंने कहा, जबकि कार्यस्थल में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपायों का कार्यान्वयन और चरणबद्ध तरीके से आईसीसी की स्थापना की जा रही है, किंतु यह सुनिश्चित करने के लिए कोई समय सीमा या इसकी अत्यावश्यकता पर कोई प्राथमिकता नहीं है। इस तथ्य को देखते हुए कि पर्यटन क्षेत्र में काम करने वाली एक महिला के साथ यह अपराध हुआ है, यूटीडीबी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रभावी कार्यान्वयन और इन पहलों की निगरानी करने के लिए उचित प्रणाली और प्रक्रियाएं स्थापित की जाएं।

उन्होंने राज्य में पर्यटन योजना को बढ़ावा देने के संदर्भ में कहा कि इस बात पर सहमति बनी है, कि अब केवल ग्रामीण क्षेत्रों में विनियमित विकास सुनिश्चित करने वाले और परिवार द्वारा चलाए जाने वाले होमस्टे ही पंजीकृत होंगे।

टीम ने राज्य में निजी होटल प्रबंधन और इस तरह के अन्य संस्थानों के प्रसार का मुद्दा उठाया और कहा कि उन्हें भी यूटीडीबी के साथ पंजीकृत किया जाना चाहिए और उनके कौशल एवं प्रशिक्षण गुणवत्ता की निगरानी की जानी चाहिए, तो उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह मामला शिक्षा विभाग के अधीन आएगा।

उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को एक ज्ञापन सौंपा गया (संलग्नक –12)

भाग 8

अंकिता भंडारी मामले में कानूनी हस्तक्षेप और उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा जांच की निगरानी।

अंकिता के लापता होने की घटना की पहली सूचना एक पत्रकार आशुतोष नेगी ने दी, जो जागो उत्तराखंड नामक एक न्यूज पोर्टल/एफबी पेज/यूट्यूब चैनल और एक पाक्षिक समाचार पत्र के संपादक हैं। उन्होंने लगातार अंकिता की हत्या से जुड़ी घटनाओं का अनुगमन किया। उनका यह भी दावा है कि वे अंकिता के दूर के रिश्तेदार हैं और उसके ही गाँव से संबंध

रखते हैं। आशुतोष ने नैनीताल उच्च न्यायालय में 19 अक्टूबर को एक रिट याचिका भी दायर की (डब्ल्यूपीसीआरएल –1974/2022), जिसमें राज्य सरकार, (गृह सचिव के माध्यम से), उत्तराखंड सिविल सचिवालय, डीजीपी उत्तराखंड, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल, सीबीआई (निदेशक के माध्यम से) को प्रतिवादी बनाया गया।

अब तक 5 सुनवाई हो चुकी हैं (20 अक्टूबर, 3 नवंबर, 11 नवंबर, 18 नवंबर, 21 नवंबर) जिसमें राज्य ने 11 नवंबर को अपना काउंटर आवेदन दायर किया, अंकिता के माता–पिता, सोनी देवी और बीरेन्द्र सिंह को भी याचिकाकर्ता के रूप में उसी दिन अपीलार्थी बनाया गया। कोर्ट ने 18 नवंबर को केस पर मीडिया द्वारा प्रसारण तथा बयानबाजी न करने का आदेश (गैग ऑर्डर) पारित किया और मामले की सुनवाई के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। उसके बाद सुनवाई 26 नवंबर को हुई और फैसला अगली सुनवाई के लिए सुरक्षित रख लिया गया। अदालत ने एसआईटी प्रमुख डीआईजी पी रेणुका देवी, और इंस्पेक्टर आर.एस. खोलिया को दो बार हाजिरी देने को कहा। सीबीआई के वकील डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने सील कवर में सीबीआई के लिखित निर्देश पेश किए, जिसे उन्होंने गोपनीय बताया।

आशुतोष नेगी ने याचिका में यह प्रार्थना की है कि मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफ़र की जाए और एसआईटी द्वारा जांच की स्थिति रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। चूंकि राज्य सरकार आरोपी पुलकित आर्य को बचाने की कोशिश इसलिए कर रही थी, क्योंकि वह एक हाई–प्रोफाइल व्यक्ति था (राज्य के एक पूर्व मंत्री का बेटा और उस रिसॉर्ट का मालिक), जहाँ अंकिता ने 20 दिन तक काम किया था। यही वजह है कि लड़की के पिता को अंकिता की हत्या के मामले का केस दर्ज कराने में 19 से 22 तारीख़ हो गई।

जाँच को पक्षपातपूर्ण दिखाने के लिए याचिकाकर्ता ने कई आधार पेश किए। उनका मुख्य तर्क चश्मदीद गवाह अभिनव को लेकर है, जो रिसॉर्ट के हाउसकीपिंग स्टाफ का हिस्सा था, उसने 18 सितंबर की दोपहर और शाम को होने वाली घटनाओं का वृतांत दिया, जो अंकिता के जीवन का आखिरी दिन था। उनके मुताबिक पहले पुलकित आर्य ने फिर अंकित ने अंकिता का यौन शोषण किया, (याचिकाकर्ता द्वारा इस्तेमाल किया गया शब्द बलात्कार है) और फिर उसे दोपहिया वाहन पर सौरभ के पीछे बिठाकर रिसॉर्ट से दूर ले जाया गया। जब वह मदद के लिए चिल्लाई तो पुलकित ने खुद को और उसे कमरे में एक घंटे के लिए बंद कर लिया था।

यहाँ दिया गया साक्षात्कार स्वयं अपनी व्याख्या कर रहा है।

अंकिता उससे बातचीत में, अपने साथ होने वाले जोखिम के डर को भी साझा करती है (प्रतिलेख देखें)

याचिकाकर्ता की दलीलें अंकिता के मौत से पहले के चैट संदेशों से भी संबंधित थीं, जिसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कैसे उसे एक वीआईपी को यौन सेवाएं देने के लिए मजबूर किया जा रहा था। वह बहुत दुखी भी है और उस जगह को छोड़ना चाहती है। याचिकाकर्ता के अनुसार स्थानीय पुलिस वीआइपी को बचाने की कोशिश कर रही है, उनके द्वारा अभी तक कोई नाम का खुलासा नहीं किया गया है, इसलिए केस उनसे वापस ले लिया जाना चाहिए। इसका सबसे गंभीर पहलू पुलिस का अपराध स्थल को नजरअंदाज करना या यह अपराध होने देना था, जब स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट अंकिता के कमरे को बुलडोजर से ध्वस्त करवा रही थी। कमरे की फोटोग्राफी के अलावा किसी फोरेंसिक सबूत के नमूने एकत्र नहीं किए गए थे। जबकि अंकिता और स्टाफ के मुताबिक पुलकित ने उसे अपने बगल वाले कमरे में जाने को कहा था और 18 तारीख को उस कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया था। जांच इतनी लापरवाही से हुई कि सीसीटीवी फुटेज भी हाथ नहीं लगे। याचिकाकर्ता का यह भी तर्क था कि एम्स की टीम द्वारा किए गए पोस्ट–मॉर्टम में स्त्री रोग विशेषज्ञ मौजूद नहीं थी। पुलिस द्वारा बलात्कार से इनकार किया गया, जैसा कि प्रोविजनल रिपोर्ट में लिखा गया था। ये सब बातें भी अभियुक्तों को बचाने के लिए राज्य के पूर्वाग्रही रवैये को दर्शाती हैं।

राज्य पुलिस द्वारा दायर काउंटर

उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 11 नवंबर, 2022 को एसआईटी की ओर से इंस्पेक्टर श्री आरके खोलिया द्वारा दायर 26 पन्नों के जवाब में इस बात पर जोर दिया गया कि पुलिस स्पष्ट एवं निष्पक्ष जांच कर रही है। मामले और जांच से जुड़े कुछ तथ्य एसआईटी ने अपने हलफनामे में इस प्रकार पेश किए:

एसआईटी का गठन 24 सितंबर 2022 को डीआईजी पी रेणुका देवी की अध्यक्षता में, एडिशनल एसपी शेखर सुयाल, एएसपी रेखा यादव, इंस्पेक्टर आरके खोलिया की टीम के साथ किया गया था। सभी गवाहों के बयान सीआरपीसी की धारा 161/164 के तहत लिए गए थे। आईपीसी के नये अधिनियम की धारा 354 और अनैतिक तस्करी की धाराओं को जोड़ा गया था और अपहरण से संबंधित धारा 365 आईपीसी को हटा दिया गया था। अब एफ़आईआर जाँच अनैतिक तस्करी अधिनियम, 1956 की धारा 354, 302, 201, 120 (बी), 5 (1) बी के तहत की जा रही थी। अंकिता और तीनों आरोपियों के कॉल विवरण रिकॉर्ड (सीडीआर) और इंटरनेट प्रोटोकॉल विवरण रिकॉर्ड (आईपीडीआर), डीवीआर, हार्ड डिस्क, मोबाइल सभी को जाँच के लिए सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी, चंडीगढ़ भेज दिया गया था।

जवाबी कार्रवाही में दावा किया गया है कि तीनों आरोपियों ने अंकिता को अनैतिक कार्य करने के लिए प्रताड़ित किया था, चूंकि उसने उनकी इच्छाओं का पालन करने से मना कर दिया था और इस डर से कि अंकिता इस बात को पब्लिक के सामने बता कर रिसॉर्ट को बदनाम कर सकती है, वे उसे ऋषिकेश ले गए और उसे पशुलोक (वीरभद्र) बैराज और रिज़ॉर्ट के बीच कुनाउ पुल के पास नहर में फेंक दिया। इसलिए उसके बाद आरोपी ने उसके लापता होने की कहानी रची।

हलफनामा पुलकित आर्य के आपराधिक इतिहास को भी बताता है और नगर कोतवाली हरिद्वार में, केस नंबर 595/2016 यू/एस 109, 120 (बी), 34, 419, 420, 459, 471 आईपीसी और थाना बहादराबाद के मामलों को प्रदर्शित करता है। जिला हरिद्वार केस संख्या 175/09 आईपीसी की धारा 447 के तहत एवं सभी साक्ष्य एकत्र कर लिए गए है।

जवाब में यह दोहराया गया है कि बलात्कार का कोई सबूत नहीं था। न तो किसी गवाह ने अपनी गवाही में ऐसा कहा और न ही पी एम रिपोर्ट या अब तक के फॉरेंसिक सबूतों ने। वे यह भी कहते हैं कि याचिकाकर्ता इस दावे या अन्य किसी दावे के प्रति कोई भी दस्तावेज या अन्य सबूत देने में विफल रहा है, हालांकि उसने एसआईटी को अपने बयान दिए थे।

वे आगे इस बात पर जोर देते हैं कि रिसॉर्ट के कर्मचारियों के अनुसार वीआईपी अतिथि उन ग्राहकों के लिए एक वर्गीकरण है जो रिसॉर्ट में प्रेसिडेंशियल सुइट में रुकते हैं। वे यह स्पष्ट कहते हैं कि उन्होंने बुकिंग रजिस्टर, ऑनलाइन बुकिंग और वेबसाइटों पर एवं आरोपी के सभी संपर्कों के कॉल विवरण की जांच की और कोई बुकिंग या वीआईपी व्यक्ति का आगमन नहीं पाया।

अंकिता जिस कमरे में ठहरी थी, उसे दिनांक 24/09/2022 को ध्वस्त करने से पूर्व रिसॉर्ट से साक्ष्य एकत्र करने के सम्बन्ध में वे स्पष्ट करते हैं कि दिनांक 20 सितम्बर, 2022 को क्षेत्र के कार्यवाहक पटवारी विवेक कुमार ने साइट प्लान (नज़री नक़्शा) तैयार किया एवं बयान दर्ज किए थे। 22 सितंबर 2022 को एसएसआई मनोहर सिंह रावत ने रिसॉर्ट और खासकर मृतक के कमरे का निरीक्षण भी किया था। वहीं 23.9.2022 को जिले की फॉरेंसिक टीम ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर अंकिता का सामान एकत्र किया। उंगलियों के निशान की कोई संभावना नहीं थी अथवा कोई अन्य जैविक साक्ष्य भी नहीं मिला।

उन्होंने आगे कहा कि विध्वंस के संबंध में जिस विधायक को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उनसे तथा उनके साथ–साथ अन्य कई गवाहों से पूछताछ की गई। उनका कहना है कि कर्मचारियों के अनुसार सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे और पुलिस ने दो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (डीवीआर) बरामद किए और उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया।

अंकिता और पुलकित के मोबाइल बरामद नहीं हो सके, क्योंकि उन्हें चीला नहर में फेंक दिया गया था। फोन की आखिरी लोकेशन कुनाउ पुल के पास चीला नहर थी।

हलफनामे में यह भी कहा गया है कि एसआईटी सभी गवाहों के नियमित संपर्क में है और किसी भी गवाह ने डराने–धमकाने की कोई शिकायत नहीं की है।

अनुच्छेद 37 और 38 में एसआईटी ने याचिकाकर्ता के इल्ज़ामों को बेबुनियाद बताया है और उनके सुने जाने के अधिकार (**लोकस स्टैंडी**) पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही प्रियंका सिंघाना के लापता होने के संबंध में उसने गलत सूचना दी, जबकि प्रियंका ने 25 सितंबर को ही पुष्टि की थी कि वह सुरक्षित है, याचिकाकर्ता ने फिर भी यह जानकारी फैलाना जारी रखा कि प्रियंका ने प्रेम नगर, देहरादून में केस संख्या 0249/2022 दर्ज कराया है। उन्होंने उसके खिलाफ पूर्व में की गईं ऐसी एफआईआर की सूची भी जारी की, जिन पर उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगायी गई

थी वे याचिकाकर्ता द्वारा अंकिता के लिए न्याय का दावा करते हुए ऑनलाइन पैसा इकट्ठा किए जाने की भी बात करते हैं, जिसे अब बंद कर दिया गया है।

उच्च न्यायालय ने 26 नवंबर, 2022 को फिर से मामले की सुनवाई की और केस पर फैसला सुरक्षित कर दिया। दिनांक 18.11.22 का गैग ऑर्डर सुनवाई की अगली तिथि तक जारी रहेगा।

भाग 9

उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबन्धित आंकड़े

2020 में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड्स ब्यूरो द्वारा उत्तराखण्ड में महिलाओं पर हुए अपराधों पर जारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर हुए बलात्कार के मामलों की तुलना में प्रदेश में हुए ऐसे अपराधों की दर काफी अधिक है। इन अपराधों में बलात्कार व पोक्सो, दोनों के आकड़ों को शामिल किया गया है। हत्या के मामलों की दर काफी कम है। इसका कारण रिपोर्ट दर्ज न हो पाना भी हो सकता है। दर की गणना प्रति लाख पर की जाती है। महिलाओं पर बढ़ रहे अपराधों को तुलनात्मक आंकड़ों के माध्यम से दिखाया गया है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध एनसीआरबी 2020

महिलाओं के विरुद्ध कुल अपराध

राज्य	2018	2019	2020	जनसंख्या	अपराध दर	चार्जसीट दर
उत्तर प्रदेश	59445	59853	49385	1095.9	45.1	77.1
उत्तराखण्ड	2817	2541	2846	55.2	51.6	79.9
कुल राज्य	360339	387997	357363	6397.3	55.9	78.7

हत्या (कुल पुरुष एवं महिला)

राज्य	2018	2019	2020	जनसंख्या	अपराध दर	चार्जसीट दर
उत्तर प्रदेश	4018	3806	3779	2289.3	1.7	86.4
उत्तराखण्ड	211	199	160	113.1	1.4	81.5
कुल राज्य	28250	28194	28493	13151.8	2.2	85.3

हत्या : आयु और लिंग

राज्य	बाल पीड़ित			सभी बाल पीड़ित			वयस्क 18 से 30 वर्ष		
	16 से 18 वर्ष								
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
उत्तर प्रदेश	45	28	73	140	149	289	1201	365	1566
उत्तराखण्ड	2	0	2	8	0	8	42	10	52
पश्चिमबंगाल	7	15	22	30	39	69	354	459	813
कुल राज्य	176	127	303	795	744	1539	7497	3018	10518

नोटः उत्तराखण्ड में हत्या पर बहुत कम रिपोर्टिंग हुई है। पश्चिमबंगाल का उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया है कि यह उत्तराखण्ड के लिए अद्वितीय नहीं है। पश्चिमबंगाल एक बहुत बड़ा राज्य है, जिसकी रिपोर्टिंग बहुत कम है। विशिष्ट अपराधों की दरों की गणना प्रतिलाख जनसंख्या पर की जाती है।

नोट : उत्तराखण्ड में रेप के मामले बहुत ज्यादा हैं। पॉक्सो के तहत भी मामले हैं। अन्य राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं। प्रति लाख जनसंख्या पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध की दरें निम्न हैं–

अपराध	**उत्तराखण्ड**	**उत्तर प्रदेश**	**भारत**
बलात्कार से हत्या	0	0	0
दहेज हत्या	1.2	2.1	1.1
आत्महत्या के उकसाना	0.2	0.3	0.8
498 ए	12.1	13.2	17
अपहरण	6.3	8.3	9.5
बलात्कार	8.8	2.5	4.3
354 एस.एच.	8.6	9.0	13.0
अनैतिक यातायात	0.1	0.0	0.1
पॉक्सो	10.1	6.1	7.0

अध्याय : तीन

पर्यटन उद्योग में महिलाएं

ऋषिकेश के वनंतरा रिसॉर्ट में कार्यरत रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी का शव 24 सितंबर 2022 को चीला बैराज पावर हाउस से बरामद किया गया था। अंकिता को नौकरी पर रखने वाले मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता ने उसे नहर में धकेलने की बात स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार, एकत्र किए गए सबूतों से पता चलता है कि अंकिता की हत्या के आरोपी उस पर कुछ मेहमानों को :विशेष सेवाएं: प्रदान करने के लिए दबाव डाल रहे थे और जब उसने विरोध किया तो उन्होंने उसे मार डाला। अंकिता ने अपने व्हाट्सएप और फोन संदेशों में, बार–बार अपने दोस्त से यह कहा कि उसे रिसॉर्ट में आने वाले एक वीवीआईपी अतिथि को यौन सेवाएं देने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

आकांक्षाओं और सपनों से भरी एक लड़की, जो एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहती थी, की हत्या ने पूरे राज्य में विरोध और देश भर में अशांति का माहौल पैदा कर दिया। हालांकि, पुलकित आर्य के पिता, विनोद आर्य जो एक भाजपा नेता भी थे, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, फिर भी समुदाय और कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड के सत्ता दल की ओर से अभियुक्तों का राजनीतिक समर्थन देखा। मेरठ के एक दंपति ऋषिता और विवेक भारद्वाज के मामले की टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट की है, जो कथित तौर पर वनंतरा रिसॉर्ट में पुलकित आर्य द्वारा नियुक्त किए गए थे और वे एक महीना काम करने के बाद वहां से भाग गए। उनके साक्ष्य के अनुसार, जिन्हें एसआईटी कथित तौर पर दर्ज करेगी, पुलकित अपने मेहमानों का लड़कियों और ड्रग्स के साथ मनोरंजन करता था और वह कर्मचारियों के प्रति अपमानजनक था। वैसे, अंकिता का मामला पहली बार नहीं है जब वनंतरा रिजॉर्ट ग़लत कामों की वजह से चर्चाओं में आया हो।

- फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बदनामी के बाद भी रिसॉर्ट को काम करने दिया जाए?
- क्या रिसॉर्ट प्रबंधन की शक्तिशाली राजनीतिक पृष्ठभूमि ने रिसॉर्ट को दण्ड रहित बनाये रखने में मदद दी?

पर्यटन उद्योग में महिलाएं

फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पर्यटन उद्योग में महिलाओं के कार्यबल के संबंध में कई गंभीर चिंताओं पर ध्यान केंद्रित किया है। विश्व स्तर पर पर्यटन में कार्यरत लोगों में 54% महिलाएं हैं। महिलाएं दुनिया भर के पर्यटन कार्य में अपना बहुमत बना रही हैं लेकिन ये निम्न स्तर के रोजगारो में लगी हुई हैं। हालांकि ये आंकड़े देश के भीतर लागू नहीं होते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा 2014–2015 के बीच संचालित टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंट्स (राष्ट्रीय और उत्तराखंड) के अनुसार कुल राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय रोजगार में पर्यटन रोजगार का प्रत्यक्ष हिस्सा केवल 5.4% और 8% है। आवास सेवाओं/होटलों में संबंधित संख्या केवल 3.2% और 8.3% है। राष्ट्रीय स्तर पर आतिथ्य क्षेत्र के भीतर महिलायें, होटल और अन्य आवास सेवाओं में, केवल 14% रोज़गार के लिए जिम्मेदार हैं। उत्तराखंड के लिए अलग–अलग लिंग आधारित डेटा उपलब्ध नहीं है। हालांकि, होटल संचालकों के साथ साक्षात्कारों के आधार पर, होटल, छोटे गेस्ट हाउस और उद्योग में अन्य जगहों में महिलाओं का रोजगार बढ़ रहा है।

फैक्ट फाइंडिंग टीम ने ऋषिकेश और मसूरी में बड़े होटल चलाने वाले एल्बी ग्रुप के चेयरमैन डॉ. (सीए) सुनील गुलाटी से फोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि महिला पर्यटकों की बढ़ती संख्या एवं ऐसे परिवार जो महिलाओं और बच्चों के साथ यात्रा करते हैं, को देखते हुए भीतरी और घरेलू कार्यों में महिलाओं को अपने प्रतिष्ठानों में नियुक्त करने से पर्यटकों में विश्वास और सुरक्षा की भावना पैदा होती है और इसलिए उनका समूह महिलाओं को रोजगार देता है और उन्हें सुरक्षित आवास और सुविधाएं प्रदान करता है। अधिकांश बड़ी आवास इकाइयाँ और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों की फ्रेंचाइजी महिलाओं को

काम पर रखना चाहती है। श्री प्रवीण शर्मा, पूर्व बोर्ड सदस्य, नॉर्थ इंडिया होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के साथ एक अन्य साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि :महिलाएं ईमानदार कार्यकर्ता हैं। महिलाओं को काम पर रखने के दो कारण महत्वपूर्ण हैं, एक तो कार्यबल में अधिक महिलाओं के होने का मतलब यह निकलता है कि वह सभी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कार्यस्थल है और दूसरा, महिला यात्री भी इसमें सुरक्षित महसूस करती हैं। ऋषिकेश में डिवाइन रिज़ॉर्ट एंड स्पा के प्रबंध निदेशक और उत्तराखंड होटल एसोसिएशन और ग्रेटर ऋषिकेश होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन के सदस्य विनय बिष्ट का भी यही मानना था। उनकी संपत्ति में स्पा, फ्रंट ऑफिस, किचन और हाउसकीपिंग में 10–12 महिला कर्मचारी कार्यरत हैं। **ऐसे समय में अंकिता हत्याकाण्ड जैसा मामला, जब पर्यटन स्थानीय लोगों का और महिलाओं के लिए रोजगार का एक प्रमुख स्रोत बन रहा है, बहुत ही चिंताजनक है।**

प्रवीण शर्मा के अनुसार, :पर्यटकों के मन में इस तरह की घटना अल्पकालिक रहती है और छोटे होटलों और आसपास के होटलों पर बुकिंग रद्द होने का प्रभाव पड़ता है। किंतु इसका अधिक प्रभाव महिलाओं और कार्यबल पर पड़ता है। माता–पिता पहले से ही अपनी लड़कियों को काम करने के लिए होटलों में भेजने से कतराते हैं और इस तरह की घटनाएं इस सोच को और गंभीर करती हैं।"

दूसरी ओर, पनांबी रिसॉर्ट्स (एक मध्य आकार की प्रॉपर्टी) के महाप्रबंधक नृपेंद्र चौधरी ने बताया कि वे महिलाओं को काम पर रखने में घबरा रहे हैं। वनंतरा का दौरा करने के बाद फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पास के एक रिसॉर्ट का दौरा किया, जिसका स्वामित्व पनांबी नामक कंपनी के पास था। उस रिसॉर्ट में एक महिला जो परिसर की सफाई के लिए जिम्मेदार थी, के अलावा कोई महिला कर्मचारी नहीं थी। पनांबी के रिजॉर्ट मैनेजर ने पुष्टि की कि अंकिता भंडारी की घटना के बाद वे महिला कर्मचारियों को नियुक्त करने से डर रहे हैं। उस रिसॉर्ट में कोई आईसीसी नहीं थी और कर्मचारी POSH एक्ट से अनजान थे। **रिज़ॉर्ट प्रबंधक ने पुष्टि की कि उपरोक्त घटना ने उनके रिसॉर्ट के व्यवसाय पर एक गंभीर आघात किया है और यह कि वनंतरा रिसॉर्ट वास्तव में अवैध रूप से चलाया जा रहा था।**

राज्य में तेज़ी से बढ़ते होटल प्रबंधन संस्थानों को लेकर भी होटल व्यवसायियों ने चिंता जताई है। **उनके मुताबिक, ये संस्थान तीन या पांच साल के कोर्स को तीन से छह महीने के सर्टिफिकेशन कोर्स में तब्दील कर रहे हैं।** इस क्षेत्र में कई युवा और अधिकांश युवा महिलाएं अपने प्रमाणित पाठ्यक्रमों के लिए बड़ी रकम का भुगतान कर रही हैं और आतिथ्य और पर्यटन उद्योग में रोजगार प्राप्त कर रही हैं। उद्योग के नियोक्ताओं द्वारा प्रशिक्षण की प्रकृति और इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। टीम ने ऐसे एक संस्थान के साथ उनके पाठ्यक्रम के बारे में जानने के लिए बात करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए।

पर्यटन कार्यस्थल में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा

एक छोटे अपवाद के अलावा फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पाया कि, उद्योग के जुड़े हुए लोग इस संबंध में लापरवाह थे। डॉ. सुनील गुलाटी ने बताया कि महिलाओं या महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोविड के दौरान भी उनके होटल ने महिला कर्मचारियों को आवास प्रदान करना जारी रखा। विनय बिष्ट ने इसी चर्चा पर कहा कि वे रात में काम करने के लिए महिलाओं को नियुक्त नहीं करते और यदि महिलाओं को पर्यटन सीजन की वृद्धि के दौरान अतिरिक्त समय तक काम में रहने की आवश्यकता होती है तो वे कार्यस्थल से उनके घरों तक यातायात की सुविधा प्रदान करते हैं। उनके अनुसार, क्षेत्र के कुछ रिसॉर्ट्स और अन्य संस्थान इस तरह के सुरक्षा उपाय करने में सक्रिय हैं। हालांकि, उन्हें कार्यक्षेत्र में आन्तरिक शिकायत समिति की अनिवार्यता या महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अन्य होटल व्यवसायियों ने भी पुष्टि की कि उन्हें आईसीसी और कार्यस्थल पर महिलाओं को हिंसा/यौन उत्पीड़न से बचाने वाले कानूनों (पॉश) के बारे में कोई जानकारी नहीं है। महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत करने या सुरक्षित स्थान खोजने के लिए कोई रास्ता नहीं खुला है। पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी जैसे संवेदनशील उद्योग में, जहां उन्हें अनजान लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, यह एक गंभीर समस्या है। डॉ गुलाटी ने, जिनके परिवार ने भी इस उद्योग में निवेश किया है, एक होटल व्यवसायी के रूप में यह महसूस किया कि

सरकार द्वारा **पॉश अधिनियम** के तहत होटलों में आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना (जैसा कि सभी लिमिटेड कंपनियों के लिए आवश्यक है) को अनिवार्य करने का यह सही समय है। उन्होंने पर्यटन उद्योग के भीतर यौन उत्पीड़न और साइबर धमकियों की घटनाओं के लिए तैयार रहने की आवश्यकता को रेखांकित किया और इससे निपटने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

विनय बिष्ट ने सुझाव देते हुए कहा, ''जब कोई विदेशी 24 घंटे के भीतर चेक–इन करता है तो हमें उसका विवरण एक पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता होती है, हम घरेलू पर्यटकों के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते। उसी पोर्टल पर हम अपने कर्मचारियों का पंजीकरण भी कर सकते हैं। यह मेहमानों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।'' सन् 2021 के दौरान राज्य के 2,00,02,705 घरेलू और 15,419 विदेशी पर्यटकों में से ऋषिकेश में 291,230 घरेलू और 1576 विदेशी पर्यटक आए।

अपंजीकृत पर्यटन और आतिथ्य प्रतिष्ठानों का संचालन

डॉ. सुनील गुलाटी ने चिंता जताते हुए कहा कि उनके जैसे लोग, जो लंबे समय से आतिथ्य उद्योग का हिस्सा हैं, अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और अपनी प्रतिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह होना चाहते हैं। **किंतु कुछ ऐसी नये किस्म के प्रॉपर्टी डीलर्स भी हैं जिन्होंने संदिग्ध तरीकों और इरादों से इस उद्योग में प्रवेश किया है।** वे रिसॉर्ट और होटल को पतन के अड्डे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वह भी बिना किसी जवाबदेही के। उन्होंने कहा कि हालाकि राज्य में पंजीकृत होटल हैं, किंतु ऑनलाइन जाने पर आपको सैकड़ों ऐसे होटल मिल जाएंगे जो अपनी सुविधाओं का संचालन और विज्ञापन कर रहे है लेकिन इनकी निगरानी या इन्हें पंजीकृत कराने पर कोई भी एजेंसी काम नहीं कर रही है।

टूरिस्ट ट्रेड रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अब तक 9922 ट्रैवल ट्रेड पंजीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से कुल 681 (7%) ऋषिकेश और उसके आसपास के हैं। यह एक ज्ञात तथ्य है कि कई प्रतिष्ठान अपंजीकृत हैं। प्रवीण शर्मा के मुताबिक़, वर्तमान में काम कर रहे 60% होटल और रिसॉर्ट बिना लाइसेंस के हैं। वनंतरा एक ऐसा ही रिसॉर्ट था, जिसका लाइसेंस एक आयुर्वेदिक फैक्ट्री के लिए था। लोकप्रिय ऑनलाइन ट्रैवल साइटों का एक त्वरित स्कैन किया जाय तो 475 संपत्तियां (मेकमाईट्रिप), 782 ऋषिकेश होटल (गोल्बीबो) और 1959 (यात्रा) जैसे परिणाम आते हैं।

हालाकि उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने सभी गैर–लाइसेंस संपत्तियों की जांच और पंजीकरण के लिए जिला स्तर पर एक समिति बनाई है, किंतु सवाल ये उठता है कि–

- जब यह एक ज्ञात तथ्य है और जैसा कि पर्यटन विभाग की अपनी रिपोर्टों में स्वीकार किया गया है तो अंकिता हत्याकाण्ड जैसी घटना के घटित होने का इंतजार क्यों करें ?

अप्रैल 2008 में भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व पर्यटन संगठन द्वारा प्रकाशित उत्तराखंड पर्यटन विकास मास्टर प्लान (2007–2022) में देखा गया कि ''अधिकांश होटलों को सरकार की मंजूरी नहीं है।''

गुलाटी के मुताबिक़, 1867 के सराय अधिनियम को रद्द करने की आवश्यकता तो थी, किंतु इसने निरीक्षण की एक प्रणाली प्रदान की थी, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लाइसेंस जारी तब होता था जब नियामक संस्थाओं से निर्धारित मापदंडों पर उचित तरीके से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाता था।

उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा इस अधिनियम को रद्द करना तो सही है, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि या तो अब निर्धारित किए गए नए पैरामीटर काम नहीं कर रहे हैं या फिर इस एजेंसी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक काम करने की आवश्यकता है कि इस उद्योग में काम करने वालों को उचित जवाबदेही के साथ पर्याप्त समर्थन मिले।

अंकिता के परिवार की न्याय की लड़ाई लड़ते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बिना किसी राजनीतिक दबाव के नियत प्रक्रिया का पालन किया जाए, यह महसूस होता है कि कार्यस्थलों का माहौल, लिंग आधारित हिंसा या अपराधों की जांच करने की व्यवस्था, श्रम कानूनों और नीतियों के पालन और व्यवस्थाओं के बारे में बात एवं आतिथ्य और पर्यटन उद्योग में शोषण की जाँच करने के लिए पर्याप्त नियमित संस्थाओं का होना आवश्यक है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन ने लिखा

है कि, पर्यटन उद्योग में होटल और रेस्तरां जैसी यात्रा और आतिथ्य सेवाएं विकास के प्रतिनिधि हैं, सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक हैं, और कई देशों में विदेशी मुद्रा लाभ का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

पर्यटन उद्योग देश में एक प्रमुख नियोक्ता बनने की राह पर है और इस राज्य में तो और भी ज़्यादा। जब देश नौकरियों की कमी और धीमी बढ़ोत्तरी से गुजर रहा है तो ज़िम्मेदार नागरिकों के रूप में, हम अंकिता भंडारी जैसे मामलों को आवाज़ देना चाहते हैं, जो इस फलते–फूलते उद्योग में महिलाओं का कार्यबल बढ़ाने की दिशा में एक झटका है। देश में महिलाओं को कार्यबल का हिस्सा बनने के लिए सामाजिक–सांस्कृतिक और राजनीतिक बाधाओं से जूझते हुए स्वतंत्रता और सम्मान अर्जित करना पड़ता है। इस तरह के मामले, जिनमे पुलकित आर्य जैसे लोग जो रोजगार सृजन की आड़ में अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, देश में महिलाओं के वर्षों के संघर्ष के बाद अर्जित की गई सभी स्वतंत्रताओं के लिए एक झटका हैं।

प्रतिबद्ध नागरिकों के रूप में टीम ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे–

- उत्तराखंड के होटलों और पर्यटन प्रतिष्ठानों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? जब पर्यटन विभाग द्वारा आवास इकाइयों को लाइसेंस दिया जाता है तो क्या ये शासनादेश के अन्तर्गत नहीं है?
- प्रत्येक आवास इकाई और पर्यटन व्यवसाय को राज्य पंजीकरण के तहत लाने के लिए तत्काल उठाये गये कदम क्या हैं? उत्तराखंड राज्य और यूटीबीडी द्वारा ऐसे सुरक्षा उपाय जो ठीक से काम करें, उनको लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? यह पर्यटन प्रतिष्ठान के मालिक और पट्टेदार दोनों पर जिम्मेदारी और जवाबदेही कैसे तय करेगा? अपराध के बढ़ते स्तर को कम करने के लिए यह प्रत्येक इकाई की निगरानी कैसे सुनिश्चित करेगा? यह राज्य के ग्रामीण हिस्सों में, जहां सक्रिय रूप से होमस्टे को बढ़ावा दिया जा रहा है, महिलाओं, परिवार के अन्य सदस्यों और बड़े पैमाने पर समुदाय की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेगा?
- पर्यटन या श्रम विभागों के पास उद्योग में शामिल श्रमिकों का कोई डेटा उपलब्ध क्यों नहीं है? आवास इकाइयों के पास कर्मचारियों के नाम, पते, संपर्क विवरण आदि जैसे डेटा को बनाए रखने के लिए कानूनी बाध्यता क्यों नहीं है? डेटा की कमी उद्योग में अत्याचारों का अध्ययन करने के प्रयासों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है।
- उत्तराखंड का महिला एवं बाल विभाग आतिथ्य और पर्यटन उद्योगों में महिलाओं के लिए इस तरह के जोखिम भरे वातावरण को कम करने के लिए कोई हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा है?

1. आवास इकाइयों में महिला कर्मी पॉश कानूनों द्वारा संरक्षित नहीं हैं।
2. स्थानीय महिलाएं और घसियारी (घास काटने वाली महिला और खेत मजदूर), होटलों में आने वाले अनियंत्रित मेहमानों और यौन हिंसा से जूझ रहीं हैं, जिससे उनका प्राकृतिक आवास और कार्यस्थल असुरक्षित हो गया है।
3. अपंजीकृत आवास इकाइयों के अनियंत्रित रूप से तेजी से बढ़ने के कारण स्थानीय महिलायें अपराधों का शिकार हो रही हैं, साथ ही उन पर्यटकों से भी जोखिम उठा रही हैं जो ग्रामीण होमस्टे का विकल्प चुनते हैं।

टीम ने उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड से पर्यटन में महिलाओं की सुरक्षा की चुनौती से जूझने के लिए और अधिक व्यवस्थाएँ करने और व्यवस्थित तरीके से जुड़ने का आग्रह किया। पर्यटन क्षेत्र के भीतर महिलाओं के खिलाफ अपराधों और हिंसा की वास्तविकता का संज्ञान लेने के लिए सरकार को आगे आना होगा और यह स्वीकार करना होगा कि आतिथ्य और पर्यटन उद्योग कोई अपवाद नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है कि वर्तमान स्थिति के परिणामस्वरूप, महिलाओं को काम पर रखने के लिए पर्यटन उद्योग द्वारा बचने की प्रतिक्रिया हो रही है। एक नागरिक समाज के रूप में हमारी भूमिका यह होगी कि महिला श्रमिकों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए जागरूकता पैदा की जाए। इसके साथ–साथ नेटवर्किंग एवं संगठन के माध्यम से एक ऐसा स्थान या मंच बना सकें, जहां कामकाजी महिलाएं शिकायतों को साझा करने और न्याय प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने में सक्षम हों।

अध्याय चार

उत्तराखंड में महिलाएं और रोजगार

उत्तराखंड में आज भी पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में महिलाओं को पेशेवर श्रमिकों के रूप में नहीं देखा जाता है और महिलाओं से यह उम्मीद करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है कि काम के तौर वे मांग करने पर यौन सेवाएं प्रदान करें। अंकिता के जीवन पर के अन्तिम 24 घंटों के चैट संदेश, फोन कॉल और चश्मदीदों के बयानों के माध्यम से जो ख़तरा मंडराता हुआ दिखा, वह उस गहरी पीड़ा को भी बयान करता है जिससे वह गुजरी थी। अपने हत्यारों के साथ धमकियों के बावजूद भी रहने के लिए मजबूर अंकिता की दिल दहला देने वाली व्यथा ने आक्रोश पैदा कर दिया और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जीवन को खत्म करने का यह निर्लज्ज कृत्य, कामकाजी महिलाओं के लिए बाहर निकलने पर मौजूद जोखिम को दर्शाता है। उत्तराखंड राज्य के कार्यस्थलों में महिलाओं के लिए मुश्किल से ही कोई सुरक्षा उपाय या निगरानी है, विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र में जो ज्यादातर निजी व्यवसाय के अधीन है।

पर्यटन और आतिथ्य उद्योग को महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की अवधारणा को मूल में रखते हुए इसके लिए एक विस्तृत योजना बनाने की जरूरत है।

उत्तराखंड में लड़कियों/महिलाओं की शैक्षिक स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। जब सरकारी क्षेत्र उन्हें उपयुक्त अवसर प्रदान करने में विफल रहते हैं, तब वे निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की तलाश करती हैं। हाल में, उन शहरों में जाने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, जहाँ सिडकुल उद्योग स्थित हैं। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए एवं बेरोजगारी के प्रचलित परिदृश्य को देखते हुए, गलियों और मोहल्लों में कई ऐसे छोटे संस्थान खुल गए हैं, जो विभिन्न पाठ्यक्रमों के नाम पर भारी शुल्क वसूल रहे हैं। हालाँकि, वे ऐसा कोई कौशल या शिक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं जो युवाओं को उपयुक्त काम के अवसर प्राप्त करने में सक्षम बना सके। इसी प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमज़ोर माता–पिता अपनी बेटियों को अपने पैरों वर खड़ा करने के लिए अपनी सीमित कमाई खो देते हैं।

आज के युवा ऐसे होटलों, रेस्तरां, कारखानों और अन्य उद्यमों में काम करने के लिए मजबूर हैं, जहां बहुत कम वेतन और अमानवीय कामकाजी परिस्थितियां हैं। नौकरी या शादी का झांसा देकर गरीब पहाड़ी लड़कियों की तस्करी के मामले भी सामने आ रहे हैं। अब तक सत्ता में आयी कोई भी सरकार पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में गंभीरता से काम करने में विफल रही है। बजाय इसके सरकारें अपने राजनीतिक लाभ के लिए, ठेकेदारों, माफियाओं और पूंजीपतियों को पहाड़ के जल संसाधनों, जमीन और जंगलों का दोहन करने में व्यस्त रहती हैं।

अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसी घटनाओं से उत्तराखंड की इन सामाजिक–राजनीतिक वास्तविकताओं का सीधा संबंध है।

उत्तराखंड राज्य में जो मौजूदा स्थितियाँ हैं, अंकिता हत्याकांड उनका प्रत्यक्ष परिणाम है। अंकिता भंडारी मामले ने लड़कियों के लिए सुरक्षित और उचित काम के अवसरों की कमी होने का महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। अंकिता (जिसने हाल में ही अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी) ने एक होटल प्रबंधन संस्थान में दाखिला लिया। उत्तराखण्ड में सैकड़ों अन्य युवा भी यही ख्वाहिश रखते हैं, जहां होटल उद्योग में छोटी नौकरियों के अलावा (और लड़कों के लिए भारतीय सेना) दूसरे रास्ते अपर्याप्त हैं।

अंकिता भंडारी मामले के संदर्भ में, भारत में और विशेष रूप से उत्तराखंड में, महिलाओं और युवा लड़कियों के लिए उपलब्ध काम के अवसरों की स्थिति पर चर्चा करना महत्वपूर्ण हो जाता है। **परिवार के काम और जीवन निर्वाह करने की पारंपरिक प्रणालियों, यानी कृषि और उससे संबंधित पशुपालन आदि में जिस तरह से गिरावट आई है, उसे भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है।** परिवारों में पारम्परिक जीवन निर्वाह के साधनों के अभाव की स्थिति में एवं कोविड–19

महामारी के दौरान और उसके बाद जो नौकरियों का नुकसान हुआ है, उसमें महिला कार्यबल की क्या स्थिति है? क्या इस दबाव में महिलाएं ऐसे कामों में प्रवेश करने के लिए मजबूर हो रही हैं, जहाँ उनके लिए सुरक्षित या उपयुक्त माहौल नहीं है ?

भारत में महिलाओं का रोजगार क्यों कम हो रहा है? इस सवाल के जवाब में अनुसंधान से पता चलता है कि वास्तव में, महिलाएं यौन हिंसा या अन्य खतरों से डर नहीं रही हैं, बल्कि महिलाओं के लिए भारतीय श्रम बाजार अवसर पैदा करने में विफल रहा है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं या कम पढ़ी–लिखी हैं। ''महिलाओं द्वारा काम की भारी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। नए आधुनिक–क्षेत्रों, विशेष रूप से उच्च मूल्य वर्धित सेवा क्षेत्रों में, ज्यादातर अवसर पुरुषों के लिए निर्मित होते हैं।'' इसके अतिरिक्त, पिछले तीन दशकों के दौरान खेती से सम्बन्धित रोजगार में मशीनीकरण आदि के कारण जो भारी गिरावट आयी है, उसके बावजूद भी गैर–कृषि ग्रामीण रोजगार या आजीविका के अवसरों में वृद्धि नहीं हुई है (देशपांडे 2021)।

औपचारिक अर्थव्यवस्था में भारत की महिलाओं की भागीदारी दुनिया के देशों में सबसे कम है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 2010 और 2020 के बीच, भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या 26% से घटकर 19% हो गई थी। कोविड–19 लॉकडाउन ने इस स्थिति को और खराब कर दिया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (बेनीवाल 2022) के आंकड़ों के अनुसार 2017 और 2022 के बीच, जहाँ भारत में समग्र श्रम भागीदारी दर 46% से गिरकर 40% हुआ, लगभग 21 मिलियन महिलाएं कार्यबल से गायब हो गईं, केवल 9% योग्य आबादी कार्यरत थी या काम की तलाश में थी (गैर–मौजूदा अवसरों को देखते हुए)। इसके अलावा, आर्थिक सर्वेक्षण 2018 के अनुसार, आमतौर पर भारत में महिलाएं अत्यधिक असुरक्षित नौकरियों में काम करने के बावजूद भी कम वेतन प्राप्त करती हैं।

अनुसंधान से पता चलता है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के काम खोने की संभावना पुरुषों की तुलना में सात गुना अधिक थी, और महामारी के बाद काम पर वापस नहीं लौटने की संभावना ग्यारह गुना अधिक है। एक तरफ़ जहाँ पुरुष स्वरोजगार, कृषि कार्य, व्यापार या निर्माण कार्यों में दैनिक मजदूरी के काम में चले गए, महिलाओं के लिए वैकल्पिक रोजगार व्यवस्था या उद्योग सीमित रहे, यहाँ तक कि रोजगार के लिए कुछ ठेठ किस्म के कम वेतन या अलग तरह के (विशिष्ट 'फॉलबैक') विकल्पों की उपस्थिति भी नहीं रही। भले ही पुरुषों ने उद्योगों और रोजगार व्यवस्थाओं में मोल–भाव किए किंतु महिलाओं को कार्यबल से बाहर निकलने पर इस प्रकार मजबूर किया गया।

हाल के दिनों में उत्तराखंड में जो अन्य सामाजिक–राजनीतिक घटनाक्रमों के संदर्भ हैं, हमे अंकिता भंडारी मामले में उन्हें भी देखने और समझने की जरूरत है। जुलाई से पूरे राज्य में नागरिक समाज द्वारा बड़े पैमाने पर आंदोलन किया गया जब चमोली जिले के जोशीमठ कस्बे के पास हेलंग गाँव की महिलाओं पर पुलिस अत्याचार का वीडियो सामने आया। **विरोध कर रही महिलाओं को टीएचडीसी हाइड्रोपॉवर कंपनी के इशारे पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जबकि कम्पनी गांव की चरागाह भूमि पर जबरन कब्जा कर रही थी।** राज्य में कार्यरत सैकड़ों हाइड्रोपॉवर कंपनियों के कारण ग्रामीण अपनी भूमि, जंगल और नदियों को खो रहे हैं। इसके अलावा, आसपास के इलाकों में स्थानीय लोगों को जो नौकरी ये कंपनियां देती हैं, वे अस्थायी होती हैं, ज्यादातर निर्माण की अवधि पूर्ण होने तक। परियोजनाओं के चालू होने के बाद इनमें से अधिकांश श्रमिकों को बर्खास्त कर दिया जाता है। इस प्रकार, स्थानीय लोग न केवल अपने अस्तित्व के पारंपरिक आधार को खो रहे हैं, बल्कि उन्हें आजीविका के लिए कोई अन्य सहयोग भी नहीं मिल रहा है। **अंकिता के पिता भी श्रीनगर में संचालित बांध कंपनी में अस्थायी रूप से काम करते थे और हाल ही में उन्हें वहाँ से हटा दिया गया था।**

जबकि उत्तराखंड में खेती ज्यादातर जीवन–निर्वाह का आधार रही है। पशुपालन के साथ संयुक्त रूप से यह कई गरीब (एकल) विधवा महिला परिवारों के लिए अस्तित्व का स्रोत रही है। लेकिन अब तो कड़ी मेहनत के बावजूद भी जंगली जानवरों:(बंदरों और सूअरों) के हमले को देखते हुए खेतों से पैदावार कम होती जा रही है।

राज्य में हेलंग की घटना के विरोध के साथ–साथ एक मजबूत भूमि कानून की मांग भी थी। बाहरी निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य के भूमि कानूनों को लचीला बनाया गया है। **2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने त्रिवेंद्र**

सिंह रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड में बाहर के लोगों को औद्योगिक उद्देश्यों के लिए प्रतिबंधित कृषि भूमि खरीदने में ढील दी। वास्तव में, राज्य के गठन के बाद सरकारों का विकासात्मक ध्यान केवल पर्यटन, शराब की दुकानों, खनन आदि को बढ़ावा देने पर रहा है, उन्होंने हमेशा से राज्य के आंदोलनों के पीछे की मांगों और स्थानीय लोगों के अनुरूप रोजगार पैदा करने की आवश्यकता की उपेक्षा की है। **उत्तराखंड में जिस तरह के पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसने स्थानीय लोगों को फायदा तो दूर, यहाँ के पर्यावरण को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि उन्होंने अवैज्ञानिक तरीकों से सड़क चौड़ीकरण, अनियोजित निर्माण और भारी और अनियमित यातायात को बढ़ावा दिया है।** पर्यटन (या यहां तक कि शराब प्रतिष्ठान) जैसे क्षेत्रों में नौकरियों की माँग करने से पहले, जिसे कि राज्य सरकार स्वयं बढ़ावा दे रही है, पर्यटन और विकास की अवधारणा पर फिर से काम करने की जरूरत है।

एनसीआरबी 2020 के डेटा के मुताबिक़ बलात्कार और बाल यौन शोषण के मामलों की संख्या में नौ हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड सबसे ऊपर है, जिसे उन्होंने 2018 में हुए भूमि क़ानूनों के बदलावों से जोड़ा है। जैसा देखा गया है कि विकास के रूप में बाहरी निवेश अधिकतर होटल और हॉस्पिटैलिटी इकाइयों में है, जहाँ नियम व क़ानून लगभग न के बराबर हैं। फैक्ट फाइंडिंग टीम का मानना है कि यदि इन दोनों के बीच कोई कड़ी है, तो उसकी गहरी जांच होनी चाहिए। यह बात भी स्पष्ट है कि कम पूंजी और कम उद्यमशीलता कौशल वाले स्थानीय लोग इस तरह के कानूनों के कारण अपनी कृषि भूमि को खो रहे हैं और ज़मीन ख़रीदने में बाहरी लोगों से पिछड़ रहे है।

इसके अलावा, उत्तराखंड में भर्ती को लेकर कई घोटाले हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप युवाओं द्वारा आंदोलन भी किए गए हैं, चाहे वह विश्वविद्यालय भर्तियों के लिए हो या अन्य सरकारी नौकरियों के लिए। जब सरकारी नौकरियां दुर्लभ हैं और उनमें भी भारी भ्रष्टाचार शामिल है और सरकारी एवं निजी, दोनों ही क्षेत्र नौकरियाँ उत्पन्न करने में असफल हैं, तो यहाँ के युवा आजीविका की तलाश में किधर जाएंगे? इसके अलावा, गरीब लोगों की शिक्षा के लिए भी उचित सुविधाएं नहीं हैं। उनके बच्चे :ऑनलाइन नौकरियोंः या राज्य के बाहर बेहतर नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा कैसे करेंगे? अधिकांश युवा जो सक्षम हैं, पहाड़ के गांवों में शिक्षा और रोजगार की दयनीय स्थिति को देखते हुए, अवसरों के लिए मैदानी इलाकों (या तो राज्य के बाहर या ऋषिकेश, देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर) की ओर रुख करते हैं। इसी पलायन के चलते उत्तराखंड के कई गाँव पूरी तरह से वीरान हो चुके हैं और उन्हें अब भूतिया गाँव कहा जा रहा है। 2017 में गठित पलायन आयोग ने पाया कि 2011 और 2017 की जनगणना के बीच, 734 पहाड़ी गाँव पूरी तरह से वीरान हो चुके हैं और 565 अन्य गाँवों की जनसंख्या 50% से कम हो गई है।

बड़े शहरों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नौकरी और आवास मिलना मुश्किल होता है। इसलिए वे आस–पास के शहरी केंद्रों और कस्बों में नौकरी करने चले जाते हैं, जो अधिकतर छोटे अनौपचारिक क्षेत्रों में अनियमित और अनिश्चित रूप से चल रही हैं। वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए कठिन प्रयास करते हैं और जीवन में आकांक्षाएं भी रखते हैं, किंतु उन्हें जॉब प्रोफाइल, काम करने की स्थिति और रहने आदि के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाती है। अंकिता की तरह, वे भी नौकरी खोजने के लिए अनौपचारिक तरीकों का सहारा लेते हैं।

हाल के अनुसंधानों से पता चलता है कि कैसे इन उद्योगों में महिलायें यौन उत्पीड़न क़ानूनों और अपने अधिकारों से वंचित रहती हैं, जिस वजह से वे अपने नियोजकों की निगरानी और नियंत्रण में आ जाती हैं। इसके अलावा ऐसी सहयोगी संस्थाएं एवं ऐसे प्रबन्ध भी नहीं हैं, जिनसे कामकाजी महिलाओं को छात्रावास जैसी सुविधायें प्राप्त हो सकें। अंकिता, जिसके पिता ने पुलकित को उसका पिता समान मानकर उसकी कस्टडी में छोड़ दिया था, उसके साथ भी यही हुआ। इससे प्रवासी महिलाओं के लिए शारीरिक और यौन हिंसा के मामलों की रिपोर्ट करना और भी मुश्किल हो जाता है।

परिशिष्ट

संलग्नक– 1 : तथ्यान्वेषण दल का गठन

8 अक्टूबर 2022 को उत्तराखंड महिला मंच की ऑनलाइन बैठक में यह बात आई कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में उत्तराखण्ड की जनता लगातार आंदोलन कर रही है। जांच के लिए एसआईटी भी गठित हो गई है। अपराधियों को न्यायालय से पुलिस रिमांड पर भी ले लिया गया है और उनसे पुनः पूछताछ भी कर ली गई होगी। असल सवाल यह है कि जब यह केस न्यायालय में लड़ा जाएगा तो हम किसी भी तरह से कानूनी रूप में कमजोर नही हों, इसके लिए हमारी क्या भूमिका हो सकती है। अतः दिनांक 14 अक्तूबर को उत्तराखण्ड महिला मंच द्वारा राष्ट्रीय स्तर के महिला संगठनों, पीयूसीएल एवं अन्य बुद्धिजीवी महिलाओं के साथ मिलकर एक बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में मुख्यतः अंकिता भण्डारी की हत्या और उसको लेकर पुलिस/प्रशासन के गैर जिम्मेदार रवैये और हमारी भूमिका पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही हाल के दिनों में उत्तराखण्ड में हो रहे मानवधिकार हनन के विभिन्न मामलों पर भी बातचीत की गयी। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य रहा कि अंकिता की हत्या में शामिल अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और इसकी सही जांच हो इसके लिए क्या उपाय किये जाने चाहिए। इस बैठक में किये गये गहरे विचार–विमर्श के बाद उत्तराखंड महिला मंच ने देश भर के जिम्मेदार महिला संगठनों के साथ मिलकर तथ्यान्वेषण के लिए एक जांच दल गठित किया और 20 सदस्यों की एक टीम बनाई जिसने दो दलों में बंट कर 27–28–29 अक्टूबर को पौड़ी, श्रीनगर, ऋषिकेश और देहरादून का दौरा किया। 27 अक्टूबर को एक टीम श्रीकोट पौड़ी (अंकिता के माता–पिता के पास) गई तथा शाम को श्रीनगर में विभिन्न स्थानीय व्यक्तियों, पत्रकारों एवं जन संगठनों के साथ बैठक की। दूसरी टीम ने ऋषिकेश में वनन्तरा रिसॉर्ट व चीला बैराज के आस–पास की जगहों का दौरा किया, धरना स्थल पर लोगों से बातचीत की तथा गांव के लोगों से भी पूछताछ की। टीम होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से भी मिली या फोन पर उनसे सम्पर्क किया।

28–29 अक्टूबर को इस टीम ने देहरादून में एसआईटी प्रमुख, राज्य महिला आयोग उत्तराखंड, डीजीपी उत्तराखंड, पर्यटन अपर सचिव तथा मुख्य सचिव उत्तराखंड से वार्ता की तथा केस से संबंधित अपने निष्कर्षों और मांगों को पेश किया। 29 अक्टूबर को एक प्रेस वार्ता को संबोधित करने के बाद देहरादून में विभिन्न नागरिकों, जनसंगठनों तथा आंदोलनकारियों से बातचीत की गई. तथ्यान्वेषण दल (फैक्ट फाइंडिंग टीम) में उत्तराखंड महिला मंच, पीयूसीएल, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, जनांदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, कर्नाटक विद बिलकिस, महिला किसान अधिकार मंच,भारत ज्ञान–विज्ञान समिति व अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन, भारतीय महिला फेडरेशन तथा पर्यटन विशेषज्ञ, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता तथा विभिन्न छात्र संगठन शामिल रहे। दिनांक 27 अक्टूबर की सुबह सभी साथी ऋषिकेश में एकत्र हुए और तय कार्यक्रम के अनुसार दो दलों में बंटकर अपने गंतव्य की और निकल गए। एक टीम को पौड़ी–श्रीनगर जाना था। वहाँ पर टीम के सदस्यों को अंकिता के गांव में उसके माँ, पिता जी से मिलकर, श्रीनगर में जन सम्पर्क कर देर शाम को ऋषिकेश वापस आना था। दूसरी टीम को ऋषिकेश में वनन्तरा रिसॉर्ट, चीला शक्ति नहर(जहाँ अंकिता को गिराया गया व वह स्थान जहाँ उसका शव बरामद किया गया) जाना था। इसके अतिरिक्त उन आंदोलनकारियों से भी मुलाकात करनी थी जो इस केस में शुरू से ही प्रयासरत थे।

संलग्नक– 2 : अंकिता भंडारी केस का घटनाक्रम

19 वर्षीय अंकिता भण्डारी ग्राम श्रीकोट, नादलस्यूँ पट्टी, जिला पौड़ी की रहनेवाली थी। उसकी माता का नाम सोनी देवी तथा पिता का नाम बिरेन्द्र सिंह भंडारी है। अंकिता ने 2020 में भगतराम मॉडर्न स्कूल पौड़ी से 88 प्रतिशत अंकों के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। 2021 में उसने देहरादून के श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स किया। 28 अगस्त 2021 से वनंतरा रिसॉर्ट, गंगाभोगपुर, यमकेश्वर तहसील, जिला पौड़ी में वह रिसेप्शनिश्ट थी। उसका प्रतिमाह वेतन 10,000 रुपये था। रहने के लिये उसे होटल में ही कमरा मिला था। अखबारों की कटिंग, सोशल मीडिया तथा तथ्यान्वेषण कमेटी द्वारा किये गये सम्पर्कों के आधार पर निम्न घटनाक्रम तैयार किया गया है।

18–सितम्बर	शाम को अंकिता को सौरभ, अंकित व पुलकित आर्य के साथ होटल कर्मचारियों द्वारा रिसॉर्ट से बाहर जाते देखा गया। ये चारों दो दोपहिया वाहनों द्वारा शहर की ओर निकलते देखे गये। इनके द्वारा होटल के कुक को चार लोगों के लिए रात का खाना तैयार करने के लिये भी कहा गया। वापसी में अंकिता इनके साथ नहीं थी, केवल तीन लोग देखे गये पर कर्मचारियों से इन लोगों द्वारा कहा गया कि वह अपने कमरे में ही है। वहीं खाना खायेगी। अंकिता के गायब होने के 2–3 दिन बाद से कुछ वीडियो सोशल मीडिया में वाइरल होने लगे।
19 सितम्बर	सुबह 8:30 बजे पुलकित आर्य द्वारा अंकिता को होटल में न पाने पर राजस्व निरीक्षक (पटवारी वैभव प्रताप सिंह) को सूचित कर ढूँढने के लिये मदद मांगी गई। उन्होंने कार्यवाही नहीं की और छुट्टी पर चले गये। अंकिता के गांव के ग्राम प्रधान को सूचित कर उसके पिता का फोन नम्बर लिया गया। फिर उन्हें होटल मैनेजर द्वारा अंकिता के गुम होने की सूचना दी गयी। उसके पिता तत्काल रिपोर्ट लिखाने चले गये।
20 सितम्बर	दोपहर 1:05 बजे पटवारी विवेक कुमार द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 365 के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज की गयी। जिसमें घटनास्थल **वनंतरा** रिसॉर्ट दिखाया गया। सूचना देने वाला पुलकित आर्य था। तफतीश में सूचना देरी से दर्ज होना दर्शाया गया। पिता के बयान भी दर्ज हुए।
22 सितम्बर	अंकिता का केस राजस्व पुलिस से लक्ष्मण झूला रेग्युलर पुलिस को हस्तान्तरित हुआ। इसी दिन पुलिस ने पुलकित, सौरभ और अंकित को गिरफ्तार किया। इन तीनों ने पुलिस को बताया कि हाथापाई के दौरान वह चीला नहर में गिर गयी।
23 सितम्बर	पुलिस द्वारा प्रेस वार्ता में बताया गया कि अंकिता की हत्या हो गयी है और उसे चीला नहर में ढूंढा जा रहा है। रिसॉर्ट के सी.सी.टी.वी. कैमरा भी सही ढंग से कार्य करते हुए नहीं पाये गये। रात्रि में रिसॉर्ट में बुलडोजर चला कर अंकिता का कमरा तोड़ दिया गया। रिसॉर्ट के कुछ हिस्सों में आगजनी भी की गयी। मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से भी बुलडोजर से होटल के कुछ भाग को तोड़ने की पुष्टि हुई। इसी दिन अपराधियों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेजा। मामले की जांच में यह बात सामने आयी कि पुलकित अंकिता पर किसी वी.आई.पी. को विशेष सेवा देने का दबाव बना रहा था। पटवारी विवेक कुमार को जिलाधिकारी पौड़ी द्वारा निलंबित किया गया।
24 सितम्बर	उत्तराखंड एस.डी.आर.एफ ने अंकिता का शव चीला बैराज से बरामद किया। उसी दिन ऋषिकेश एम्स में अंकिता के शव का पोस्टमॉर्टम किया गया। पौड़ी के जिलाधिकारी विजय कुमार जोगंदडे ने बुलडोजर चलाने के आदेश से इंकार किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस उपमहानिरीक्षक पी. रेणुका देवी के नेतृत्व में एस.आई.टी. जांच बिठाई। मुख्यमंत्री ने पुलकित के भाई को उत्तराखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष पद से बर्खास्त किया। विनोद आर्य और **अंकित को** भाजपा ने पार्टी से निष्कासित किया।
25 सितम्बर	जनता के भारी विरोध के बावजूद शासन/प्रशासन ने अंकिता का अंतिम संस्कार शाम 6 बजे **एन.आई.टी.** घाट में कर दिया। अंतिम संस्कार के बारे में अंकिता की मां को नहीं बताया गया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने घोषणा की कि होटल व रिसॉर्ट में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा के लिये जल्द नियमावली बनायी जायेगी। **मुख्यमंत्री** ने कहा कि सरकारी वनभूमि पर कब्जा कर बनाये गये अवैध होटलों व रिसॉर्ट पर कार्यवाही करेंगे।
26 सितम्बर	मुख्यमंत्री अंकिता के गांव गये और उसके माता–पिता को 25 लाख रुपये का चैक दिया।
27 सितम्बर	राहुल गाँधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केरल में 'जस्टिस फॉर अंकिता' के पोस्टर लगाये और इस मुद्दे को उठाया। प्रियंका गाँधी ने सोशल मीडिया में कहा कि – अंकिता कांड में लापरवाही करने वाले लोगों पर कड़ी कार्यवाही हो। जिलाधिकारी पौड़ी ने पटवारी वैभव प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया।
29 सितम्बर	कोटद्वार के वकीलों ने अंकिता केस के आरोपियों का केस लड़ने से इंकार किया। कोटद्वार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार पन्त ने बाहर से आने वाले वकीलों का विरोध करने की बात कही।
30 सितम्बर	पुलिस ने अपराधियों को न्यायिक हिरासत से तीन दिन की पुलिस रिमांड पर लिया।
8 अक्टूबर	एसआईटी ने गवाह और सबूतों के आधार पर सेक्शन 354 (ए) आई.पी.सी. एवं अनैतिक देह व्यापार निवारण

	अधिनियम की धारा 5 भी जोड़ दीं।
13 अक्टूबर	कोयलघाटी, ऋषिकेश में युवा न्याय समिति के बैनर तले क्रमिक धरना शुरू हुआ।
15 अक्टूबर	एसआईटी ने कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट में भी बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई इसलिए पुलिस हत्या, अपहरण व अन्य धाराओं में ही चार्जशीट दाखिल करेगी। आशुतोष नेगी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में रिट दायर की कि अंकिता केस की जांच एस.आई.टी. से लेकर सी.बी.आई. को दी जाये। उन्होंने अंकिता को न्याय दिलवाने के लिये हाईकोर्ट के वकीलों से भी सहयोग मांगा।
18 अक्टूबर	विधायक रेनू बिष्ट के खिलाफ बुलडोजर से रिसॉर्ट को तोड़ने के सम्बन्ध में एडवाकेट प्रवेश रावत ने कोटद्वार में याचिका लगायी थी जिसे खारिज कर दिया गया।
19 अक्टूबर	आशुतोष नेगी द्वारा दायर की गयी याचिका को हाईकोर्ट द्वारा स्वीकृत कर लिया गया।
20 अक्टूबर	आशुतोष नेगी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की जस्टिस संजय मिश्रा की एकलपीठ ने प्रथम दृष्टया एस.आइ.टी. की जांच से असंतुष्ट होते हुए, स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट द्वारा क्राइम सीन वनंतरा रिसॉर्ट तुड़वाने का संज्ञान लेते हुए एस.आई.टी. से संपूर्ण केस डायरी के साथ स्टेटस रिपोर्ट तलब करने को कहा। 3 नवम्बर को सुनवाई की अगली तारीख तय की गई
28 अक्टूबर	पौड़ी के जिलाधिकारी और **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक** का स्थानांतरण कर दिया गया पर किस जगह किया गया इसे बताया नहीं गया।
29–30 अक्टूबर	वनंतरा रिसॉर्ट से लगी फैक्ट्री में संदेहास्पद स्थितियों में आग लग गयी। पौड़ी में नई एस.एस.पी. ने चार्ज लिया व तीनों अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया।
3 नवम्बर	हाईकोर्ट में अंकिता केस की सुनवाई अंकिता के माता–पिता आये। कोर्ट ने एस.आई.टी से लिखित में स्टेटस रिपोर्ट लाने को कहा।
11 नवम्बर	कोर्ट ने अंकिता के माता–पिता को दूसरा याचिकाकर्ता बनाया। एस.आई.टी कोई फॉरेंसिक सबूत प्रस्तुत नहीं कर पायी। एस.आई.टी ने काउंटर एफिडेविट फाइल किया।
15 नवम्बर	श्रीनगर बस स्टेंड पर ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया।
16 नवम्बर	धरना स्थल कोयलघाटी, ऋषिकेश में आमरण अनशन व क्रमिक अनशन शुरू हुआ। वरिष्ठ राज्य आन्दोलनकारी शकुंतला रावत आमरण अनशन पर बैठी।
18 नवम्बर	अंकिता केस की हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एस.आई.टी से पूरी केस डायरी को एक बंद लिफाफे में जांच के लिये कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा।
19 नवम्बर	अंकिता के माता पिता ने घोड़ाखाल, नैनीताल में न्याय देवता गोलू महाराज के मंदिर में न्याय के लिए अर्जी लगाई।
20 नवम्बर	रात के समय आमरण अनशन पर बैठी शकुंतला रावत को उठाने के लिये पुलिस/प्रशासन धरना स्थल पर आया। उन्हें जबरन उठा कर अस्पताल में भर्ती कर दिया। उनके स्थान पर राज्य आन्दोलनकारी सरोजनी थपलियाल ने आमरण अनशन शुरू कर दिया।
21 नवम्बर	हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एस.आई.टी. ने सील बंद लिफाफे में 6 लोगों के 164 के तहत बयान कोर्ट के समक्ष पेश किए। दोनो पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अगली सुनवाई की तारीख 26 नवम्बर तय की गई। 21 नवम्बर की शाम को अंकिता के माता पिता ऋषिकेश में धरना स्थल पर गए व आंदोलनकारियों को अपना समर्थन दिया।
22 नवम्बर	अंकिता के माता–पिता धरना स्थल कोयलघाटी, ऋषिकेश में क्रमिक अनशन पर बैठे।
24 नवम्बर	श्रीनगर में अंकिता केस की सीबीआई से जाँच तथा वीआईपी का नाम उजागर करने की माँग को लेकर गढ़वाल विश्वविद्यालय के समस्त छात्र संगठन, राजनीतिक संगठन, बुद्धिजीवियों एवं शहर के आम

	जनमानस ने रैली का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर से गोला बाजार तक किया। रैली के समापन के बाद यह निर्णय लिया कि एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रतिदिन दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक पौड़ी बस स्टैंड के पास पीपलचौरी में किया जायेगा।
25 नवम्बर	पौड़ी शहर में छात्र संघ, मातृशक्ति तथा युवाशक्ति ने सीबीआई से जाँच व वीआईपी के नाम का खुलासा करने के लिए लक्ष्मी नारायण मंदिर से जिलाधिकारी कार्यालय तक रैली निकाली व जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया।
26 नवम्बर	नैनीताल हाईकोर्ट में फाइनल सुनवाई के बाद ओपन कोर्ट में फैसला नहीं सुनाया गया तथा न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख दिया। गैग ऑर्डर भी जारी रखा गया।
28 नवम्बर	पीपल चौरी में आल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन ने केस की सीबीआई द्वारा जाँच, आरोपियों का नार्को टेस्ट और मामले की शीघ्र चार्जशीट न्यायालय दाखिल करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया।
29–30 नवम्बर	उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू हुआ जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में कहा कि वनन्तरा रिसॉर्ट में कोई वीआईपी नहीं आ रहा था। उस रिसॉर्ट में वीआईपी एक कमरा है, व्यक्ति नहीं।
1 दिसम्बर	आंदोलनकारी महिलाएं जब इस संबंध में मंत्री प्रेमचंद की पत्नी से मिलने उनके घर गयीं तो उन्हें पुलिस द्वारा रोक दिया गया।
3 दिसम्बर	कोयलघाटी, ऋषिकेश के 51 दिन के धरने व 17 दिन के आमरण अनशन के बाद भी शासन की बेरुखी से निराश होकर आंदोलनकारी राज्यपाल तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के उद्देश्य से राजभवन गए व गेट के बाहर धरने पर बैठे तो पुलिस ने वहाँ बैठने के लिए मना किया। अनशनकारियों एवं आंदोलनकारियो को गिरफ्तार कर कोतवाली ले आए, जहाँ कई फर्जी मुकदमे उनपर लगा दिये गये।
5 दिसम्बर	श्रीनगर के पीपलचौरी धरना स्थल पर पश्चिमी बंगाल SUCI के सदस्य पूर्व सांसद तरुण मण्डल आये व आंदोलन को अपना समर्थन दिया।
8 दिसम्बर	राष्ट्रपति के दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे में आने पर ऋषिकेश के आंदोलनकारियों ने एस.डी.एम. ऋषिकेश के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया।
9 दिसंबर	श्रीनगर के पीपलचौरी के धरना स्थल पर आंदोलनकारियों को समर्थन देने अंकिता के माता–पिता आए। उन्होंने कहा कि एस.आई.टी. की जांच से वे संतुष्ट नहीं हैं, सी.बी.आई के द्वारा जाँच हो, आरोपियों का नार्को टेस्ट हो और वीआईपी का नाम पता चले। इसी दिन एस.आई.टी ने आरोपियों के नार्को टेस्ट की अनुमति के लिए न्यायालय में अर्जी लगाई।
12 दिसम्बर	कोटद्वार न्यायालय में नार्को टेस्ट की अनुमति के लिये सुनवाई हुई। दो आरोपी पुलकित और सौरभ भास्कर ने नार्को टेस्ट की अनुमति दे दी है, परंतु तीसरे आरोपी अंकित ने इस पर निर्णय लेने के लिए कुछ समय मांगा है।

संलग्नक– 3 : पुलकित आर्य द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट

मूल／द्वितीय／तृतीय प्रतिलिपि

न्यायालय／वादी／कार्यालय के लिए

प्रथम सूचना की रिपोर्ट

दंड तिथि संग्रह की धारा 154 के अंतर्गत पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किये जाने योग्य अपराध की प्रथम सूचना

थाना – मति उदयपुर पल्ला 02

सब डिस्ट्रिक्ट –शमकेखट

जिला–पौड़ी गढ़वाल

संख्या 01／22　　　　घटना का दिनांक व समय = 19.09.2022 व 8.30 बजे

दिनांक व समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन
20.09.2022, 01.05 PM	ग्राम गंगा भोगपुर तल्ला के अंतर्गत वनतरा रिजोर्ट दिशा पश्चिम दूरी 18 किमी. लगभग	द्वारा डाक

नोट – प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लो चाहिए और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले या वादी का नाम व निवास स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास स्थान	धारा सहित अपराध वाले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो) का संक्षिप्त विवरण	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने के कारण	मुकदमे परिणाम
1	2	3	4	5
पुलकित पुत्र विनोद कुमार नि. गंगा भोगपुर तल्ला दिशा उदयपुर तल्ला तह. यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड मो. न. 987066082	अज्ञात	365 आई.पी.सी	मामले में तफतीस होके वादी की तरफ से सूचना देरी से दर्ज होने के सम्बन्ध में।	तफ्तीस होकर

हस्ताक्षर पद

नकल तहरीर हिंदी वादी ह्स्व लिखित

सेवा में, राजस्व निरीक्षक ग्राम गंगा भोगपुर वाला यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल विषय हमारे प्राविधान में कार्यरत लड़की अंकिता के गुमशुदगी के सम्बन्ध में सूचना दर्ज कराने हेतु सम्बन्ध विषयानुसार सूचित करना है कि अंकिता भंडारी हमारे रिसॉर्ट में रिशेप्शन का कार्य कर रही थी। हमारे द्वारा उसे अलग कमरा मय लेत्रिंग बाथरूम उपलब्ध करवाया गया था। शुरूआती एक हफ्ता उसने अच्छा कार्य किया इस हेतु हमारे द्वारा उसे प्रोत्साहित भी किया गया किन्तु पिछले कुछ दिनों से हमने पाया कि वह कुछ ज्यादा समय फोन पर बात करते हुए दिखने लगी। व काम में उसका मन कम लग रहा था। वह अपनी कुछ निजी समस्याओं की वजह से तनाव में प्रतीत होती थी। मेरे द्वारा उसे समझाया गया दिनांक 18.09.2022 को शाम मैंने उससे उसकी समस्याओं से उसके पिता जी को अवगत कराने हेतु नम्बर माँगा तो उसने देने से मना कर दिया व और ज्यादा परेशान हो गई। और रोने लगी उसकी बातचीत से मुझे आभास हुआ कि अत्यधिक मानसिक तनाव में हैं। उसने बताया कि

उसे घूमना बहुत पसंद है इस कारण उसका तनाव कम हो जाता है मैंने सौरभ से कहा कि वह उसे ऋषिकेश घुमाने ले जाये, किन्तु सौरभ ने मुझसे आग्रह किया व अंकिता ने भी मुझसे आग्रह किया कि मैं भी उनके साथ चलू। तो हम दो मोटर वाहनों से ऋषिकेश एम्स तक गये, कुछ स्नेक्स, मोमोस लिए वापसी में रास्ते में अंकिता ने बाइक रोकने को कहा की वह कुछ देर खुली हवा में बैठना चाहती है। फिर हमने रास्ते में बैठकर स्नेक्स खाये व अंकिता के एक मित्र पुष्प को फोन किया मैंने उनसे वापसी चलने को कहा तो अंकिता ने कहा थोड़ी देर रुको उसे खुले में बैठना अच्छा लगता है। हम 20–25 मिनट वहां बैठने के बाद वापसी चल दिए, रास्ते में बिन नदी में पानी आने के कारण हमारी एक्टिवा बंद हो गई तो कुछ प्रयास करने के बाद एक्टिवा स्टार्ट हुई हम अपने प्रतिष्ठान में पहुंचे अंकिता अपने कमरे में गई। हम अपने अपने कमरे में चले गये। और सो गये 19.09.2022 सुबह लगभग 08.30 बजे हमारे कर्मचारी सौरभ ने सूचित किया कि अंकिता कमरे में नहीं है तभी से हम अंकिता को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। इस बाबत मैंने पटवारी महोदय को सूचित कर मदद मांगी की ये अंकिता को ढूंढ पाने में हमारी मदद करे बड़ी मुश्किल से मुझे अंकिता के गाँव श्रीकोट के प्रधान का नम्बर मिला उनसे मुझे अंकिता के पापा का नम्बर मिला उपरोक्त घटनाक्रम के बारे में अंकिता के पापा को मेरे द्वारा सूचित किया गया। महोदय इस बावत निवेदन है कि संम्बंध में प्राथमिकी दर्ज कर अंकिता को ढूढ़वाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी अपठित हस्ताक्षर पुलकित पुत्र विनोद कुमार गंगा भोगपुर तल्ला यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड सम्पर्क 9870660082

नोट– वादी की रिपोर्ट थाना हाज़ा चिक पर शब्द व शब्द अंकित की गई है कोई भी शब्द घटाया बढाया नहीं गया है प्रति दोयम वादी को देकर हस्ताक्षर लिए गए प्रति अव्वल मा. न्यायालय को जायेगी।

संलग्नक– 4 : बीरेन्द्र भण्डारी द्वारा राजस्व पुलिस को 20 सितम्बर 2022 को दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट

मैं वीरेन्द्र सिंह भंडारी जो की मेरी लड़की अंकिता भंडारी जो की 27–28 अगस्त को ऋषिकेश वैनेत्रा रीजोल्ट होटल में नौकरी करने लगी थी 18.09.2022 शाम 8.30 से गुम है और होटल मैनेजर ने हमें 19.9.2022 शाम 4 बजे को फोन किया कि आपकी लड़की 19.9.2022 सुबह से गायब है जबकि 18.09.2022 के 8.30 रात से गुम है।

महोदय से नम्र निवेदन है कि मेरा सख होटल मैनेजर, अंकित भाषकर इन दिनों से पूरा पूरा संदेह हैं जिसमे की एक लड़का पुष्प जो की जम्मू कश्मीर का है, जिसका फोन 7780846483 हैं आप तुरंत कार्यवाही की जाये।

वीरेन्द्र सिंह भंडारी पुत्र स्व. पृथ्वी सिंह

ग्राम श्रीकोट नादालस्यू पौड़ी गढ़वाल

फोन : 895830957, 9720081348

Taken from the petition filed in the Nainital High Court titled Ashutosh Negi Vs the State of Uttarakhand and others. This is Annexure II of the petition

संलग्नक– 5 ए : प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट

Provisional report

On Post Mortem Examination No 506/2022 of Ankita Bhandari on 24/09/2022

PS: Lakshman Jhula, GD no 06/08: 05

This is a provisional report or post mortem examination. The details of *all the* samples preserved will be submitted along with the final Post Mortem Report.

Post Mortem Examination conducted by:

1. Dr Raviprakash Meshram, Associate professor
2. Dr. Ashish Ramesh Bhute, Associate professor
3. Dr Vikas Vailbhav, Senior Resident
4. Dr Yashpal, Junior Resident

Department of Forensic Medicine & Toxicology, AllMS Rishikesh

I. CASE PARTICULARS:

Name of deceased: Ankita Bhandari. D/o- Virendra Singh Bhandari
Resident of: PS- Srikot, Paun garhwa

Age: 19 Years, Sex: Female.

II. **INVESTIGATING OFFICER:**SI- Shradanand Semwal. Poltce Station- Lakshman Jhula

III. IDENTIFIED BY:

1. Virendra Singh Bhandari, S/o-Prithvi Singh, R/o·- PS- Shrikot, Pauri garhwal

Relationship with deceased: Father.

2. Ajay Singh, S/o Virendra Singh Bhandari, R/o- PS- Shrikot, Pauri garhwal

Relationship with deceased: Brother.

IV. Provisional Opinion:

There are findings of antemortem injuries on the body, suggestive or blunt force trauma. Cause of death in this case is asphyxia consequent upon antemortem drowning
Details of the injuries and other findings will be given in the detailed Post Mortem Report.

संलग्नक– 5 बी : फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश, उत्तराखंड - 249203
All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh, Uttarakhand- 249203
न्यायिक चिकित्सा एवं विष विज्ञान विभाग
Department of Forensic Medicine & Toxicology

Post Mortem Examination Report No 506/2022 of Ms Ankita Bhandari Conducted on 24/09/2022 PS Lakshman Jhula, GD no- 06/8.05 FIR No 1/22 U/S 302, 365, 201, 120B of IPC dated 24/09/2022

On perusal of the letter received from District Magistrate, Pauri Garhwal with letter number 213/24/09/2022, a Medical Board was constituted by Dr Binaya Kumar Bastia, HOD Forensic Medicine vide letter No. AIIMS/RIS/FMT/196/24/09.2022, to conduct post mortem examination on the body of Ms Ankita Bhandari.

Members of Medical Board:-

1. Dr Raviprakash Meshram, Associate Professor
2. Dr Ashish Bhute, Associate Professor
3. Dr Vikas Vaibhav, Senior Resident
4. Dr Yashpal, Junior Resident

Department of Forensic Medicine, All India Institute of Medical Sciences Rishikesh.

Videographer was arranged by the Investigating Officer and the videography was performed by Mr Monu, S/o Matru, Negi Bhawan, Chandreshwar Nagar, Chandrabagha, Rishikesh, Dehradun-249201.

I. CASE PARTICULARS:

Name of deceased: Ms Ankita Bhandari D/o Sh Virendra Singh Bhandari,
Resident of Shrikot, PS- Pauri Garhwal.
Age: 19 Years, Sex: Female.
Date and time of body received in mortuary cold storage facility: 24/09/2022 at 09.30 AM
Date & Time of request from I.O. for post mortem examination: 24/09/2022 at 12.20 PM
Date & Time of post mortem examination: 24/09/2022 from 12.30 PM to 03:40 PM.

II. INVESTIGATING OFFICER: SI- Sh Shradhanand Semwal, Police Station- Lakshman Jhula.

Dead body covered in white body bag along with the inquest papers was handed over to the board by Sh Rajeev Kavi (CP 473) and Ms Prachi (L/C 484), PS- Lakshman Jhula.

III. DEAD BODY IDENTIFIED BY: -

1. Sh Virendra Singh Bhandari S/o Prithavi Singh, R/o Shrikot, Pauri Garhwal
   Relationship with deceased: Father.
2. Ajay Singh S/o Sh Virendra Singh Bhandari, R/o Shrikot, Pauri Garhwal
   Relationship with deceased: Brother.

26/09/2022	26/9/2022	26/9/22	26/9/22
Dr Yashpal	Dr Vikas Vaibhav	Dr Ashish Bhute	Dr Raviprakash Meshram

Page 1 of 6

IV. BRIEF HISTORY AS PER I/O: Alleged history of a female body being recovered ... Shakti Nahar, Powerhouse Chilla on 24/09/2022. The body was identified as of Ankita Bhandari, 19Y/F by father and brother of deceased. She was alleged to be missing since 18/09/2022.

V. EXTERNAL GENERAL APPEARANCE:

Body was attired in following clothes:

1. White color top, with blue colored floral print and size label 'XL'. There were multiple tears on the top with irregular margins on front and back. Largest tear was of size 15 cm x 11 cm. The top was removed by cutting along the left margin.
2. Jeans, blue colored with length of 97 cm. 5 metallic buttons in front. Reddish stain was seen on the left front of upper third of jeans. There was a linear tear of length 18 cm over back of left side, on medial aspect of middle third part of jeans, with irregular margin.
3. Dark blue colored brassiere.
4. Green colored underwear without any tag or tear.
5. Yellow metallic ear pin present in both ear lobules and yellow metallic nose ring present in left nostril.

Body and clothes were wet and were soiled with mud. Plant leaves, twigs and plastic, polythene pieces were entangled in scalp hairs and the clothes.

Length of body- 153.5cm. Body was in stage of decomposition as described under heading VII below.

VI. X-RAY EXAMINATION:

The X-ray examination was done during the postmortem examination. On examination, there was no foreign body inside the body and there was no evidence of any bony fractures.

VII. POSTMORTEM CHANGES:

Hypostasis: Not appreciable due to decomposition changes.

Rigor mortis: Passed off.

Decomposition changes: Body was smudged with soil, sand, and mud all over. The body was in a state of decomposition with face bloated with fish mouth appearance of lips (everted lips). Tongue was protruded. Eyeballs were protruding from the eye sockets, were collapsed and distorted due to decomposition. Body was swollen with subcutaneous crepitations all over the body. There was greenish-brown discoloration with peeling off of superficial layer of skin. The skin was soddened. Degloving of skin present over both the hands and feet. Nails of the left hand except thumb, were missing due to degloving. Hairs and nails were easily pluckable. Abdomen was bloated due to gases of decomposition. Reddish black purge fluid was exuding out from all the natural orifices. Marbling of skin was present over upper chest, abdomen, back, both upper and lower limbs. External genitalia was swollen with laxity of muscles due to decomposition gases.

Dr Yashpal | Dr Vikas Vaibhav | Dr Ashish Bhute | Dr Raviprakash Meshram

VIII. EXTERNAL EXAMINATION (ANTEMORTEM INJURIES):

1. Laceration, 1.5 cm x 1 cm x bone deep, present just distal to the knuckle over base of first metacarpal of right ring finger. Margins were irregular with blood infiltration.
2. Laceration, 1.1 cm x 0.7cm x bone deep, present just distal to the knuckle over base of first metacarpal of right little finger. Margins were irregular with blood infiltration.
3. Contusion of size 7.8cm x 6.2cm, bluish-black, present over back of right elbow. Incision revealed extravasation of blood.
4. Contusion of size 1.2cm x 1.3cm, bluish-black, present over back of left arm, 2cm proximal to elbow. Incision revealed extravasation of blood.
5. Abrasion of size 8 cm x 1 cm with greenish discoloration, present obliquely on the right side of back of chest over inferior angle of right scapula.

The location of the of the injuries is indicated in the diagram sheet on page 06 of this report. No other external injury was present on the body.

IX. INTERNAL EXAMINATION

A) Head

Scalp: Intact, no injuries were present.
Skull: No fracture or deformity was present.
Dura: Intact.
Brain: Greyish colored brain matter in semi-liquified state. No evidence of injury was present

B) Neck

Subcutaneous Tissue: Intact, no injuries were present.
Larynx/Pharynx/Trachea: Intact, no injuries were present. The tracheal lumen was gritty to cut due to sand particles. Muddy blood-tinged fluid with sand particles was present in trachea. Lumen of trachea was brownish discolored.
Hyoid Bone and Thyroid Cartilage: Intact, no injuries were present.
Esophagus: Intact, no injuries were present.
Vessels: Intact.

C) Chest

Collar Bone: No Fracture or deformity was present.
Sternum: No Fracture or deformity was present.
Ribs: No Fracture or deformity was present.
Lungs and pleural cavity: Chest cavity was distended with gases of decomposition and about 100 ml of reddish fluid was present in each of the pleural cavities.
Left lung - 180gm, Right lung -190gm, congested, flabby and shrunken. Muddy fluid with sand particles were present in lumen of main bronchus and its branches. On cut section, sand particles were present upto terminal bronchioles in both the lungs.
Pericardium: Intact.
Heart: Weight 160gm. Soft and flabby. All the coronaries were patent
Vessels: Intact.

food organs 222

OPINION:

Death is due to antemortem drowning.

All the injuries are antemortem in nature, fresh in duration prior to death, and are caused by blunt force

There was no evidence of injuries suggestive of forceful penetrative sexual assault. However, possibility of sexual assault cannot be ruled out and relevant samples are preserved

Time since death is about 4 to 6 days prior to the postmortem examination.

Viscera and other articles are preserved for forensic science laboratory examination as mentioned above in the heading no 'X'.

Final opinion will be given after receipt of forensic science laboratory examination reports

A: The dead body and sealed materials preserved were handed over to CP 473 Rajeev Kavi, PS- Lakshman Jhula, after completion of post mortem examination.

B: P.M. report in original in 06(six) pages along with 07(Seven) inquest papers, submitted by I.O. and duly signed by Dr Raviprakash Meshram, Dr Ashish Bhute, Dr Vikas Vaibhav and Dr Yashpal, handed over in a sealed envelope with a covering letter to the investigating officer.

Yashpal 26/09/2022
डॉ. यशपाल /Dr. Yashpal
जूनियर रेजिडेंट / Junior Resident
न्यायिक चिकित्सा एवं विषविज्ञान विभाग
Department of Forensic Medicine & Toxicology
एम्स, ऋषिकेश /AIIMS, Rishikesh

Vikas 26/9/2022
Dr Vikas Vaibhav
Dr. VIKAS VAIBHAV
सीनियर रेजिडेंट / Senior Resident

26/9/22
Dr Ashish Bhute
डॉ० आशीष रमेश भूटे
Dr. Ashish Ramesh Bhute
सह- आचार्य Associate Professor
न्यायिक चिकित्सा एवं विष विज्ञान

Raviprakash 26/9/22
Dr Raviprakash Meshram

डॉ० रविप्रकाश मेश्राम
सह – आचार्य
न्यायिक चिकित्सा एवं विष विज्ञान विभाग

संलग्नक– 6 : 17 एवं 18 सितम्बर 2022 को अंकिता व पुष्प के बीच व्हट्सऐप बातचीत।

17 September 2022
Ankita Pushp
Hlw ...9:35pm
Hi ...9:35pm
Beba ...9:35pm
Yll ...9:35pm
Wht happen ...9:35pm
Bhut insecurity feel hoti ish resort m ...9:35pm
Yll mtlb m ky bolu ...9:36pm
😔 😔 ...9:36pm
Ankit mere pass aya aur khne lga kuch bt karni h ...9:36 pm
M gyi uske sath 9:36pm
Call pr btao beba ...9:36pm
Ni ...9:36pm
Awaj aegi ...9:37pm

Chlo btao aise hi ...9:37pm

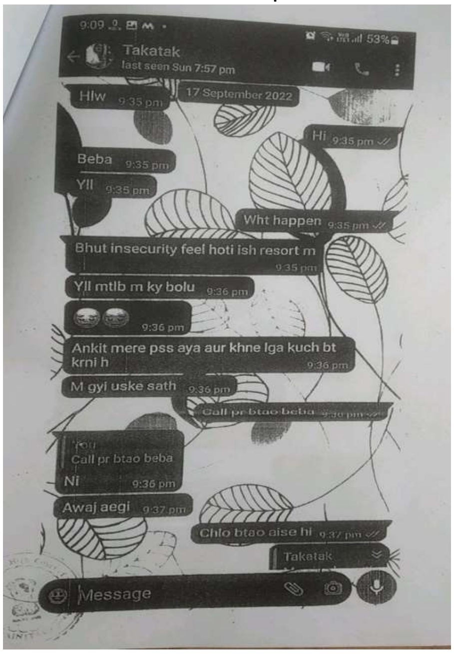

" M gyi uske sath": Fr ...9:37pm

Fr kya beba ...9:38pm
Ushne bola ki ...9:38pm
Esa h ki VIP guest arhe h ...9:38pm
Monday ko ...9:38pm

Fr ...9:38pm

Th unhe extra service chaiy ...9:38pm

Acha …9:38pm

Mene bola hn th m kya kru …9:38pm
Th bolra ki jese tum samko bolrhi thi ki spa wgera krogi ya soch rhi thi …9:39pm
Mene bola bhai tu ky chutiya h …9:39pm
Bc extra service chaiy ar spa ki baat khanse larha tu …9:39pm

Apne spa related kya bola …9:39pm

Th bolra ki yll gawaro wali harkate mt kro guest dekh rhe h …9:39pm

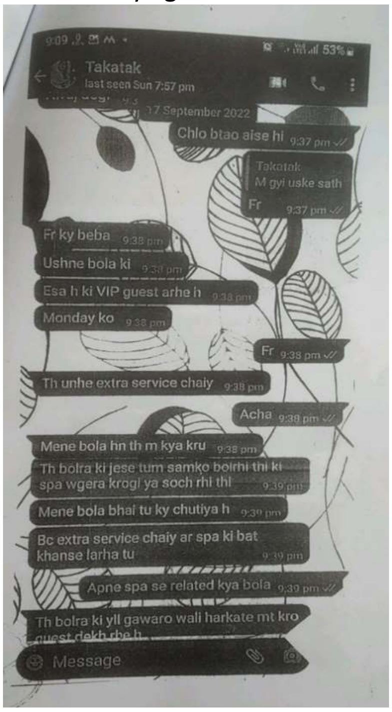

“Apne spa related kya bola” : Mene sirf bola tha ki spa kholte h …9:40pm
Idher …9:40pm
Thik h n …9:40pm
Baki kuch ni bola …9:40pm
Fr suno pura …9:40pm
Ushne bola ki mene y thodi bola ki aap kro …9:40pm
M y bolra ki koi ldki hogi …9:40pm
Tumhari najar m …9:41pm
kunki Bo 10 k derha h …9:41pm

Nhi …9:41pm
Bolo mai sharif hu aur aisi service mai provide nhi kr skti. …9:41pm

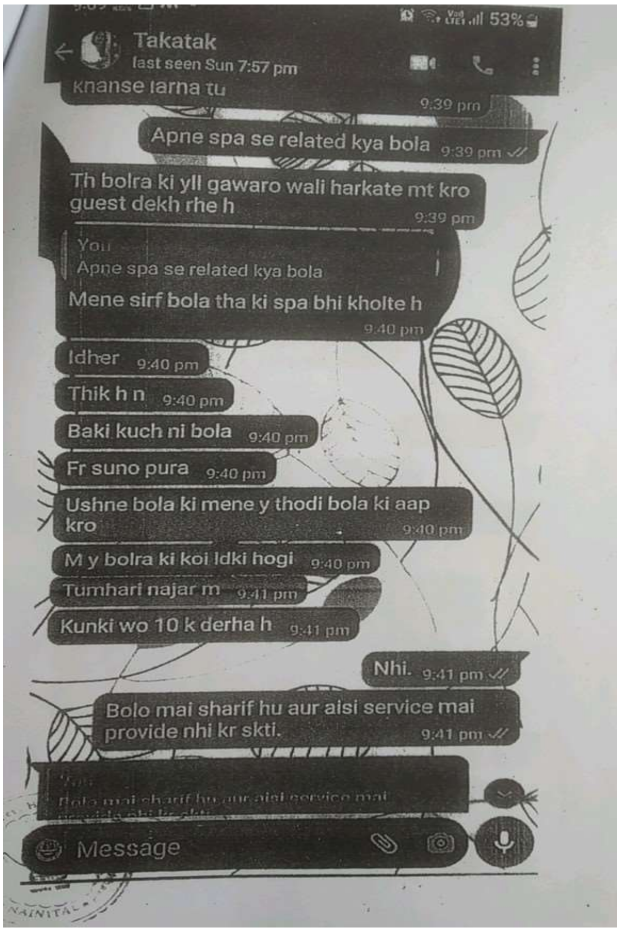

"Bolo mai sharif hu aur aisi service mai provide nhi kr skti.": Hn bola mene …9:42pm
Mene bola bhai tu kya sochta ki m gareeb hu th y 10 k m bhik jau …9:42pm

Beba yeh log us ladki k sath kya krenge hme kya pta... …9:42pm

Tumhare ish resort k liy …9:42pm
Ushne bola Abe tu pgl h kya mene tujhe thodi bola …9:42pm
But beba m janti hu y logo n janbhuj k bola mujhe …9:43pm
Taki m manjaungi …9:43pm

Hn mujh pa h …9:43pm

"Beba yeh log us ladki k sath kya krenge hme kya pta…": Beba extra service means sex …9:43pm

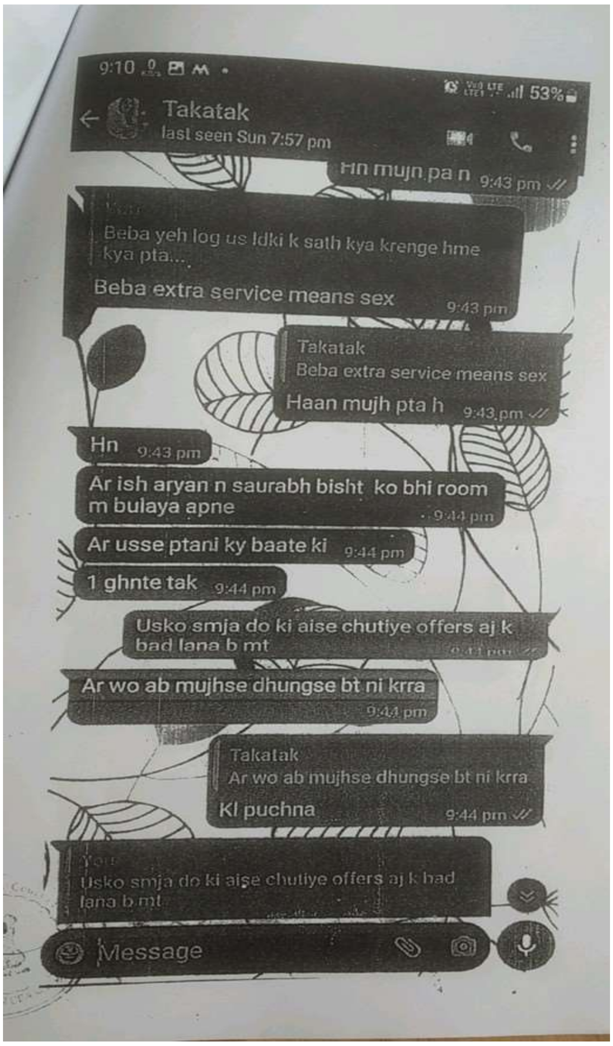

“Beba extra service means sex”: haan mujh pta h …9:43pm

Hn …9:43pm
Ar ish aryan n Saurabh bisht ko bhi room m bulaya aapne …9:44pm
Ar usse ptani ky baate ki …9:44pm
1 ghnte tak …9:44pm

Usko smja do ki aise chutiye offers aj k bad lana b mt …9:44pm
Ar wo ab mujhse dhungse bt ni krra …9:44pm

“Ar wo ab mujhse dhungse bt ni krra”: Kl puchna …9:44pm

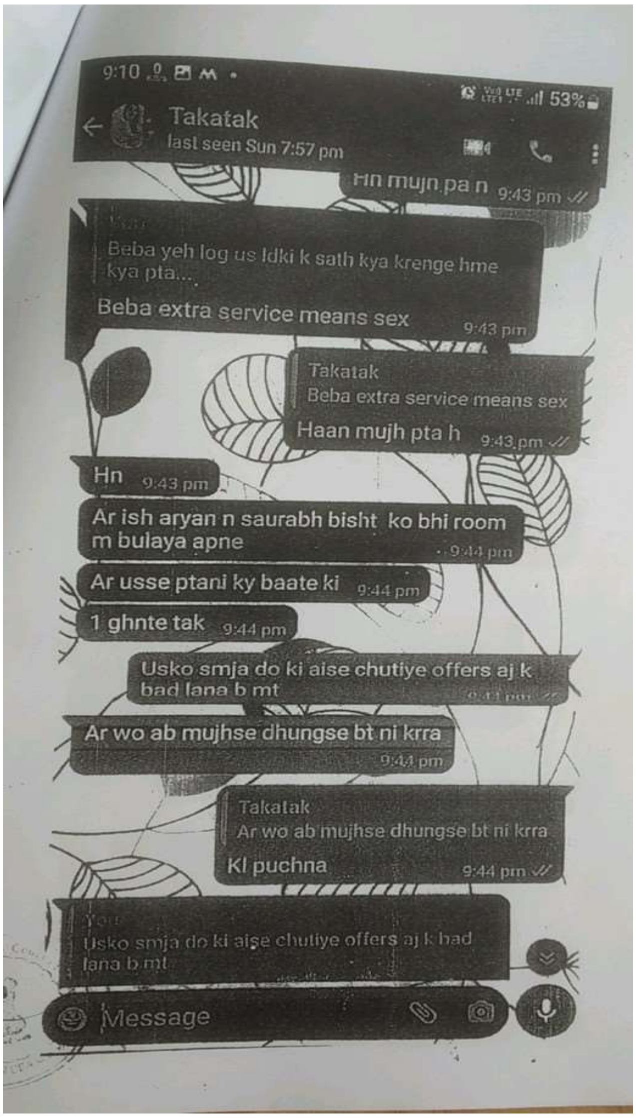

"Usko smja do ki aise chutiye offers aj k bad lana b mt": Ar tumko pta y bat hone k bad ushne bola ki sir ko mt bolna ...9:44pm
Lekin mujhe pta h ...9:44pm
Aryan ko sab pta h ...9:44pm
In tino n janbhuj k bola ...9:45pm
Taki m hn bolu ...9:45pm
In peso k liy ...9:45pm

Hn ...9:45pm
Direct koi ni bolta ...9:45pm
Lgta h beba inko abhi tak ache se smj nhi aya h ...9:46pm

Hn ...9:46pm
Lg hi rha h ...9:46pm
Ankit ko bulao aur ache se jhad do ...9:46pm
Are chordo yll ...9:46pm
Eso k sath jada bolna bekar ...9:46pm

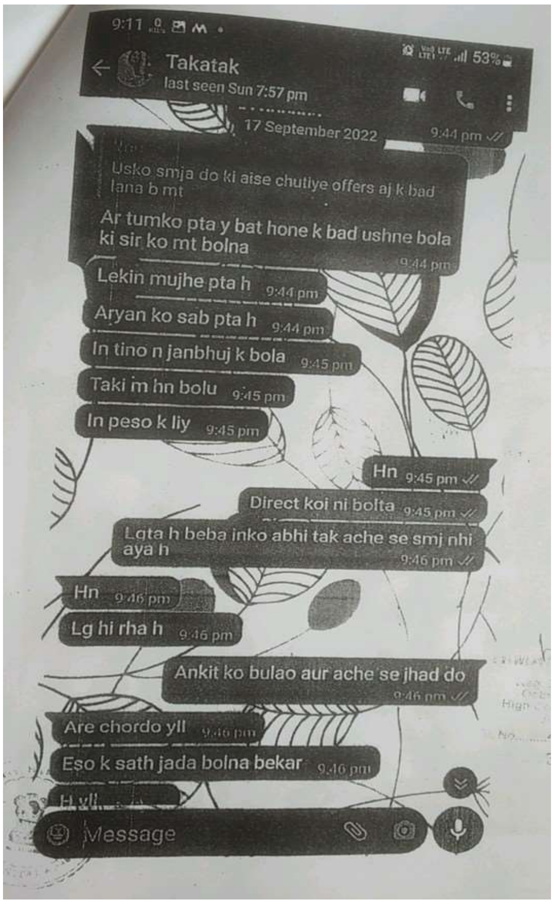

h yll 9:46pm

Beba usko ache se smja do ki aise offers na laaye …9:47pm

Hn …9:47pm

Next time kuch bola n …9:47pm

Y th fr m yhan kaam ni krungi …9:47pm

Saala itna gnda hotel h …9:48pm

Bc …9:48pm

Rand bnane m tule h …9:48pm

Mujhe 9:48pm

Haan …9:48pm

Call uthana 9:48pm

Hn 9:48pm

Good night 😴 11:19pm

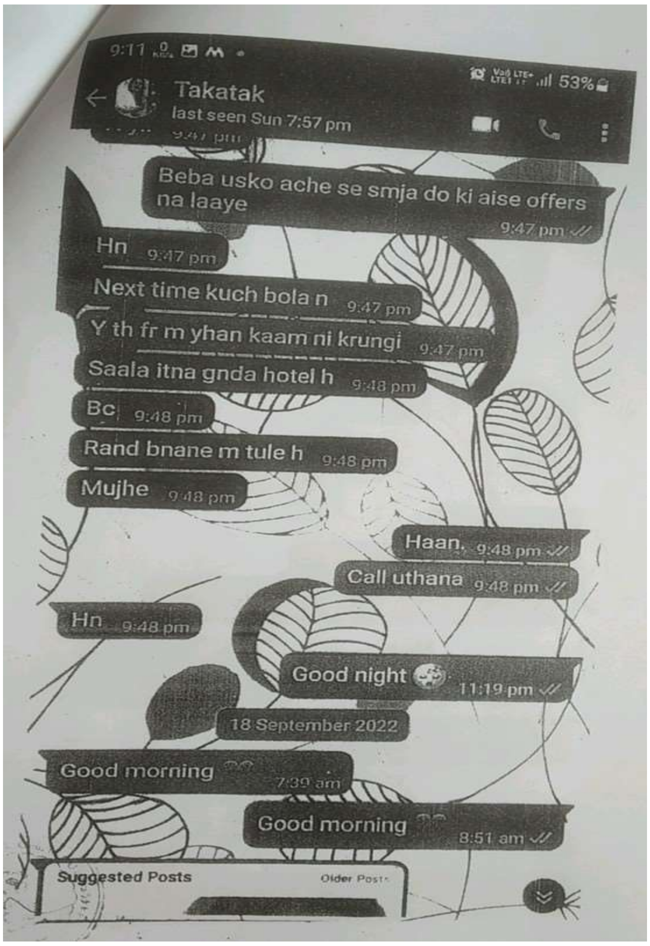

18 September 2022

Ankita Pushp

Good morning ❤ 7:39am

Good morning ❤ 8:51 am

19 September 2022

Fr bola ki tum ko guest handle krne h 11:03am

Call kru kya 11:03am

“Fr bola ki tum ko guest handle krne h”: hnji ...11:04am

Agar ni kiya th tumhe htadenge ...11:04am

Ar dusri ladki ...11:04am

Aegi ...11:04am

Yeh kisne bola aryan ne 11:04am

Fr wo dominant hogi ...11:04am

“Yeh kisne bola aryan ne”: Hn ...11:04am

Hm ...11:04am

Apko hatayege nhi ...11:04am

Don't worry ...11:04am

😩 😩 11:04 am

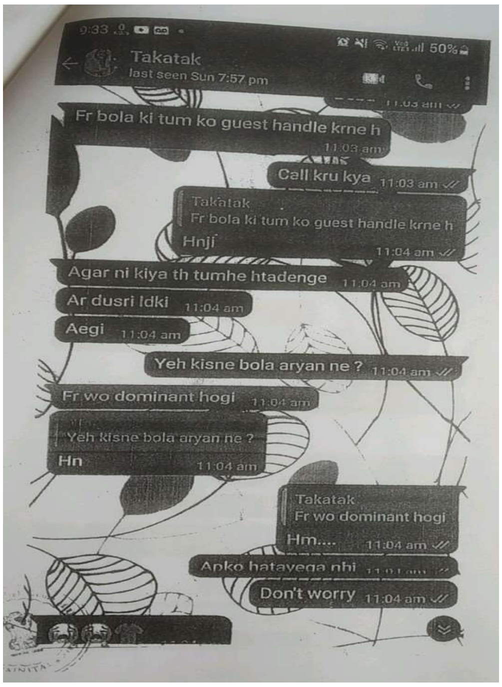

Ankita Pushp

Mera room shift hogya h 2:46 pm

Why
Beba
Aur kaha hua abh 2:46 pm

Kuch dino k liy
Sir k room m
Kunki guest ane h
Ab bhut 2:47 pm

Ankita Pushp

Can i call u
Now.
Can we talk
A little 8:45pm

Beba
Ek ***** tha n
Ushne yll merko hug kiya
Daaru pirkhi thi ushne
Mene kuch ni bola
Ar Ankit n bhi bola ki kuch nhi bolna
Unhone pi rkhi h
Th fr bhut Idhai hojaegi 10: 08 pm

Kon h vo
“Ek ***** tha n”: Iska no. Niklwa lo kisi trhah 10:21 pm
Is mai personally milunga vaha akt.

संलग्नक– 7 : वनंतरा रिज़ॉर्ट में एक हाउसकीपिंग कर्मचारी अभिनव के सोशल मीडिया पर वीडियो का प्रतिलेख

(याचिका आशुतोष नेगी बनाम उत्तराखंड राज्य WPTRL 1974 / से लिया गया)

न्यूज़ रिपोर्टर – कौन सा बोल रहा है छोटा वाला या बड़ा वाला

अभिनव – मैं अभिनव बोल रहा,

न्यूज़ रिपोर्टर – भाई तूने देखा क्या उन्हें बाहर ले जाते हुए

अभिनव – हाँ रात को सौरभ सर लेकर गये थे, बगल वाले सर हैं जो सौरभ सर उन्होंने बाइक पर बिठाया था, और पीछे पीछे वो दोनों चले गए थे।

न्यूज़ रिपोर्टर – स्कूटी में ना

अभिनव – उससे पहले मैं और खुश गेस्ट के रूम में जा रहे थे सामान लेके जा रहे थे बैग, मैं तो नीचे बैठा हुआ था सर मुझे दिख गये थे सर उसके रूम में थे और वो तब भी रो रही थी,

न्यूज़ रिपोर्टर – कौन से वाले सर सौरभ सर कि पुलकित सर,

अभिनव – पुलकित सर पुलकित सर,

न्यूज़ रिपोर्टर – अच्छा तो वो रो रही थी कितने बजे की बात हैं ये,

अभिनव – शाम के टाइम 6 बजे से पहले की,

न्यूज़ रिपोर्टर – अच्छा 6 बजे से पहले की बात हैं ना ये, तो उस टाइम वो रो रही थी,

अभिनव – तो हम उपर से मैं और मेरा दोस्त अन्दर था मैं जैसे ही बाहर निकला तो ड्राईवर साहब बाहर ही खड़े थे मैम बाहर किसी से बात कर रही थी, तो सर आये एकदम से मैम हेल्प हेल्प चिल्लाई फोन में किसी से तो सर ने उनका मुहं बंद कर दिया, और चिपट गए उन्हें,

न्यूज़ रिपोर्टर – तो ये कितने बजे की बात हैं, ये भी उसी समय की बात हैं,

अभिनव – ये भी 6 बजे से पहले की हैं सब,

न्यूज़ रिपोर्टर – ये तूने अपनी आँखों से देखा है न सब भाई,

अभिनव – फिर में खिड़की से झांक रहा था, उनके रूम में बाहर से दीखता है न तो शायद किसी ने देख लिया होगा तो उन्होंने खिड़की जो है ना बंद कर दिया, ऐसा एक घंटे तक मैडम के रूम में 7 बजे तक उनके रूम में ही थे पुलकित सर और कोई नहीं था,

न्यूज़ रिपोर्टर – उसके बाद क्या हुआ आगे का नाईट का और बता 7 बजे के बाद बंद किया, फिर वो अकेला आया बाहर,

अभिनव – फिर जो है ना उन्हें लेके जा रे वो लोग, मतलब कि मैडम तो अन्दर रो रही थी, तो वो अंकित हैं वो नाचते हुए अंदर गया, में बैठा हुआ था रेस्पेशन पे, और कोई नहीं था मैं बैठा हुआ था सोफे में, तो मुझे दिखा मैडम अन्दर खड़ी थी और वो है जो ना अंकित मैडम के सामने 20 से 30 सेकंड नाचा और मैडम को बाथरूम वाली साइड लिया फिर सर अंदर घुसे और पुलकित सर ले गए हाथ पकड के,

न्यूज़ रिपोर्टर – अच्छा वो उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी, छिना झपटी करके,

अभिनव – हाँ छिना झपटी करके, जैसे भी करके मनाया रोते हुए गयी वो यंहा से, और वो अंकित नाच रहा था

न्यूज़ रिपोर्टर – अच्छा वो पीछे से नाच नाच कर जा रहा था, उसको तो नचायेगे रुको पुलिस वालो को बतायेगे ये चीजे, भाई तेरा नाम क्या हैं में भूल गया भाई

अभिनव – मैं तो अभिनव हूँ और मेरे भाई का नाम खुश हैं,

न्यूज रिपोर्टर – भाई बहुत बहुत धन्यवाद तेरा तूने ये सब चीज बतानी हैं, तो तूने देखी हैं, दिन में भी उनके साथ बदतमीजी हुयी हैं ना, दिन में भी उनका मुहं पकड़–पकड़ कर वो जब हेल्प हेल्प चिला रही थी तो तब भी उनको कमरे में बंद कर दिया ना,

अभिनव – हाँ, वो तो ड्राईवर साहब भी थे वंहा पर गवाह, वो भी पूछ रहे थे,

न्यूज़ रिपोर्टर – थेंक्यु भाई, सुन भाई ये तेरा न ही हैं, मैं तुझे कॉल करूँगा तू कॉल उठा दियो भाई, और सब साफ साफ बताईयों तुझे सब बात पता हैं,

अभिनव – रात जो हैं ना इन्होने बुलाया सबको, तो किसी को तो पता नहीं था कुछ भी, तो ये पूछ रहे थे किस किस ने देखा हमे उसे यंहा पर लाते हुए, तो मैंने बोल दिया कि सर मैंने देखा आपको लाते हुए; ....फिर सर ने भेज दिया सबको अन्दर, मैं अंकित नजर रख रहा था।

संलग्नक– 8 : जीरो एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

The information given to a police officer and reduced to in writing as per the provisions of Section 154 of the Code of Criminal Procedure, 1973[1] (hereinafter, the CrPC) is known as the first information. First information report (hereinafter, FIR) has not been defined under the CrPC but must be understood in the context of the provisions under Section 154. The principal object of the first information report from the point of view of the informant is to set the criminal law into motion, and from the point of view of the investigating authorities is to obtain information about the alleged criminal activity so as to be able to take suitable steps to bring the guilty before the court.

Ingredients of FIR: Anyone who has any information about the commission of a cognizable offence [2] can lodge a FIR. It is not necessary that he or she should be the victim or an eye-witness. It was held in Hallu and Others v. State of Madhya Pradesh [3] that Section 154 does not require that the FIR must be given by a person who has personal knowledge of the incident reported, as the section does not specifically state so. The process is very simple. The informant simply has to visit a police station and furnish all the information pertaining to the commission of an offence, orally or in writing. If given orally, the police officer must reduce the information in writing or authorise his junior to do so. In non-cognizable offences, when an informant approaches the officer in charge, the officer enters such information in his book maintained as per format prescribed by the State government. An investigation for a non-cognizable offense can be made only after receiving an order from magistrate under Section 155(3) of CrPC. The investigating powers of a police officer are same in both cognizable and non- non-cognizable offences. In State of West Bengal and Others v. Swapan Kumar Guha and Others [4], the Honourable Supreme Court of India (hereinafter, the Apex Court) held: There is no such thing like unfettered discretion in the realm of powers defined by statutes and indeed, unlimited discretion in that sphere can become a ruthless destroyer of personal freedom. The power to investigate into cognizable offences must, therefore, be exercised strictly on the condition on which it is granted by the Code.[5]

Zero FIR: The concept of zero FIR is new. It refers to a FIR that is registered irrespective of the area where the offence is committed. The police in such a case can no longer claim that they have no jurisdiction. Such a FIR is then later transferred to the police station that has the actual jurisdiction so that investigation can begin. It was introduced on the recommendation of the Justice Verma Committee formed at the backdrop of the brutal Nirbhaya gang rape in Delhi in 2012.[6] This puts a legal obligation on the police to begin investigation and take quick action without the excuse of absence of jurisdiction. Landmark Judgments the Apex Court in Lalita Kumari v. Government of U.P. [7] observed that it is mandatory to register a FIR under Section 154 if the complaint is related to a cognizable offence. In State of Andhra Pradesh v. Punati Ramulu and Others [8] where the constable refused to lodge the FIR by the informant who was the nephew of the deceased and an eye witness of the crime on the grounds of jurisdictional limitations, the court observed the failure of duty of the police constable and emphasized on his legal obligation to record the information and then transfer it to the competent police station. In Kirti v. State [9], the court directed the Commissioner of Delhi police to furnish a standing order to every police station in the National Capital Territory of Delhi to accept all and any information they receive which discloses the occurrence of a cognizable offence even if police station is incompetent on grounds of jurisdictional limitation and thereafter transfer the case to the competent police station.

Conclusion: The concept of Zero FIR is a beneficial tool for the women of the country against crimes like sexual harassment and rape. However, the fact that most of the police officials are not aware of it and still deny registration of a FIR in such a case on grounds of jurisdiction. Such officers must be educated with regard to such a law and it is the responsibility of the respective state governments.

End-Notes: The Code of Criminal Procedure, 1973, Acts of Parliament, No. 2, 1974 (India Ibid., s. 2(c). AIR 1974 SC 1936 (India). AIR 1982 SC 949 (India). Ibid. J. J. S. Verma Committee, Report of the Committee on Amendments to criminal law (January 23, 2013). (2014) 2 SCC 1 (India). AIR 1993 SC 2644 (India). Crl. M.C. 5933/2019 and Crl. M.A. 40833/2019, Delhi High Court, decided on November 29, 2019.

https://www.legalserviceindia.com/legal/article-4370-zero-fir.html

संलग्नक– 9 : पुलिस महानिदेशक को दिया गया ज्ञापन

देहरादून

28 अक्तूबर 2022

पुलिस महानिदेशक
उत्तराखंड पुलिस
पुलिस मुख्यालय, देहरादून

विषयः अंकिता भण्डारी हत्याकांड मामले में अधिकारियों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा इस मामले से जुड़े अन्य मुद्दों के सम्बंध में।

महोदय,

अंकिता भण्डारी हत्याकांड मामले में देश भर के महिला एवं मानवाधिकार संगठनों ने मिलकर एक राष्ट्रीय फैक्ट फाइन्डिंग टीम का गठन किया और इस मामले की पड़ताल की है। इस मुद्दे पर हम राज्य भर का दौरा कर रहे हैं और अपनी मांगों को अधिकारियों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं।

शुरूआत में ही हम कहना चाहते हैं कि अंकिता भण्डारी हत्याकांड मामला अधिकारियों द्वारा आपराधिक कानून के अनुपालन और पर्याप्त तत्परता दिखाने में नाकामयाब रहने का एक शर्मनाक उदाहरण है। इस बात से लोगों में आक्रोश है कि किस प्रकार महज 19 वर्ष की एक युवती को उसके ही जिले पौड़ी गढ़वाल के एक रिज़ॉर्ट में नौकरी शुरू करने के मात्र 18 दिन के भीतर मार डाला गया। यहां उसकी हत्या ही नहीं हुई बल्कि उसके व उसके परिजनों के सपनों और उम्मीदों की भी हत्या कर दी गई जिन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ अपनी बेटी को घर से बाहर काम करने के लिए भेजा था। यह भी स्पष्ट है कि उस जगह उसे जबरन वेश्यावृत्ति की ओर धकेले जाने से रोकने के लिए कोई सुरक्षा नहीं मिल सकी थी।

अंकिता भण्डारी के परिजनों, राज्य के सामाजिक संगठनों, पत्रकारों, मुख्य सचिव, राज्य महिला आयोग और पुलिस एसआईटी से मिलने के बाद, हम मजबूती से यह महसूस करते हैं कि इस मामले में लोगों के आक्रोश का कारण पहले ही सप्ताह में कानून के अनुपालन में बरती गई शिथिलता था। इस दौरान न तो प्राथमिकी दर्ज़ की गई और न ही हत्या की जांच शुरू की गयी। सभी यह बात जान रहे थे कि होटल मालिक पुलकित आर्य ने खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत और रसूख का इस्तेमाल किया। भारत के किसी भी अन्य राज्य में आज ऐसा नहीं सुनाई देता कि हत्या के मामले में 72 घंटे तक प्राथमिकी दर्ज़ नहीं की गयी हो, बावजूद इसके कि लड़की के पिता ने इसके लिए दिन रात एक कर दिया था। यह बात तो और भी घृणित है कि राज्य में कानून की धज्जियां उड़ायी गयीं और एक विधायक ने उस घटनास्थल पर बुलडोजर चला कर सबूतों को नष्ट कर डाला, जिसे कथित रूप से पुलिस ने सील किया हुआ था। यह घटनाक्रम आरुषि तलवार हत्या कांड मामले की याद दिलाता है, जहां हर किसी को घर के भीतर जाकर सबूतों को नष्ट करने की इजाजत दे दी गयी और सभी आरोपी आजाद हो गये।

हत्या हुए पूरे चालीस दिन बीत चुके हैं। 18 सितंबर को अंकिता की हत्या की गयी। अंकिता के परिजनों और राज्य की जनता को सिर्फ एक आस है कि इस मामले की साफ़ और न्यायसंगत जांच होगी और हत्यारे छूटेंगे नहीं।

यही वह संदर्भ है जिसके लिए हम इस अपराध और उसकी जांच से जुड़े कुछ मुद्दों को आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं।

अंकिता भण्डारी हत्याकांड मामले में राजस्व पुलिस की भूमिका और प्राथमिकी दर्ज न करने का आपराधिक इंकार तथा जांच शुरू करने में कोताही।

अंकिता हत्याकांड मामले को बिगाड़ने में राजस्व पुलिस ने भूमिका निभाई है। इस व्यवस्था के कारण पटवारी पुलिस के सम्मुख प्राथमिकी दर्ज़ करवाने के पिता के प्रयासों को बड़ी ढिठाई से नामंजूर कर दिया गया। संबंधित पटवारी वैभव प्रताप सिंह ने पुलकित आर्य से गुमशुदगी की रिपोर्ट ली और यह कहकर ठंडे बस्ते में डाल दिया कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले वह 24 घंटे इंतज़ार करेगा, जब कि गुमशुदगी के मामलों में ऐसा कभी नहीं होता। अलबत्ता वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों को गुमशुदगी की इत्तिला दिए बगैर 19 तारीख की शाम को छुट्टी पर चला गया। प्रभारी पटवारी विवेक कुमार ने पिता बीरेंद्र सिंह से बात करने से इंकार कर दिया और 20 सितंबर को पांच घंटे तक इंतज़ार करवाया। विवेक कुमार ने उन्हें यह कहकर विस्तृत प्राथमिकी भी नहीं लिखने दी और कुछ पंक्तियों में अंकिता के गायब हो जाने की बात लिखवायी

कि इस मामले में वनन्तरा रिज़ॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य की रिपोर्ट मुख्य रिपोर्ट है और उनकी रिपोर्ट को भी इसके साथ नत्थी कर दिया जाएगा। यह अपने आप में मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बार–बार दोहराया है कि किसी घटना पर अलग–अलग दृष्टिकोण से एक से ज्यादा प्राथमिकियां दर्ज़ हो सकती हैं। इस अधिकार की अवहेलना अपने आप में गंभीर मामला है।

गुमशुदगी की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई करने की स्थानीय पटवारी पुलिस की अनिच्छा के कारण 22 तारीख तक इस मामले में कोई प्रयास नहीं हुआ। आपराधिक मामलों में आरोपी हमेशा देरी का फायदा उठाते हैं, क्योंकि साक्ष्य नष्ट हो जाते हैं और जान जा सकती है। पिता यहां–वहां हर जगह दौड़ते रहे, राज्य महिला आयोग के पास गए। विधान सभा अध्यक्ष को गुहार लगायी। आप पुलिस महानिदेशक महोदय से भी मिले और तब जाकर 22 सितंबर को जिलाधिकारी ने मामले की जांच नियमित पुलिस को स्थानांतरित की। एक गुमशुदगी के मामले का, जो एक हत्या थी, इस तरह दिल दहला देने वाला किस्सा, राज्य में जीवन के अधिकार के मसलों पर तत्काल सोचने की ज़रूरत को चीख–चीखकर उठाता है। परिणामस्वरूपः

- **हम मांग करते हैं कि दोनों राजस्व पुलिस अधिकारी बर्ख़ास्त हों और**
- **पर्याप्त तत्परता दिखाने में नाकाम होने और 19 तारिख को लिखाई गयी रिपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई न करने पर जिलाधिकारी के खिलाफ सख्त कारवाई हो।**

प्राथमिकी दर्ज़ करने से इंकार के लिए अधिकार क्षेत्र कोई आधार नहीं हो सकताः उत्तराखंड राज्य में जीरो प्राथमिकी व्यवस्था हटा दें।

यह बेहद शर्मनाक है कि पौड़ी गढ़वाल जिला पुलिस, लक्ष्मण झूला पुलिस और कोतवाली ऋषिकेश ने इस आधार पर प्राथमिकी दर्ज़ करने से इंकार कर दिया कि मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। चूंकि प्राथमिकी दर्ज़ करना हर नागरिक का अधिकार है, इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कई फैसले भी दिए हैं, इसलिए अधिकांश राज्यों में ज़ीरो प्राथमिकी दर्ज़ करने की व्यवस्था लागू है। वे प्राथमिकी दर्ज़ कर पटवारी या नियमित पुलिस को स्थानांतरित कर सकते थे।

हम जानना चाहते हैं कि क्या राज्य में जीरो प्राथमिकी की व्यवस्था लागू है ? अगर नहीं है तो जल्द से जल्द इसे लागू किया जाय।

हम यह भी जानना चाहते हैं कि उक्त तीनों पुलिस स्टेशनों के एसएच ओ के खिलाफ़ आपने क्या कदम उठाये, जिन्होंने प्राथमिकी दर्ज़ करने से इंकार किया था।

साक्ष्यों से छेड़छाड़

लक्ष्मण झूला पुलिस ने 22 सितंबर को रिज़ॉर्ट पर छापा मारा और कुछ आरोपियों को उस दिन गिरफ़्तार कर लिया। क्यों नहीं अपराध स्थल को सील किया गया और अचानक विधायक रेनू बिष्ट को परिसर में घुसकर उस पर बुलडोजर चलवाने और उस कमरे को नष्ट करने की इजाजत दे दी गयी, जहां अंकिता रहा करती थी। लोगों ने साथ लगी फैक्टरी को भी आग लगा दी।

एसआइटी मामले में उन सूत्रों की जांच करे कि महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नष्ट करने में रेनू बिष्ट की क्या भूमिका थी। उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाय।

अंकिता भण्डारी मामले में मेडिकल साक्ष्य

हमें इस बात पर हैरानी होती है कि इस मामले में एम्स द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड में किसी स्त्री प्रसूतिविज्ञानी या महिला डॉक्टर को क्यों शामिल नहीं किया गया, जब कि एक महिला से जुड़ा मामला था और यह आरोप भी लग रहे थे कि वह यौन हिंसा की शिकार हो सकती थी। इस बात की सरकार ने जांच करनी चाहिए और एम्स से पूछा जाना चाहिये कि संस्थान में आधा दर्जन से ज्यादा प्रसूतिविज्ञानियों की मौजूदगी के बावजूद उन्होंने मेडिकल बोर्ड में सिर्फ पुरुषों को ही क्यों शामिल किया। जांच केवल फोरेंसिक टीम ने ही क्यों की?

हम माँग करते हैं कि एक एडवाइजरी जारी हो कि यौन उत्पीड़न के मामलों में गठित होने वाले मेडिकल बोर्ड में जहां तक संभव हो एक महिला डॉक्टर को भी शामिल किया जाय। महिला डॉक्टर के उपलब्ध न होने पर ही सभी पुरुष सदस्यों वाली टीम बने। यह व्यवस्था उत्तराखंड पुलिस के व्यवहार का हिस्सा बन जानी चाहिए।

गवाहों की सुरक्षा

हम जानना चाहेंगे कि क्या इस मामले में सभी मुख्य गवाहों– अंकिता भण्डारी का दोस्त पुष्प, जो इस मामले की प्रमुख कड़ी है, वनन्तरा रिज़ॉर्ट के कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी, मेरठ के दंपति इशिता व विवेक (हम उम्मीद करते हैं कि एसआइटी ने अपनी

जांच में उन्हें शामिल किया होगा, उनका वीडिओ पुलकित व उसकी प्रबंधक टीम की पिछली कारगुजारियों को साफ़–साफ़ उजागर करता है), पिता बीरेंद्र सिंह और अन्य जो हत्या के अपराध को साबित करने के लिहाज से अहम हैं, को गवाह सुरक्षा प्रदान की गयी है। अगर नहीं, तो यह जल्द से जल्द दी जानी चाहिए।

महोदय,

हम चाहते हैं कि आप हमें और समूची जनता को आश्वस्त करें कि अंकिता भण्डारी हत्याकांड मामले की साफ़ और न्यायपूर्ण जांच होगी तथा अनियमितता बरतने वाले सभी अधिकारियों के खिलाफ़ कार्रवाई सहित आपके सम्मुख रखी गई अन्य मांगों को भी पूरा किया जाएगा।

राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त कर इसकी जगह नियमित पुलिस व्यवस्था लागू करने के इस संक्रमण काल में हम उम्मीद करते हैं कि प्राथमिकी दर्ज़ करने से इंकार नहीं किया जाएगा। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि नए पुलिस थानों और उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में पर्याप्त प्रचार होगा और जागरूकता पैदा की जाएगी। साथ ही ज़ीरो प्राथमिकी के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाया जाएगा और महिलाओं के खिलाफ़ होने वाले अपराधों के मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

हम यह भी उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की तरह यहां भी प्रत्येक पुलिस थाने के साथ नागरिक संपर्क समूह (Citizens Liasoning Group) की व्यवस्था लागू की जाएगी। सीएलजी पुलिस के प्रति जवाबदेही व निगरानी का एक मंच बन सकता है।

सादर,

हम हैं,

उमा भट्ट, मैमूना मुल्ला, माया चिलवाल, पुष्पा चौहान, श्रुति जैन, दमयन्ती नेगी, निर्मला बिष्ट, कविता श्रीवास्तव, पद्मा गुप्ता, ऋचा सिंह, मेहविश एवं दीप्ति भारती।

कृते

उत्तराखंड महिला मंच, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL), आल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमंस एसोसिएशन (AIDWA), नेशनल फैडरेशन ऑफ़ इंडियन वीमन (NFIW), जागोरी ग्रामीण हिमाचल, किसान अधिकार मंच (MAKAAM), भारत ज्ञान विज्ञान समिति (BGVS) कर्नाटक बिलकिस बानो के साथ, पर्यटन विशेषज्ञ एवं स्वतंत्र अध्ययन करता व कार्यकर्ता।

संपर्कः उमा भट्टः 8958802074, दमयंती नेगीः 8171454592, निर्मला बिष्टः 9897314656

संलग्नक– 10 : मुख्य सचिवए उत्तराखण्ड को दिया गया ज्ञापन

देहरादून
28 अक्तूबर 2022
मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार
देहरादून

विषयः अंकिता भण्डारी हत्याकांड मामले में अधिकारियों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा इस मामले से जुड़े अन्य मुद्दों के सम्बंध में।

महोदय,

अंकिता भण्डारी हत्याकांड मामले में देश भर के महिला एवं मानवाधिकार संगठनों ने मिलकर एक राष्ट्रीय फैक्ट फाइन्डिंग टीम के गठन का निर्णय लिया और इस मामले की पड़ताल की है। इस मुद्दे पर हम राज्य भर का दौरा कर रहे हैं और अपनी मांगों को अधिकारियों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं।

शुरुआत में ही हम कहना चाहते हैं कि अंकिता भण्डारी हत्याकांड मामला अधिकारियों द्वारा आपराधिक कानून के अनुपालन और पर्याप्त तत्परता दिखाने में नाकामयाब रहने का एक शर्मनाक उदाहरण है। इस बात से लोगों में आक्रोश है कि किस प्रकार महज 19 वर्ष की एक युवती को उसके ही जिले पौड़ी गढ़वाल के एक रिज़ॉर्ट में नौकरी शुरू करने के मात्र 18 दिन के भीतर मार डाला गया। यहां उसकी हत्या ही नहीं हुई बल्कि उसके व उसके परिजनों की सपनों और उम्मीदों की भी हत्या कर दी गई जिन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ अपनी बेटी को घर से बाहर काम करने के लिए भेजा था। यह भी स्पष्ट है कि उस जगह उसे जबरन वेश्यावृत्ति की ओर धकेले जाने से रोकने के लिए कोई सुरक्षा नहीं मिल सकी थी।

अंकिता भण्डारी के परिजनों, राज्य के सामाजिक संगठनों, पत्रकारों, मुख्य सचिव, राज्य महिला आयोग और पुलिस एसआईटी से मिलने के बाद, हम मजबूती से यह महसूस करते हैं कि इस मामले में लोगों के आक्रोश का कारण पहले ही सप्ताह में कानून के अनुपालन में बरती गई शिथिलता था। इस दौरान न तो प्राथमिकी दर्ज़ की गई और न ही हत्या की जांच शुरू की गयी। सभी यह बात जान रहे थे कि होटल मालिक पुलकित आर्य ने खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत और रसूख का इस्तेमाल किया। भारत के किसी भी अन्य राज्य में आज ऐसा नहीं सुनाई देता कि हत्या के मामले में 72 घंटे तक प्राथमिकी दर्ज़ नहीं की गयी हो, बावजूद इसके कि लड़की के पिता ने इसके लिए दिन रात एक कर दिया था। यह बात तो और भी घृणित है कि राज्य में कानून की धज्जियां उड़ायी गयीं और एक विधायक ने उस घटनास्थल पर बुलडोजर चला कर सबूतों को नष्ट कर डाला, जिसे कथित रूप से पुलिस ने सील किया हुआ था। यह घटनाक्रम आरुषि तलवार हत्या कांड मामले की याद दिलाता है, जहां हर किसी को घर के भीतर जाकर सबूतों को नष्ट करने की इजाजत दे दी गयी और सभी आरोपी आजाद हो गये।

हत्या हुए पूरे चालीस दिन बीत चुके हैं। 18 सितंबर को अंकिता की हत्या की गयी। अंकिता के परिजनों और राज्य की जनता को सिर्फ एक आस है कि इस मामले की साफ़ और न्यायसंगत जांच होगी और हत्यारे छूटेंगे नहीं। यही वह संदर्भ है जिसके लिए हम दो मुद्दों को आपने संज्ञान में लाना चाहते हैं।

पहला उन अधिकारियों के खिलाफ़ कार्रवाई से जुड़ा है जिन्होंने जांच प्रक्रिया में ढिलाई बरती और साक्ष्यों को नष्ट किया। दूसरा, हम चाहते हैं कि कार्यस्थलों पर महिला कर्मियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सरकार महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े सवालों की वस्तुगत ढंग से जांच करे, खास तौर पर होटल उद्योग के संदर्भ में जहां अंकिता की भी हत्या कर दी गयी।

अंकिता भण्डारी हत्याकांड मामले में राजस्व पुलिस की भूमिका और प्राथमिकी दर्ज न करने का आपराधिक इंकार तथा जांच शुरू करने में कोताही।

अंकिता हत्याकांड मामले को बिगाड़ने में राजस्व पुलिस ने भूमिका निभाई है। इस व्यवस्था के कारण पटवारी पुलिस के सम्मुख प्राथमिकी दर्ज़ करवाने के पिता के प्रयासों को बड़ी ढिठाई से नामंजूर कर दिया गया। संबंधित पटवारी वैभव

प्रताप सिंह ने पुलकित आर्य से गुमशुदगी की रिपोर्ट ली और यह कहकर ठंडे बस्ते में डाल दिया कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले वह 24 घंटे इंतज़ार करेगा, जब कि गुमशुदगी के मामलों में ऐसा कभी नहीं होता। अलबत्ता वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों को गुमशुदगी की इत्तिला दिए बगैर 19 तारीख की शाम को छुट्टी पर चला गया। प्रभारी पटवारी विवेक कुमार ने पिता बीरेंद्र सिंह से बात करने से इंकार कर दिया और 20 सितंबर को पांच घंटे तक इंतज़ार करवाया। विवेक कुमार ने उन्हें यह कहकर विस्तृत प्राथमिकी भी नहीं लिखने दी और कुछ पंक्तियों में अंकिता के गायब हो जाने की बात लिखवायी कि इस मामले में वनन्तरा रिज़ॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य की रिपोर्ट मुख्य रिपोर्ट है और उनकी रिपोर्ट को भी इसके साथ नत्थी कर दिया जाएगा। यह अपने आप में मानवाधिकारों के उल्लंघन गंभीर मामला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बार–बार दोहराया है कि किसी घटना पर अलग–अलग दृष्टिकोण से एक से ज्यादा प्राथमिकियां दर्ज़ हो सकती हैं। इस अधिकार की अवहेलना अपने आप में गंभीर मामला है।

लेकिन 22 तारीख तक गुमशुदगी की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इस मामले में कुछ भी करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। पीडिता के पिता राज्य महिला आयोग के पास गए। विधान सभा अध्यक्ष को गुहार लगायी। पुलिस महानिदेशक महोदय से भी मिले और तब जाकर 22 सितंबर को जिलाधिकारी ने मामले की जांच नियमित पुलिस को स्थानांतरिक की। एक गुमशुदगी के मामले का, जिसमें हत्या भी हुयी थी, इस तरह दिल दहला देने वाला किस्सा, चीख–चीखकर कहता है कि राज्य में जीवन के अधिकार के मसलों पर तत्काल सोचने की ज़रूरत है।

– हम मांग करते हैं कि दोनों राजस्व पुलिस अधिकारी बर्ख़ास्त हों और

– पर्याप्त तत्परता दिखाने में नाकाम होने और 19 तारिख को लिखाई गयी रिपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई न करने पर जिलाधिकारी के खिलाफ सख्त कारवाई हो।

प्राथमिकी दर्ज़ करने से इंकार के लिए अधिकार क्षेत्र कोई आधार नहीं हो सकताः उत्तराखंड राज्य में जीरो प्राथमिकी व्यवस्था हटा दें।

यह बेहद शर्मनाक है कि पौड़ी गढ़वाल जिला पुलिस, लक्ष्मण झूला पुलिस और कोतवाली ऋषिकेश ने इस आधार पर प्राथमिकी दर्ज़ करने से इंकार कर दिया कि मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। चूंकि प्राथमिकी दर्ज़ करना हर नागरिक का अधिकार है, इस पर सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसले भी दिए हैं, इसलिए अधिकांश राज्यों में ज़ीरो प्राथमिकी दर्ज़ करने की व्यवस्था लागू है। वे प्राथमिकी दर्ज़ कर पटवारी या नियमित पुलिस को स्थानांतरिक कर सकते थे।

हम यह भी जानना चाहते हैं कि उक्त तीनों पुलिस स्टेशनों के एसएचओ के खिलाफ़ आपने क्या कदम उठाये, जिन्होंने प्राथमिकी दर्ज़ करने से इंकार किया था।

साक्षों से छेड़छाड़

लक्ष्मण झूला पुलिस ने 22 सितंबर को रिज़ॉर्ट पर छापा मारा और कुछ आरोपियों को उस दिन गिरफ़्तार कर लिया। क्यों नहीं अपराध स्थल को सील किया गया और अचानक विधायक रेनू बिष्ट को परिसर में घुसकर उस पर बुलडोजर चलवाने और उस कमरे को नष्ट करने की इजाजत दे दी गयी, जहां अंकिता रहा करती थी। क्या जिलाधिकारी ने उसे घटना स्थल को नष्ट करने की इजाजत दी थी?

जहां पुलिस महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नष्ट करने में रेनू बिष्ट की भूमिका की आपराधिक भूमिका की जांच करेगी, वहीं क्या राज्य प्रशासन ने विधायक को इजाजत देने में जिलाधिकारी पौड़ी की भूमिका की जांच के लिए कोई जांच कमेटी बिठायी है?

पौड़ी गढ़वाल के जिलाधिकारी भी भूमिका इस मामले में निश्चित तौर पर शक के दायरे में है। अपराध चाहे भूलवश हुआ हो या जानबूझकर, जिलाधिकारी की भूमिका की जांच आवश्यक है।

अंकिता भण्डारी मामले में मेडिकल साक्ष्य

हमें इस बात पर हैरानी होती है कि इस मामले में एम्स द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड में किसी स्त्री प्रसूतिविज्ञानी या महिला डॉक्टर को क्यों शामिल नहीं किया गया, जब कि एक महिला से जुड़ा मामला था और यह आरोप भी लग रहे थे कि वह यौन हिंसा की शिकार हो सकती थी। इस बात की सरकार ने जांच करनी चाहिए और एम्स से पूछा जाना चाहिये कि उन्होंने मेडिकल बोर्ड में सिर्फ पुरुषों को ही क्यों शामिल किया।

हम माँग करते हैं कि एक एडवाइजरी जारी हो कि यौन उत्पीड़न के मामलों में गठित होने वाले मेडिकल बोर्ड में जहां तक संभव हो एक महिला डॉक्टर को भी शामिल किया जाय। महिला डॉक्टर के उपलब्ध न होने पर ही सभी पुरुष सदस्यों वाली टीम बने।

अंकिता का दाह संस्कार और मां सोनी देवी को बेटी के शव को देखने की इजाजत से इंकार

परिवार के लिए मामले का सबसे ह्रदय विदारक आयाम यह था कि पुलिस ने उन्हें बेटी का इच्छानुसार अंतिम संस्कार करने की इजाजत नहीं दी। मां को बेटी के शव को देखने के अधिकार से वंचित रखा गया और पिता, पत्नी व बेटे को एक–दूसरे से अलग पुलिस एवं नागरिक प्रशासन की संरक्षा में रखा गया। उन्हें एक–दूसरे से बात करने और बेटी के नश्वर अवशेषों के पास समय बिताने की मनाही थी।

परिवार को आज भी शिकायत है कि उन्हें रात के अंधेरे में दाह संस्कार करने पर मजबूर किया गया जब कि परंपरा में भी ऐसा करने की मनाही है।

दाह संस्कार आदि पर फैसला लेने के परिवार के निजी अधिकार को प्रशासन ने कुचल दिया। यह यकीनन प्रशासन की ज़्यादती है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और उम्मीद करते हैं वह इसके लिए मां से माफी मांगेगा और भविष्य में ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा।

क्षतिपूर्ति एवं पुनर्वास नीतिः

अंकित भण्डारी मामले में मुख्यमंत्री ने अंकित के पिता श्री बीरेंद्र भण्डारी को 25 लाख रुपए का चैक दिया। बेशक इस बात की प्रसंशा की जानी चाहिए लेकिन एक सुपरिभाषित नीति की अनुपस्थिति में राज्य से मिलने वाली वित्तीय सहायता तदर्थ ही रह जाती है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर भी यह महिला आंदोलन का एक बहु–प्रतीक्षित मुद्दा बना हुआ है और राज्य में एक समग्र क्षतिपूर्ति एवं पुनर्वास नीति बननी चाहिए। आपराधिक मामलों में जांच एजेंसियों के साथ न केवल लगातार निगरानी और जांच–पड़ताल की जरूरत पड़ती है बल्कि निजी वकीलों को रखने आदि में भी पैसा खर्च करना पड़ता है। ये बातें सरकार की नजर में कभी नहीं आती हैं। इसके अलावा जीवित पीड़ित और मृतक का परिजनों के जीवन को फिर से ढर्रे पर लाने के लिए वित्त सहित दूसरी मदद की जरूरत पड़ती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर राज्य ने आपराधिक मामलों को संबोधित करते समय अवश्य विचार करना चाहिए।

होटल उद्योग में आंतरिक शिकायत कमेटी (ICC) और स्थानीय शिकायत कमेटी (LCC) का सर्वथा अभाव

यह बेहद शर्मनाक है कि विशाखा निर्णय के लागू होने के 25 साल बाद और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोक, निषेध एवं निवारण) कानून के 9 साल बाद भी वनन्तरा या ऋषिकेश व आसपास के किसी भी रिज़ॉर्ट में इन सुरक्षा उपायों के बारे में कोई जानकारी है.

हम चाहते हैं कि आप जांच करवाएं कि क्या निजी क्षेत्र में आईसीसी का अस्तित्व है और एलसीसी के गठन व कार्य प्रणाली में जिलाधिकारियों की कोई भूमिका है.

उत्तराखंड में बढ़ता पर्यटन कारोबार और इस क्षेत्र में महिला रोजगार

चूंकि सरकार हर प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि उत्तराखंड में पर्यटन में लैंगिक सरोकार वाली समग्र नीति हो, जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, रोजगार, वेतन तथा अन्य आनुषंगिक मुद्दों को संबोधित करे.

परिणामस्वरूप उत्तराखंड राज्य के लिए महिलाओं व बालिकाओं पर यथाशीघ्र नीति भी लायी जानी चाहिए.

महोदय, हम चाहते हैं कि आप हमें और समूची जनता को आश्वस्त करें कि अंकिता भण्डारी हत्याकांड मामले की साफ़ और न्यायपूर्ण जांच होगी तथा अनियमितता बरतने वाले सभी अधिकारियों के खिलाफ़ कार्रवाई सहित आपके सम्मुख रखी गयी अन्य मांगों को भी पूरा किया जाएगा।

सादर,

हम हैं,

उमा भट्ट, मैमूना मुल्ला, माया चिलवाल, पुष्पा चौहान, श्रुति जैन, दमयन्ती नेगी, निर्मला बिष्ट, कविता श्रीवास्तव, पद्मा गुप्ता, ऋचा सिंह, मेहविश एवं दीप्ति भारती

कृते

उत्तराखंड महिला मंच, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL), आल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमंस एसोसिएशन (AIDWA), नेशनल फैडरेशन ऑफ़ इंडियन वीमन (NFIW), जागोरी ग्रामीण हिमाचल, महिला किसान अधिकार महिला मंच (MAKAAM), भारत ज्ञान विज्ञान समिति (BGVS) कर्नाटक बिलकिस बानो के साथ, पर्यटन विशेषज्ञ एवं स्वतंत्र अध्ययन करता व कार्यकर्ता.

संपर्कः उमा भट्टः 8958802074, दमयंती नेगीः 8171454592, निर्मला बिष्टः 9897314656

संलग्नक– 11 : राज्य महिला आयोग को सौंपा गया ज्ञापन

प्रति,

राज्य महिला आयोग
उत्तराखंड सरकार

28 अक्तूबर 2022

विषयः अंकिता भंडारी हत्याकांड व उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा के सन्दर्भ में

महोदया,

जैसा कि आपको विदित है देश के विभिन्न महिला संगठनों व् समूहों की महिलाओं द्वारा गठित एक फैक्ट फाइंडिंग टीम द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े विभिन्न पहलुओं का निरिक्षण किया गया है जिसके आधार पर हम फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य आप से मिलने आये हैं।

महिला आयोग एक स्वायत्त संस्था के रूप में बना था। शुरूआत में यह जरूर स्वायत्त रहा था पर अब धीरे–धीरे इसकी स्वायत्तता घटती जा रही है और यह सरकार का ही अंग बनता जा रहा है।

हमारे आपसे कुछ सवाल हैं उत्तराखंड में महिलाओं के हालात के संबंध में –

1. आप जानती हैं कि हर जिले में विशाखा गाइड लाइन के अंतर्गत एक स्थानीय शिकायत कमेटी बनाने का प्रावधान है हम जानना चाहेंगे कि क्या उत्तराखंड के हर जिले में इस तरह की कमेटियां हैं? अगर हैं तो क्या वे कार्यशील हैं और क्या महिला आयोग ने उनके काम का ऑडिट किया है?
2. आप ये भी जानती हैं कि अंकिता का केस उत्तराखंड में कोई इकलौता केस नहीं है। इसकी जैसी और भी कई लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। उत्तराखंड क्यों कि पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र है, यहां पर साप्ताहिक टूरिज्म, धार्मिक टूरिज्म इत्यादि आम हो चुका है। टूरिज्म में महिलाओं की क्या स्थिति है, किस तरह उन्हें उनका शोषण होता है और आप किस तरह सुनिश्चित करती है कि शोषण न हो?
3. अंकिता की मौत को 40 दिन हो चुके हैं। हम जानना चाहेंगे कि इन 40 दिनों में महिला आयोग ने अंकिता को और अंकिता के परिवार को न्याय दिलवाने के लिए क्या कदम उठाए?
4. हाल में NCRB के अनुसार 18–30 उम्र की युवाओं की हत्याओं में वृद्धि हुयी है – क्या आपने इसका संज्ञान लिया है और कोई ठोस क़दम उठाये हैं?

.हमारी आपसे कुछ मांगे हैं –

- अंकिता भंडारी हत्याकांड में निष्पक्ष जांच हो, बिना दबाव के जांच हो और यह जानते हुए कि आरोपी एक प्रभावशाली परिवार से हैं इस जांच में कोई ढील ना दी जाए यह आप सुनिश्चित करें।
- अंकिता केस में हमने देखा कि उनके पिता को एक जगह से दूसरी जगह एफआईआर करवाने के लिए बेहाल होना पड़ा। महिला आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि हादसा चाहे किसी भी इलाके में हो कोई भी थाना हो एफआईआर (जीरो एफआईआर) करने से मना ना करें मना करने पर सख्त कार्रवाई की जाए।
- महिला हेल्पलाइन सही ढंग से कार्यान्वित नहीं है। आपसे अनुरोध है कि इसे सुधारने कि लिए शीघ्र कदम उठाए।

भवदीय

उत्तराखंड महिला मंच, पी यू सी एल, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, जनांदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, कर्नाटक विद बिलकिस, महिला किसान अधिकार मंच, भारतीय महिला फेडरेशन, ऐडवा के सदस्य तथा पर्यटन विशेषज्ञ, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता तथा विभिन्न छात्र संगठन।

संलग्नक– 12 : उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को ज्ञापन

28 अक्टूबर 2022

अंकित भण्डारी हत्याकांड मामले में जांच में हो रही दिल दहला देने वाली गड़बड़ियों और आतिथ्य एवं पर्यटन उद्योग व राज्य पर्यटन विभाग की ओर से ऐसे मामलों पर संज्ञान लेने व ढिलाई बरतने के कारण देशभर के महिला संगठनों व स्वतंत्र कार्यकर्ताओं के समूह ने एक राष्ट्रीय फैक्ट फाइंडिंग टीम के गठन का फैसला लिया, जो फिलहाल राज्य का दौरा कर रही है. हम मृतका के अभिभावकों और राज्य की विभिन्न एजेंसियों से मिले. फैक्ट फाइंडिंग मिशन के हिस्से के बतौर हम आप से मिलकर निम्न वक्तव्य दर्ज करना चाहते हैंः

15 अगस्त 2022 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए कहा था कि देश की मानसिकता में विकृति आ गई है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं के खिलाफ़ अपराध और हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। उनके भाषण के एक महीने के भीतर अंकित भण्डारी की रहस्यमय मृत्यु हो गयी। पौड़ी गढ़वाल जिले की रहने वाली 19 साल की यह कामकाजी युवती तब चर्चा में आयी जब वह अपने काम के दौरान अपने नियोक्ता की मौजूदगी में मारी गयी। मामले की फिलहाल जांच चल रही है।

उत्तराखंड सरकार ने सड़क आदि बुनियादी ढांचे के निर्माण तथा रमणीक स्थलों के प्रचार व अन्य प्रोत्साहनों व छूटों के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में निवेश किया है। सरकार की इन पहलकदमियों से निजी क्षेत्र को मजबूती मिली है। इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के विस्तार से नवयुवतियों में भी इसके कार्यबल में शामिल होने को लेकर आकर्षण बढ़ा है। यह कानूनी अनिवार्यता है कि ऐसी नीतियों व प्रक्रियाओं को कार्यान्वयन हो जिनसे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। एक संवेदनशील नागरिक के तौर पर हम पूछते हैं, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोक, निषेध एवं निवारण) कानून 2013, उत्तराखंड के होटलों में क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? क्या पर्यटन विभाग द्वारा आवासीय इकाइयों का लाइसेंस जारी करते समय ऐसी अनिवार्यता की माँग नहीं की जाती?

उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड से हम मांग करते हैं कि पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा की चुनौती से निपटने के लिए ज्यादा व्यवस्थित व सर्वांगीण उपायों पर ध्यान दे। सरकार पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ़ होने वाली हिंसा और अपराधों की वास्तविकता का संज्ञान ले और स्वीकार करे कि आतिथ्य एवं पर्यटन उद्योग कोई अपवाद नहीं हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं अस्वीकार्य है कि मौजूदा परिस्थिति के परिणामस्वरूप पर्यटन उद्योग की ओर से आयी प्रतिक्रिया महिलाओं को नौकरी देने से बचने की है।

हम मांग करते हैं,

- पर्यटन पर राज्य की एक समग्र लैंगिक नीति बने, जो उद्योग में महिलाओं के लिए रोजगार में वृद्धि के साथ–साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, नवयुवतियों की गुमशुदगी व हत्या सहित महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा के बढ़ते मामलों पर भी ध्यान दे। इसके अलावा स्थानीय महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का भी ध्यान रखा जाए जो उस भूदृश्य व संसाधनों की संरक्षक हैं, जिन पर पर्यटन टिका हुआ है।

- पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं के लिए राज्य की स्पष्ट कार्य योजना और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) विकसित की जाय, जो सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों पर लागू हो ताकि शोषण के खिलाफ़ लड़ने के साथ–साथ महिलाओं का सशक्तीकरण भी करे जिससे वे अपने जीवन में बदलाव की वाहक बन सकें।

- पर्यटन व्यापार पंजीकरण कानून को मजबूत बनाएं। इसका क्रियान्वयन और निगरानी बेहद महत्वपूर्ण हैं। आतिथ्य एवं पर्यटन इकाइयों का पंजीकरण हो। आवासीय इकाइयों में रुकने वाली देशी पर्यटकों का पंजीकरण विदेशी पर्यटकों की तरह (फॉर्म C) ही हो। स्थानीय समुदायों को पर्यटन प्रतिष्ठान (लीज/खरीद की स्थिति के बरक्स) खोलने व संचालित करने के लिए प्रोत्साहन व समर्थन दिया जाय और इसका अनुपालन व निगरानी सुनिश्चित हो।

- सुरक्षा के दायरे का विस्तार हो। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोक, निषेध एवं निवारण) कानून 2013 का अनुपालन सुनिश्चित हो और इसकी निगरानी की जाए ताकि आतिथ्य एवं पर्यटन उद्योग के भीतर औरचारिक व अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों को इसके दायरे में लाया जा सके। जिला स्तर पर गठित आंतरिक शिकायतकर्ता समिति (ICC) और स्थानीय शिकायतकर्ता समिति (LCC) की गंभीर जांच–पड़ताल की ज़रूरत है। यह बेहद

जरूरी है कि महिला कर्मचारियों को इसके दिशानिर्देशों की जानकारी हो। पर्यटन स्थलों में हेल्पलाइन और महिला संरक्षा सेवाओं को मजबूत व पुनर्जीवित किया जाय और इनके संचालन की निगरानी की जाय। होटल परिसरों की पर्याप्त निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए। सीसीटीवी कैमरे लगे रहने और हर वक्त चालू रहने चाहिए तथा इनका डेटा तदनुसार सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इनके फूटेज की नियमित रूप से जांच होनी चाहिए।

– **जवाबदेही लें और नियमों को लागू करें** ताकि पर्यटन उद्योग में अपराध व हिंसा को कम किया जा सके तथा मौजूद मामलों की विस्तृत जांच हो सके। उत्तराखंड से गायब होने वाली महिलाओं के मुद्दे पर ध्यान दिया जाय तथा समग्र जांच के लिए नीतियों व प्रक्रियाओं का सटीक अनुपालन हो। उद्योग में महिला कर्मचारियों के खिलाफ़ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए खास तौर पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा, नीतियों व प्रक्रियाओं को सुनिश्चित किया जाय।

– **श्रम समावेश और आभारोक्तिः** आतिथ्य उद्योग में महिलाओं के लिए काम के समान अवसरों का सृजन कर पर्यटन में महिलाओं के महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान को अभिस्वीकृति प्रदान की जाय। बड़ी संख्या में महिलाओं की भर्ती से सहकर्मियों की निगरानी और सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी।

– **जागरूकता एवं प्रशिक्षणः** पर्यटन में महिलाओं की सुरक्षा पर विज्ञापन अभियानों को तैयार और लागू किया जाए। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को चाहिए कि वह पर्यटन उद्योग (औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रों) के लिए उसकी परिचालन व्यवस्थाओं व प्रक्रियाओं के दायरे में महिला सुरक्षा, महिलाओं की हिस्सेदारी तथा लैंगिक अधिकारों की संरक्षा के लिए मॉड्यूल तैयार किये जाएं। होटल प्रबंधन व संबंधित विषयों पर कौशल प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की निगरानी व नियमन हो।

– **सर्वेक्षण एवं शोधः** लैंगिक नजरिया सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की ओर से अच्छी गुणवत्ता के सर्वेक्षण व शोध किये जाने चाहिए। पर्यटन में महिलाओं के खिलाफ़ होने वाली हिंसा के बिखरे हुए आंकड़ों को एकत्र किया जाय तथा महिला यात्रियों (देशी एवं विदेशी) व पर्यटन स्थलों के भीतर व आसपास रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा हेतु तौर–तरीके विकसित किये जाएं। इस प्रक्रिया में स्थानीय लोगों को साथ लेना चाहिए और सभी सूचनाओं व जानकारियों तक उनकी पहुंच होनी चाहिए।

हमारा संपर्कः निर्मला बिष्ट (9897310667), विजया नैथानी (6397667373) उत्तराखंड महिला मंच।

यह रिपोर्ट सीमित वितरण के लिए है

उत्तराखण्ड महिला मंच द्वारा प्रकाशित एवं डी.एस. सेल्स, कार्पोरेशन, दिल्ली से मुद्रित

सम्पर्क : निर्मला बिष्ट, मलिका विर्दी तथा उमा भट्ट